राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] आठवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 5

शुक्रवार,

दिनांक 22 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बस की बड़ी अव्यवस्था है। माननीय सदस्यों को आने में दिक्कत होती है। कभी तो 10 बजे आ जाती है....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कल बिल्कुल नहीं आई।

एक माननीय सदस्य : थोड़ी आई थीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) सर्व श्री नाथूसिंह, दिग्विजयसिंह, नारायणसिंह और ग्यारसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में अकाल की स्थिति, पेयजल का अभाव और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ न करने के विषय में।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी और श्री गणेशलाल बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी के दुर्ग पर पर्यटन विकास निगम द्वारा रोशनी की व्यवस्था न किये जाने के बारे में।

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर कस्बे में अवैध निर्माण कार्य से परकोटा टूटने के कारण दिनांक 20-3-85 को दो व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(4) श्री हंसराज, सदस्य विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ तहसील के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था न होने के बारे में।

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में दिनांक 7 मार्च, 1985 को पारस नाम के लड़के की चाकू से हत्या के मामले में गिरफ्तारी न करने के बारे में। इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री शोपतसिंह और श्री केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद् गंगानगर व हनुमानगढ़ सीमा में मकान व दुकानों को गिराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंजाब के कुछ व्यक्तियों द्वारा कोटा जिले के गांवों में फसल काटने, अधिक

(श्री अध्यक्ष)

कीमत लेने, डराने-धमकाने व मार पीट करने के बारे में।

(3) श्री भवरलाल शर्मा (हवामहल) व श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह अस्पताल में कोबाल्ट थेरेपी से सेक किये जाने की मशीन खराब होने के विषय में।

(4) सर्व श्री हरीश शर्मा, प्रतापसिंह सिंघवी, हरिकुमार औदिच्य, मांगीलाल मेघवाल और किरोड़ीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेयरी कार्यालय कोटा में स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती नहीं किये जाने से असंतोष के बारे में।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर परिषद् द्वारा अपर्याप्त सफाई व्यवस्था के बारे में।

(6) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगरा रोड़ से नृसिंह जी के मन्दिर पर जाने के लिए बनी पुलिया टूट जाने से असुविधा के बारे में। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री शोपतसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा भाखड़ा एवं राजस्थान नहर की लगातार बन्दी के कारण रबी की फसल को नुकसान के बारे में दिनांक 21 मार्च, 1985 को दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर मैंने पुनर्विचार किया है और मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे....

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं, मैं उन माननीय सदस्यों को क्रम से पुकारूंगा, वे अपने विषय पर जैसा कि कल मैंने व्यवस्था दी थी, दो मिनट अपनी बात कह सकेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामचन्द्र जाट : मेरा एक अकाल सहायता सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव, जिसे कल सुबह प्रस्तुत किया था, आज इसमें नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल व्यस्था दी थी राज्य सरकार से जानकारी चाही है। ज्यों ही जानकारी मिलेगी मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। मैंने आपसे कल ही निवेदन कर दिया था।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को जानकारी के लिये भेजा है उसके लिए तो धन्यवाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बोल नहीं रहा हूं, उस पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने उल्लेख किया था वसूलियों का....

श्री अध्यक्ष : जो भी आपका प्रस्ताव है उस प्रस्ताव की पूरी कापी राज्य सरकार को जायेगी, उस पर जानकारी दी जायेगी।

श्री शोपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री केदार नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में इस साल सरसों की जो खेती हुई है वह बड़ी रिकार्ड खेती हुई है। सरसों की खेती को काटने केलिए पंजाब से कुछ लोग मशीनें लेकर कोटा जिले में आये हुए हैं लेकिन पंजाब से आये लोगों द्वारा कोटा जिले के किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है इन लोगों ने कोटा जिले के सीधे-सादे और भोले-भाले किसानों के साथ शर्तें तय की हैं, उनसे पैसा वसूल कर लिया है लेकिन शर्तें तय कर करने और पैसा वसूल करने के बाद यह लोग किसानों की फसल को समय पर नहीं काट रहे हैं। समय पर नहीं काटने से एक तरफ तो किसानों की फसल बरबाद हो रही है, दूसरी तरफ जो इन्हें अग्रिम पैसा दिया है उसका भी कोई हिसाब-किताब यह लोग नहीं कर रहे हैं। जब इन मशीन वालों से बात करते हैं, किसान, तो यह टाल-मटोल करते हैं, डराते-धमकाते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं।

एक उदाहरण में पीपल्दा तहसील के रोण ग्राम के निवासी श्री सूरजमल मीणा का देना चाहूंगा। इन्होंने आज से 15 दिन पहले मशीन नम्बर 109 जिस के कोई कुकू और मिस्टर शर्मा आपरेटर्स हैं, उनसे बात की, उसका मालिक कोटा में रहता है उससे बात की और बात करके, उनको पांच सौ रुपये अग्रिम दे दिये। उन्होंने कहा कि एक दो दिन बाद हम आपकी फसल काट देंगे। जब एक-दो दिन बाद यह लोग नहीं पहुंचे तो इनसे सम्पर्क किया। सम्पर्क करने पर उन्होंने बहाना बनाया कि हमारी मशीन खराब है, खराब होने की वजह से हम चला नहीं सकते। जबकि वह मशीन दूसरी जगह सरसों की फसल काट रही थी। उनके मालिक, जो कोटा में किसी होटल में रहते हैं, से बात की तो उन्होंने मशीन नम्बर 108 के आपरेटर्स से कहा कि आप लोग जाओ और इनकी फसल को काटो। यह 17 तारीख को उन लोगों के साथ जीप में बैठ कर गांव में आये तो यह लोग वहीं से इनको डराते-धमकाते आये कि तुम्हें देख लेंगे, तुमने हमारे मालिक से शिकायत क्यों की, सरदार हैं, जो हालत हमने पंजाब की की है वही हालत तुम्हारे कोटा जिले की कर देंगे। इन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी फसल बरबाद हो रही है, मेरे साथ इस तरह का जुल्म नहीं करो। 17 तारीख को जब इन्होंने 108 नम्बर की मशीन वाले लोगों से बात की तो वह इनके खेत पर पहुंचे। इन्होंने रास्ता तैयार किया, रास्ता तैयार करने में इनके बहुत सारे पैसे खर्च हुए। जब वह खेत पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी फसल नहीं काटेंगे, तुम यह बताओ कि हमारी शिकायत तुमने हमारे मालिक से क्यों की। इनके साथ खेत में मार-पीट भी की। इनके साथ 10 लोग थे,

(श्री हीरालाल आर्य)

मशीन इनके साथ थी, जीप उनके साथ थी। सारा सामान उनके साथ होता है उस व्यक्ति के साथ मार-पीट की तो इस व्यक्ति ने इटवा थाने में 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वहां के जो एस.एच.ओ. थे, उन्होंने इनकी कोई बात नहीं सुना तो यह गांव में गये और गांव में जाकर इस घटना को सुनाया, इससे गांव में बड़ा भय और फैल गया। इसकी शिकायत करने यह लोग एस. पी. कोटा के पास गये तो एस. पी., कोटा ने कहा कि मैं अभी कार्यवाही करता हू।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना मिली है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वह लोग अपनी मशीन लेकर दूसरी जगह भाग गये हैं। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, यह लोग किसानों के साथ जुल्म करें, ज्यादती करें और मार-पीट करें, मार-पीट करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाय लेकिन पुलिस वाले भी कोई कार्यवाही नहीं करें तो आखिर किसान कहां जायें ? किसान पर यह दोहरी मार है एक तरफ तो वह लोग पीट रहे हैं, भय और आतंक फैला रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी फसल बरबाद हो रही है। वैसे ही उनकी बरबादी के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस सूरजमल मीणा के साथ मार-पीट की है, जिसकी रिपोर्ट समय पर दर्ज करा दी गई थी, उन लोगो के खिलाफ कार्यवाही करें। क्या रिपोर्ट कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ? इन सब बातों के बावजूद कार्यवाही नहीं होने, पुलिस विभाग की निष्क्रियता है। दूसरी तरफ यह लोग जो लूट रहे हैं, इस तरह की कार्यवाही वहां के किसानों के साथ कर रहे हैं, डर और आतंक फैला रखा है इससे वहां का जो जिला प्रशासन है वह चुप बैठा हुआ है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के लोगों ने उस इलाके में भोले-भाले किसानों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती कर रखी है, जिला प्रशासन को चाहिए कि उनके ऊपर निगरानी रखे और जिन लोगों ने इस सूरजमल के साथ मार-पीट की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा कर उनको अरेस्ट किया जाये, जिस थानेदार ने कार्यवाही नहीं की उसके खिलाफ भी शीघ्र कार्यवाही करें। तभी वहां के किसान को सेटिसफैक्शन मिल सकता है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल एक ऐसा हास्पिटल है जिसमें कैंसर के रोगों का इलाज होता है। इसकी बड़ी धाक भी है। परिणामस्वरूप राजस्थान के अधिकांश भागों से कैन्सर की बीमारी का इलाज कराने लोग यहां आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब कैन्सर की बीमारी का आपरेशन होता है उसके बाद सेक की आवश्यकता पड़ती है उस सेक की व्यवस्था यहां पर है, लेकिन पिछले दो महीनों से जिस मशीन से इस बीमारी का सेक किया जाता है वह किन्हीं कारणों से खराब पड़ी है। परिणाम क्या रहा है ? कैंसर को जिसका आपरेशन होता है, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको सेक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करना जरूरी होता है, उसको यदि वह सेक नहीं मिलता है तो बीमारी अधिक फैल कर उसकी मृत्यु की सम्भावनायें अधिक हो जाती हैं। इतनी महत्वपूर्ण यह मशीन है। मैं तो समझता था कि आप इसको अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मानेंगे क्योंकि आदमी की मृत्यु से संबंधित मेरा विषय है। लेकिन आपने इसको महत्व नहीं दिया, मैं समझता हूं कि मैं आपको अपनी बात पूरी नहीं समझा सका हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप इसको सरकार को भेजें और सरकार बताये कि आखिर इस मशीन को ठीक क्यों नहीं करते हैं। यहां बोलने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मेरी इच्छा तो यह है कि यह मशीन तुरन्त ठीक हो, सरकार के ध्यान में यह बात आ जाये कि यह मशीन क्यों नहीं ठीक हो रही है। कम्पनी को कुछ पेमेंट नहीं किया जा रहा है केवल इस कारण से यह मशीन खराब पड़ी हुई है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरा यह जो विषय है, इसको अविलम्बनीय लोक महत्व का मानें और सरकार से इसका जवाब मांगें। परसों या परले रोज तक जवाब दिलवा दीजिये तब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपनी बात बता दी।

श्री कालीचरण सराफ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में पहले से ही कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कार्यरत है, इसमें पहले से ही अधिकारी कर्मचारी सेवा करते आ रहे हैं.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : डेयरी विकास की योजना के अन्तर्गत राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने कोटा में संयंत्र लगाया हमें इससे खुशी हुई, इसके लिये आपको धन्यवाद। किन्तु यहां भी रिश्वत एवं भाई भतीजेवाद ने अपना जोर दिखाया और उसका परिणाम यह हुआ कि कोटा के कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर भी कोटा के कर्मचारियों को आर. सी. डी. एफ. में न लगा कर सीधे जयपुर से कर्मचारी भेज दिये गये जो अनुचित है, अन्याय है और जन भावनाओं पर आघात है। जब सन् 1972 में हाड़ौती आन्दोलन हुआ जिसमें भारी संख्या में लोग जेल गये। उस समय मांग यह थी कि कोटा के युवकों को पहले नियुक्ति दो। इसके लिये आंदोलन अब भी होता रहता है। अतः कोटा के अधिकारियों को आर. सी. डी. एफ. के संयंत्र में लगाया जावे, न कि जयपुर से भेजे जावें अन्यथा गम्भीर परिणाम होंगे।

(6)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकुमार।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव........

श्री अध्यक्ष : मैंने नोट कर लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको दे दें ताकि जवाब आ जाये परसों परले रोज तक।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी, अस्वीकृत किया है। आपने अपनी बात कह दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कही नहीं अभी तक तो।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी और मैंने उसको नोट कर लिया है। आपने सुझाव भी दे दिया है That has also been noted.

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने अभी निवेदन नहीं किया। मैंने तो यह निवेदन किया है कि इसको इस श्रेणी से हटा कर उस श्रेणी में रख दिया जाये। इसके लिए निवेदन किया है मैंने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अस्वीकृति दे दी उसके बाद तो दुबारा बात नहीं है। मैंने आपको दो मिनट बोलने का मौका दिया, आप बोल चुके। आपने सारी स्थिति बता दी और अब मेरे पास कोई चारा नहीं है उसका। आपने सुझाव दिया, I have noted it.

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज-मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो डेयरी संयत्र लग रहा है उसमें नियुक्तियों के बारे में प्रस्ताव लाया गया है। सवाल केवल इस सयंत्र में नियुक्ति किये जाने का ही नहीं है, और और अवसरों पर भी ऐसा देखा गया है कि कोटा के हाड़ौती क्षेत्र के लोगों की, नौजवानों की और बेरोजगारों की हमेशा अवहेलना होती रही है चाहे वह किसी फैक्टरी में नियुक्ति का प्रश्न हो या चाहे पुलिस विभाग में नियुक्ति का प्रश्न हो। जहां तक मेरिट और योग्यता से नियुक्त करने का सवाल है, भर्ती करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन एक क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाये, इस तरह की स्थिति को बेरोजगार और नौजवान किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं कर सकते। जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया इसी समस्या को लेकर, कोटा में बड़ी बड़ी फैक्टरियां लगी हुई हैं लेकिन उन फैक्टरियों के अन्दर जब भी नियुक्ति का मौका आता है तो उस क्षेत्र के लोगों की हमेशा अवहेलना होती है। इस प्रकार की स्थिति ज्यादा नहीं चलने पाये इसीलिए सरकार का और श्रीमान् का ध्यान आकर्षित किया गया है। मेरिट और योग्यता के आधार पर हो तब तो कोई बात नहीं है लेकिन क्षेत्रीयता और जातीयता के आधार पर या पक्षपात के आधार पर नियुक्तियां होंगी तो आने वाले नौजवान और आने वाले नवयुवक इस प्रकार की धांधली और इस प्रकार की मनमानी को नहीं मानेंगे।

धन्यवाद।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा········

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर लूंगा मैं।

श्री शोपतसिंह : ट्रैफिक की वजह से········

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर ले लूंगा मैं। श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण की प्रति पर········

श्री अध्यक्ष : ना, ना, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ? बैठिये, बैठिये।

श्री किरोड़ीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया है जो बड़े लोक महत्व का प्रश्न है जिससे जयपुर की जनता ग्रसित है। यह जो माननीय सदस्य जीतकर आये हैं, यह जयपुर शहर के बारे में क्या विचार करेंगे, साहब ? इसलिये, बड़े लोक महत्व का प्रश्न है। खैर आपने अस्वीकार कर दिया वह आपकी बड़ी कृपा है। जयपुर शहर में इस समय नरक जैसी दशा है प्रशासक इस समय है नहीं। जब से शेखावत साहब पधारे हैं, विभाग इनके पास है या किस के पास है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर हटा लिया। खैर, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और हालत यह है सफाई की कि कूड़े के ढेर जगह जगह शहर में पड़े हुए हैं, जगह जगह गटर का पानी सड़कों पर बह रहा है। यह तो दशा जब है, माननीय अध्यक्ष महोदय जब कि राज्य सरकार ने पिछले जुलाई के महीने से लोगों के पीने का पानी का जो बिल आता है उसमें सीवरेज टैक्स लगा दिया। 100 रुपये का बिल है तो 30 रुपया सीवरेज टैक्स के नाम से लगा रखा है। जिसका गटर से कनेक्शन है, आपने शायद कोटा में शायद देखा होगा, 100 रुपया में से 30 रुपया सीवरेज टैक्स के नाम लगा रखा है। इतनी धनराशि सीवरेज टैक्स की वसूल होने के बाद आज जयपुर शहर की कोई गली ऐसी नहीं है जहां गटर का पानी नहीं बह रहा हो और कूड़े का ढेर नहीं पड़ा हुआ हो मेरा निवेदन करना यह है कि यह बड़े लोक महत्व का प्रश्न है। जगह जगह मरे हुये जानवर पड़े हुए हैं उनको भी उठाने की कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। मच्छरों का ढेर हो गया है, मच्छरों के मारने की एक मशीन है वह धुआं उड़ाती कभी कभी नजर आती है बाकी गायब। मेरा मतलब यह है कि सारे जो माननीय सदस्य आये हैं और आप जो अध्यक्ष चुने गये हैं, आखिरकार इन सब के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी ही है। केवल आपकी जिम्मेदारी 10 से लेकर 5 बजे तक की नहीं है। किसी भी एम. एल. ए. के साथ कोई घटना घट जाये, बीमार हो जाये, मच्छर खा जाये तो अध्यक्ष महोदय,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आप नहीं सभालेंगे तो कौन सभालेंगा । इसलिए मैं तो केवल आपकी जानकारी के बतौर सारे मैम्बरान से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जयपुर शहर की दशा है ।

यहां पर लोकल सेल्फ मंत्री हुआ करते थे और आप भी उस समय मंत्री मण्डल में हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था मशीनों से होगी, हरिजनों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । हम भी म्यूनिसिपैलिटी के मैम्बर 25 साल रहे लेकिन प्रद्युम्नसिंह जी को ज्यादा ज्ञान हो गया हो तो बात अलग है । मशीनों से सफाई होगी ? दो हाथों से काम नही लेंगे तो मशीनें सफाई कर देंगी । यह मैं समझता हूं कि थोथी और झूठी और सदन को भ्रम में डालने वाली घोषणा थी । उनकी सफाई हो गयी, राजीव गांधी का भला हो उन्होंने सफाई कर दी ।

जयपुर शहर में आज 4800 स्थायी सफाई कर्मचारी हैं, 1200 अस्थाई कर्मचारी हैं, 36 इन्सपैक्टर हैं, 142 जमादार हैं । आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पौने चार करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल सैनीटेशन के नाम से खर्च किया जाता है और शहर की हालत आपके सामने है । जयपुर शहर में 7000 गन्दी गलियां हैं, स्थिति यह है कि बिजली की मशीन तो दूर आज हरिजन के पास कूड़ा उठाने के लिये न टोकरी है न झाड़ू है । जयपुर शहर थ्री टायर सिस्टम है– एक हरिजन नाली साफ करेगा, एक हरिजन झाड़ू लगायेगा और एक हरिजन कूड़ा हटायेगा । इस थ्री टायर सिस्टम के कारण जयपुर शहर की व्यवस्था नहीं हो सकती । जब तक एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे । तब तक जिम्मेदारी टालने का जैसा देश मे माहौल है, यह कहेगा, गाड़ी वाला नही आया; वह कहेगा, झाड़ू लगाने वाला नहीं आया; वह कहेगा कूड़ा उठाने वाला नहीं आया; यह दशा है ।

मेरा निवेदन करना यह है कि जो मशीन खरीदी गई थी वह भी आज खराब पड़ी हुई है । चांदपोल बाजार में यातायात व्यवस्था ठीक हो जाये इसके लिये जयपुर नगर परिषद् पूर्ण निर्माण कार्य अपने हाथ में ले रही है जहां उसका अधिकार नहीं है । इसके लिये पिछले सहकारिता मंत्री जी, पशुपालन राज्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया मुझसे भूल हो गई, चांदपोल बाजार में यातायात की व्यवस्था तुरन्त ठीक होनी चाहिए उन्होंने अपने चहेते को ठेका दिला दिया और, नगर परिषद् के द्वारा ठेका दिलाया । जहां पर पी डब्ल्यू. डी. का जूरिस्डिक्शन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है चांदपोल बाजार में म्यूनिसिपैलिटी काम कर रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है । नालियां बनाने का काम म्यूनिसिपैलिटी कर रही है,सड़कें चौड़ी कर रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शाम को जाकर देख लें, बिजली के खम्बे सड़कों पर पड़े हुए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है । लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात को ठोकर खाते हैं । चांदपोल हनुमान जी के मन्दिर के पास नालियां अवरुद्ध हैं, पानी जगह-जगह भरा हुआ है,उससे सड़ान पैदा हो रही है .

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कई माननीय सदस्य उस रास्ते से भी जाते है, सी. पी. जोशी साहब को जरूर भेज दें, उधर जाकर वह हालत देख लें। मेरा निवेदन करना यह है कि सारे का सारा बाजार सड़ रहा है। यह दशा है।

एक माननीय सदस्य : आप भी यू. आई. टी. के चेयरमैन थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि जो काम आज नगर परिषद् को अपने हाथ में लेना चाहिये, नगर परिषद का काम है केवल सफाई कराना। जयपुर नगर परिषद् ने अपने हाथ में बिजली की व्यवस्था ले रखी है। बिजली की व्यवस्था भी ठीक करेंगे। नई लाइनें भी नगर परिषद् लगायेगी, बल्बों को बदलेगी, ट्यूबलाईटों को बदलेगी, मर्करी को बदलेगी। आज स्थिति यह है न उसके पास बल्ब हैं, न ट्यूबलाइट है, न मर्करी लैम्प है। आज जयपुर शहर में जगह जगह घोर अंधकार फैला हुआ है। और तो और चांदपोल श्मशान में कभी आप पधारें, वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं है।

(व्यवधान)

आप बिराजिये। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, चांदपोल बाजार में नरक की सी हालत है। वहां कूड़े के ढेर पड़े हुए है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि नगर परिषद की जिम्मेदारी श्मशान को सम्भालने की है। इसलिये मैं कोई विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि जयपुर शहर की नारकीय दशा है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा स्टाफ है, पौने चार करोड़ रुपया होता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मंत्री बने हैं वह इसको महत्व का प्रश्न मानें। जो विधायक चुने गये हैं पार्लियामेंट के मैम्बर गलियां दिखाते हैं, बिधान सभा के जो सदस्य हैं उनको गलिया नहीं दिखाते यह बात दूसरी है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का जो काम है वह कभी विधायक करता है, पार्लियामेंट के मैम्बर का काम भी विधायक करता है। और विधायक का काम भी विधायक करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जयपुर शहर की सफाई के प्रश्न क माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोक महत्व का प्रश्न समझ कर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे वक्तव्य दिलावें यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम पंवार।

श्री डूंगराम पंवार (टीबी) : अध्यक्ष महोदय हमारे यहां राजस्थान कैनाल क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव दूसरा है, राजस्थान कैनाल का नहीं है।

श्री डूंगरराम : कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष : हरिजन महिला के साथ बलात्कार के बारे में आपने प्रस्ताव दिया था।

श्री डूंगरराम पंवार : यह तो पहले का है, इसके बाद यह था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है। माननीय सदस्य बैठिये एक मिनट।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समझा दूं, एक मिनट बैठिये।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि एक दिन में, माननीय सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं, एक ही प्रस्ताव आता है। आपने दो प्रस्ताव दिये हैं। दूसरा प्रस्ताव लिया नहीं जा सकता नियमों के अन्तर्गत। आपका एक प्रस्ताव लिया गया है। हरिजन महिला के साथ बलात्कार वाली जो बात कही गई है, मई, 84 की, उसके बारे में कुछ कहना हो तो दो मिनट में अपनी बात कह दें। दूसरे विषय पर अभी आप नहीं बोल सकते।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, यह जवरासर की हरिजन महिला का मामला है। जवरासर के ग्राम मिर्जावाली मेहर की लड़की के साथ भादरा के चिकित्सा अधिकारी और कुछ लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया। उसके बाद नोहर थाने में उसको लाया गया। नोहर थाने में हरिशचन्द, ए. एस. आई. और उनके साथियों द्वारा बलात्कार किया गया। फिर इसको हिन्दुमल कोर्ट में हरिशचन्द, ए. एस. आई. ने मुश्ताक अहमद, सरपंच साकिन सुजा के पास इसको रखा और यह कहा कि इस लड़की से कोई नहीं मिले, जो उसके साथ जायेगा वही मिल सकेगा इस बात का ध्यान रखना है। वहां पर अपने साथी ले जाकर इस लड़की के साथ में फिर बलात्कार किया और इसके बाप पर झूठे मुकदमे बनाकर इसके बाप की पिटाई भी की गई। इस प्रकार इस मामले से सम्बन्धित कम से कम 30–40 व्यक्ति हैं। उनकी शिकायत एस. पी. साहब के पास की गई, मुकदमे भी दर्ज हुए। एस. पी. साहब, श्री श्रीगंगानगर ने उन लोगों को बुलाया और धमका कर सब से अच्छी भली आमदनी कर ली। उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। जो मुकदमे किये गये वे गलत किये गये। इस लड़की की जाति भी ब्राह्मण बताई जबकि यह हरिजन जाति की थी। जो जांच की गई वह जांच इनकी जो दूसरी साथी बदमाश थी जिसके साथ हरिश ने इसको सौंपा था उसकी डाक्टरी जांच की गई, इसकी नहीं की गई। इस केस को दबाना पुलिस अधिकारियों का काम है क्योंकि इसमें ज्यादातर पुलिसमैन आते हैं। उनको बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये हैं। फिर इस लड़की को वापिस इसके बाप के घर भेज दिया गया। वहां इसका भाई जो हरियाणा में रहता है इसको अपने पास ले गया। इसकी जो मदद करने वाले हैं जिन्होंने यह

(श्री डूंगरराम पंवार)

कागजात पेश किये हैं उनका नाम है फतह मोहम्मद उर्फ कीडिया साकिन नोहर। वह डी. जी. साहब से मिले, उनको शिकायत की। उन्होंने उस हरिशचन्द ए. एस. आई. को लाइन हाजिर करने के आदेश किये। लेकिन उसको लाइन हाजिर नहीं किया गया। उसमें टालमटोल की गई। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, साफ साफ टालमटोल हो रहा है। इस लड़की ने खुद डी. जी. के सामने पेश होकर बयान दिये हैं, एस.पी. के सामने पेश होकर बयान दिये हैं फिर भी कोई परवाह नहीं की जा रही है। यह पुलिस का इस तरह का तरीका बहुत ही शर्मनाक है। जो रक्षक हैं वह भक्षक हो गये हैं। इस प्रकार से एक हरिजन महिला की इज्जत लूटी गई, उसकी इज्जत बरबाद की गई। 18 वर्ष की वह है उन लोगों ने इस हरिजन महिला की जिन्दगी बरबाद की है, आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे लोगों को तुरन्त जेल भेजना चाहिये। यह जेल भेजना तो दूर उसको लाइन हाजिर भी नहीं किया। टर्मिनेट और सस्पेण्ड करने की हिम्मत ही कहां। हर समय पुलिस का बचाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं इसलिए मेरा कहना है कि तुरन्त कार्यवाही की जाय। उनको सजा मिलनी चाहिये। इतना ही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह अनुत्तरित ही चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि माननीय सदस्य दो मिनट बोल लिये और सरकार जवाब नहीं दे। यह प्रश्न ऐसा है जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आये तब तक टाला नहीं जाना चाहिये। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है, सरकार जब तक बोले नहीं इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न विधान सभा में अनुत्तरित चला जायगा। यह नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नियमों में और प्रावधान है, और तरीके से उठा सकते हैं, उठायें। लेकिन यह प्रश्न मई सन् 84 का है और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आया है इसलिये मैंने इसे अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं माना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाईन हाजिर करने तक की कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं, नियमों में और भी प्रावधान हैं। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, वह इस मामले को देखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मै उसी पर बोलूंगी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिनकी यह रात दिन वकालत करते है उन गरीब हरिजन महिलाओं पर ही अत्याचार हुआ है। मै फिर गृह मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि..........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मै मेरे स्थगन प्रस्ताव पर ही बोल रही हूं लेकिन मैं जानती हूं कि इसका क्या अर्थ होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप समय ले रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 में जयपुर में भयंकर बाढ़ आई उसके बाद हमको तत्कालीन सरकार ने कहा, इस बाढ़ को वरदान समझो, सारे काम हो जायेंगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई। बाढ़ प्रोजेक्ट बना किन्तु उस पर काम नहीं हुआ। डेढ़ करोड़ रुपया यू. आई. टी. ने वापस कर दिया। जे. डी. ए. बना। जे. डी. ए. बना तो उसने साढ़े तीन करोड़ रुपया प्रोजेक्ट का वापस कर दिया। काम नही किया, अध्यक्ष महोदय, जिस का आज मैंने जिक्र किया है उस नाहर सिंहजी की पुलिया का। हम धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि धार्मिक व्यक्तियों को सताया जाय। नाहर सिंहजी की पुलिया टूटी। स्वर्गीय रामकिशोरजी व्यास ने इसे बनवाया था, वे दैनिक रूप से इस मन्दिर में जाते थे। इस पुलिया का भी कोई महत्व है। जब जयपुर बनने लगा उस समय किला बनाने की बात थी, नाहर सिंहजी, जो देवता के रूप में थे, ने वहां किला नहीं बनाने दिया, बार बार दरार आई, उसके बाद उनका आगरा रोड की घाट की डूंगरी पर मन्दिर स्थापित किया गया। यह सारे अभिलेख नाहरगढ़ के किले के अन्दर स्थापित हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान है, वहां जयपुर के अधिकांश व्यक्ति सुबह शाम दोनों वक्त दैनिक रूप से दर्शनार्थ जाते हैं, अपनी मनौती मानते हैं। उस पुलिया को टूटे चार-पांच साल हो गये। जयपुर की बाढ़ को अभी तक सरकार ने टेक अप नही किया। बाढ़ प्रोजेक्ट में मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी उस पुलिया को शामिल नहीं किया गया। वह पुलिया जाने आने के लिये ही है, मन्दिर में दर्शनार्थी उस पर से आते जाते हैं। आज मैंने जिन स्वामी का जिक्र किया, उनका सिर फूट गया, हाथ पैर टूट गये। यह तो मेरी नजर में बात आई है पर आज से पहले इन चार-पांच सालों में कितने व्यक्ति गुड़के हैं? वहां के लोगों ने छोटे-छोटे पत्थर रख करके पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बनाया है लेकिन इस सरकार का कोई कर्त्तव्य नहीं है उस रास्ते को सुधरवाये या पुलिया को बनवाये? आधा कल्वर्ट बना हुआ है और आधा मुंह फाड़े खडा हुआ है। आधा कल्वर्ट बनाने की तैयारी होनी चाहिये थी। मेरा निवेदन है कि आज जयपुर का नागरिक अपनी मान्यताओं के आधार पर वहां सवामनी भी करने जाता है, रोज सुबह शाम पूजा के लिये जाता है। कौन काम करेगा? आप यह कहेंगे कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमारा काम नहीं है तो ठीक है, भामाशाह बैठे हैं फिर आप अड़चन नहीं डालेंगे किसी बात की। हम उसको बनवा कर रहेंगे, आप बनवाते हैं तो आपका पुण्य होगा। मैंने जियाउद्दीन साहब की दरगाह बनवाई है, वह टूटी थी। मन्दिर, मस्जिद या बौद्ध मठ, यह सार्वजनिक स्थान से टूट जाते हैं तो कौन निर्माण करवाता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में जो लोकल सैल्फ मिनिस्टर हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि जो जे. डी. ए. का एक परिवार बनाया, पता नहीं कहां कहां के अधिकारीगण भर लिये हैं जो काम करते नहीं, महानिकम्मे लोग हैं, उनको जरा देखें कि वह जो बाढ़ प्रोजेक्ट बना, उसी पर काम करें, उसके लिये पैसा आवंटित करायें। जयपुर को एक तमाशा बना रखा है। जयपुर में जब बाढ़ आई तो नौ रास्ते टूट गये थे, कोई भी रास्ता आज तक स्थायी रूप से निर्मित नहीं कराया गया। यह तो भगवान की कुछ कुदरत है कि मेह नहीं आया, बरसात आ जाती तो फिर सारे रास्ते टूट जाते।

मान्यवर, आप बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, आप धार्मिक भावना के व्यक्ति हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले नाहर सिंहजी की पुलिया बनाने के लिये आदेश दें। सरकार तो धर्म-निरपेक्ष कह कर बात टाल जाती है लेकिन मैंने अनेकों बार इनको मन्दिरों और मस्जिदों में चुनाव के दिनों में ढोक खाते देखा है। मेरे मन में दुःख है इस बात का। एक हमारे यहां के एम. पी. हैं जो एक दरगाह में तीन हजार रुपये मुफ्त में बांटने के लिये दे आये। बड़ी खुशी हुई वह जीत गये। मेरा कहना है, जीत गये उनको भी धन्यवाद और पब्लिक को भी धन्यवाद पर काम तो करायें। जयपुर को नरक बना रखा है। पता नहीं कहां कहां से लाकर अधिकारी रख देते हैं, काम करते नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस पुलिया का सबसे पहले निर्माण कराये जाने की यहां पर घोषणा करें।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी पुलिया है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : नाहर सिंहजी की पुलिया है आगरा रोड़ पर जहां पागल खाना है। उधर की हवा वहां तक पहुंचती है। वहां जाकर देखें कि पुलिया किस तरह आधी मुंह फाड़े खड़ी हुई है। रास्ते की सड़क बन गई लेकिन सड़क से पुलिया को नहीं जोड़ा गया। एक कल्वर्ट बन जाता तो ठीक होता।

दूसरा, यह नागतलाई का नाला पिछले साल मंजूर हुआ था इसके लिये चार करोड़ की स्वीकृति दी थी, इस नागतलाई के नाले को भी नहीं बनवाया गया। इसी पुलिया के ढहने से 79 आदमी बह कर मरे थे। विश्वकर्माजी के मन्दिर में से तीन लाशें निकाली थीं। क्या आपकी इच्छा है कि इस पुलिया का निर्माण न हो और आने वाली बरसात में फिर जयपुर के नागरिक बह जाय? जो पुराने एम. एल. ए. थे शायद उन्होंने अपनी धार्मिक भावना को देखते हुए यह काम कराये थे। मैं निवेदन करना चाहती हूं, आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूं

(श्री शोपतसिंह)

कि अगर जनभावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का निरादर किया और अपने कर्त्तव्य को ठीक प्रकार से अंजाम नहीं दिया तो यह ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके घण्टी बजाने से पहले ही मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि अपनी बात खतम करूं।

श्री अध्यक्ष : शायद आपकी बात समाप्त होने जा रही है इसलिये आप बहाना लेना चाहती हैं कि अध्यक्ष महोदय घण्टी बजा रहे हैं, बैठ जाऊं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से आग्रह करती हूं कि इस पुलिया के निर्माण कराने की घोषणा करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव हनुमानगढ़ और गंगानगर में चुनाव के फौरन बाद मकान और दुकानों को गिराये जाने के सम्बन्ध में है। शायद पहले उन्होंने इसलिये इजाजत दी थी नाजायज कब्जों की कि चुनाव में कुछ वोट हासिल कर सकें और चुनाव के बाद उन्हीं मकानात और दुकानों को गिरा दिया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की घटना बड़ी अजीब है। अगर कोई कांग्रेस का विधायक हार जाता है, जनता उसे पसन्द नहीं करती तो क्या विधान में उन लोगों को सजा देने का प्रावधान है कोई। अगर है, तो फिर काहे का प्रजातन्त्र और काहे की बात। अभी गंगानगर में चुनाव के बाद ठीक 18 तारीख को करीब 20 दुकानदारों की दुकानों को तहस-नहस कर दिया जिनके पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं। मेरे पास उनकी रसीदें हैं और उनमें तारीखें नोट हैं। आज से नहीं पिछले 11 साल से यह बिजली के बिल देते आ रहे हैं। उन दुकानदारों के पास लाइसेन्स हैं। उन दुकानदारों की दुकानों को आप नोटिस दिये बिना ट्रैक्टर ला करके, बुलडोजर ला करके तहस-नहस कर देते हैं तो यह सरासर अन्याय नहीं तो और क्या है? मेरे पास फोटो है, मैं सबंधित विभाग के मन्त्री महोदय को इनकी कापी दिखाऊंगा। यह जंगल का राज है। इसको आप क्या कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी अजीब विडम्बना है, उन लोगों का इतना ही गुनाह था कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया आपको और आपका उम्मीदवार चुनाव में हार गया। आप किसी आदमी को न्यायालय में जाने का मौका भी नहीं दें और उसके मकानात व दुकानों को गिरवा दें। हजारों रुपयों का उन गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। काफी लम्बे अरसे से उनका कब्जा चला आ रहा था। वह लोग कौन थे? बड़े व्यापारी नहीं थे, कोई उनके बड़े शो-रूम नहीं थे। उनमें कोई धोबी, कोई तेल बेचने वाला, कोई साइकल रिपेयरिंग करने वाले लोग थे। इस तरह के लोगों के मकान और दुकान आप तरह से बिना किसी नोटिस के, किसी अदालत में जाने का मौका दिये बिना गिराते हैं तो मेरे ख्याल में यह कोई अच्छी बात नहीं है। किसी के लिए भी अच्छी बात

(श्री शोपतसिंह)

नहीं है। उन ग्रधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान ली बात थोड़ी देर के लिए उनका नाजायज कब्जा है। ग्रापने नाजायज क्यों डालने दिया? यह बिना मंजूरी के नाजायज कब्जा करने की बीमारी पैदा कहां से हुई? यह ग्रापने ही तो पैदा की है। न ग्राप किसी को दुकान ग्रलाट करते हैं, न बैठने के लिए किसी को जगह देते हैं। लोग रोजगार की तलाश में किसी तरह से ग्रपना पेट भरना चाहते हैं, जहां भी जगह मिली बैठ जाते हैं, ग्रापके ग्रधिकारी पैसा ले लेते हैं, उनको इजाजत दे देते हैं ग्रौर जब मर्जी ग्राये जब उनको तोड़ देते है, ढहा देते हैं। यह खेल खतम कीजिए। यह बात हमारे इन शहरों में कोढ़ की बीमारी की तरह फैल रही है, ग्राप इसका इलाज कीजिए, इसकी व्यवस्था कीजिए। मैं उन दुकानों के बारे में तो इतना ही कहना चाहूंगा ग्रौर ग्रापके सामने में यह सारे सबूत ग्रौर सारे कागजात पेश करूंगा। लाइन्सेंस बने हुए थे दुकानदारों के सब के नगर परिषद् ने उनको लाइसेंस दिये हैं, काम करने के लाइसेंस दिये हैं।

इसके बाद में हनुमानगढ़ की तरफ ग्रापका ध्यान खींचना चाहूंगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में, हनुमागढ़ टाउन में बहुत ही फर्टाइल एरिया है। भाखड़ा ग्रौर राजस्थान कैनाल ग्राने के बाद में बहुत ही डवलप हो रहा है यह एरिया। लोग रोजगार की तलाश में ग्राते हैं, मजदूरी की तलाश में ग्राते हैं, कहीं जगह चाहते हैं मगर न हमारी नगर परिषद् के पास कोई प्लानिंग है, न हमारी सरकार के दिमाग में कोई इस तरह की बात है। ग्राप ग्राखिरकार करते क्या हैं। मैं जो सम्बन्धित विभाग के मन्त्री महोदय, हैं उनसे कहूंगा कि ग्राप गौर कीजिए, यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। हनुमानगढ़ जंक्शन के ग्रन्दर हजारों एकड़ जमीन खाली है। उसके लिये हनुमागढ़ जंक्शन के ग्रन्दर कोई प्लानिंग नहीं है। पंजाब में भिंडरवाला की घटना के बाद, सेना के एक्शन के बाद वहां पर सैकड़ों गरीब लोग ग्राकर बसे हैं। हमने सम्बन्धित ग्रधिकारियों, से कहा, हमने कालोनाइजेशन विभाग के जो मण्डी सैकेट्री हैं वहां पर, उनसे कहा, हमने नगर परिषद् के चेयरमैन से कहा, भले ग्रादमियों, यह हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं गरीब लोग हैं वहां से भाग कर ग्राये हैं। मैं कल पढ़ रहा था राज्यपाल का ग्रभिभाषण, उसमें ग्रापने लिखा है, राज्यपाल महोदय, ने कहा है, हमने सब लोगों, जो वहां से ग्राये हैं, की बड़ी ग्रच्छी व्यवस्था की है। ग्रापने क्या व्यवस्था की है, जनाब? मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को बसाया है ग्रापने जो वहां से ग्राये हैं। वह गरीब, लोग हरिजन, है जो मजदूरी का पेशा करते थे। उनके पास पीले कार्ड हैं। पंजाब में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनको पीले कार्ड दिये गये हैं, उनके पास राशन कार्ड हैं। मैंने बार बार वहां के ग्रधिकारियों से इस बात के लिए मिन्नत की, जब उन्होंने झोंपड़े डाले उनको जला दिया गया। यह टेलीग्राम किया हमने। मैं ग्रापसे एक ही बात कहना चाहता हूं ग्रगर ग्राप लोगों को कोई दिलचस्पी है गरीब लोगों को बसाने में ग्राप लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि गंदी बस्तियां ग्राबाद न हों, पक्का बस्तियां ग्राबाद न हों, शहरों में ग्रौर एक सिस्टेमेटेकली, ढंग से हम सारे शहरों को डवलप करें

(श्री शोपतसिंह)

तो फिर आपको इन समस्याओं के बारे में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आदमी को आप रोजगार नहीं दे सकते, आप किसी को रोटी की गारण्टी नहीं दे सकते, उसके लिये आप को खेद है कोई तो आप उनको बैठने के लिए जगह तो दीजिए। वह भी नहीं देना चाहते फिर किस मतलब की है आपकी सरकार। क्या कर रही है इस तरह के महत्वपूर्ण....

(व्यवधान)

हां बोलिये........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) अध्यक्ष महोदय, यह आपकी तरफ मुंह करके सम्बोन्धित करें। कभी इधर कभी उधर देखते हैं तो यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोतपसिंह : देखने पर कोई पाबन्दी नहीं है, कहीं भी देख सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप व्यवस्था करिये, कल्ला साहब को नजर का खतरा है, साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सामने।

श्री अध्यक्ष : खतरा ही खतरा, आपको भी हो सकता है।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब को शिकायत है कि मैं इधर देख रहा हूं। तो कहां देखूं? हमारे रहनुमा आप हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, को तो मैं सम्बोधित कर रहा हूं मगर, मेरे रहनुमाओं, तुम्हारे में है कोई दम कि तुम्हारी तरफ देखें हम।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : हमारे रहनुमा तो यह हैं, हम अपने रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं और आप कह रहे हैं, साहब, हमको क्यों कह रहे हैं। तो किसको कहें? इधर आ जाइये, पधार जाइये। खैर, कोई बात नहीं यह आपका दृष्टिकोण हैं क्या करूं, कल्ला साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कोई लम्बी-चौड़ी भाषण की बात नहीं, मैं आपको सजीदगी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग और कुछ नहीं दे सकते लोगों को, आप किसी को जमीन नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, किसी को मजदूरी नहीं दे सकते, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप धरती पर रहने के लिए इस देश के किसी गरीब आदमी को जगह तो दीजिए। आप बहुत बड़ा प्लाट मत दीजिए, बहुत बड़ी कोठी नहीं बनायेगा गरीब गरीब को तो 30 × 45 या 30 × 50 फीट का एक टुकड़ा दे दीजिए। आप उसको दान नहीं कर सकते तो आप उसे थोड़ी कीमत पर दे दें, उससे पैसा वसूल कर लीजिए मगर आप यह आदत छोड़ें कि पहले लोग छप्पर डालें, डालने के लिये आपके अधिकारियों को

(श्री शोपतसिंह)

पैसा दें और पैसा देने के बाद उनकी मर्जी पर रहें। जब उनकी मर्जी आये तो बुलडोजर चला दें, ट्रेक्टर चला दें, इससे ज्यादा शर्मनाक, बात नहीं हो सकती कोई भी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव का यही मतलब था कि मैं सम्बन्धित विभाग के मन्त्री महोदय, और राज्य मन्त्री परिषद् के दूसरे मन्त्री महोदयान को यह बात बता सकूं कि बैठक कर तय कीजिए, बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है यह। यह हनुमानगढ़ की समस्या नहीं, यह गंगानगर की समस्या नहीं, पूरे राजस्थान के बड़े शहरों की समस्या में है। कहां जायें लोग? गांव के अन्दर 6 महीने काम मिलता है, अकाल की हालत है, लोग रोजगार के लिए आयेंगे, बसना भी चाहेंगे। तो यह बहुत बड़ी विकट समस्या है, इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसका समाधान निकालें। मैं इस सदन में चौथी दफा आया हूं, मैंने लगातार इस समस्या को उठाया है। यह बीमारी मेरे पास रही है क्योंकि मेरा एरिया डवलपिंग एरिया है। अभी उसमें बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, इलाका प्रोसपरस है, डवलपमेंट के साथ लोग आते हैं, इस ख्याल से आते हैं कि हमको यहां रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात कहता हुआ निवेदन करूंगा कि मेरी इस बात को मन्त्री महोदय, बड़ी गम्भीरता से लेंगे और इस समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र करने की कोशिश करेंगे। ये जो काम करेंगे वह मेरे जिम्मे तो आयेगा नहीं कि मैंने इस समस्या का समाधान किया। उनको भी भला है, उनकी पार्टी का भला है। वरना बहुत खतरनाक हालत होगी और हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। आप जो 85 में हमको देख रहे हैं आये हैं हम, हम सिर्फ भाषण ही नहीं देंगे, हम बाहर भी पकड़ेंगे। सी. पी. साहब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं मैं कि हम बाहर भी एक पकड़ेंगे इन समस्याओं के समाधान से आपका भला है और अगर आप नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, यह सन 80 नहीं 85 है, हम आपका रास्ता रोक देंगे, जन-आन्दोलन खड़ा करेंगे फिर आपको पता लगेगा। यह बात मत कर देना कि नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं, ऐसी बात न हो कि....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : एक नेता बनाओ।

श्री शोपतसिंह : 100 प्याज भी खालो × × × वही बात हो। आन्दोलन के बाद समस्याओं का समाधान निकले उससे बेहतर है कि आप बैठ कर उन समस्याओं का समाधान निकालिये जो हमारे सामने मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शोपतसिंह जी, आपका दूसरा और है राजस्थान नहर की लगातार बन्दी के बारे में। अगर कुछ आप कहना चाहें....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शोपतसिंह : मैं चाहता था....

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : एक पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जीरो आवर में पाइन्ट आफ आर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है।

राज्य सरकार ने 1-1-81 के पूर्व के समस्त कब्जों का नियमन कर दिया है। विपक्ष हमेशा लोगों को सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिये उकसाता है और सरकार के सामने समस्या खड़ी करता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, सरकार की तरफ से जवाब आ जावे तो और अच्छा रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था थी उस पर आप बोल लिये अब दूसरा स्थगन प्रस्ताव था आपका, राजस्थान नहर के लगातार बन्द रहने के कारण हुए नुकसान के बारे में। उस सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो आप कह लीजिये।

श्री शोपतसिंह : इसका जवाब आ जाता।

श्री अध्यक्ष : आपने जो कुछ कहा है, सरकार का कर्त्तव्य था उन्होंने नोट किया है।

श्री शोपतसिंह : बहुत अच्छी बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना जो परसो स्थगन प्रस्ताव दिया वह इस बारे में था कि राजस्थान कैनाल और भाखरा की नहरों में पानी नहीं बहे उस इलाके की फसलें सूख रही हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस फसल का नमूना लाया हूं। यह गेहूं है मेरे इलाके का राजस्थान कैनाल का। यह गेहूं है भाखरा का। राजस्थान कैनाल का यह गेहूं है, आप जरा मुलाहिजा फरमायें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : यह कौन सी किस्म है?

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह किस्म पैदा ही ही नहीं हुई, पैदा होने से पहले ही मर गई। आप बताइये कि यह कौन सी है। जो किस्म पैदा होने से पहले ही मर जावे, किस्म उस समय सम्भाला करते हैं जब किस्म जवान हो जाती है। तब पता लगता है कि यह कौन सी किस्म है। आपकी किस्मों के बारे में मैं क्या बता सकता हूं क्योंकि आप अभी पैदा ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : यह किस्म नागपुर

(श्री शोपतसिंह)

की है या कहां की है, कैसे पता। यह तो जब आप बोलेंगे तब पता लगेगा।

(व्यवधान)

श्री अश्कअली टाक (फतेहपुर) : इनको नागपुर के नाम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आपको तो चाइना की दिखाई देती है।

श्री शोपतसिंह : बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : गेहूं के बारे में हम ज्यादा जानते हैं आपसे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : सी. पी. एम. के होकर ईश्वर के नाम पर शपथ ली है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपसी बातचीत नहीं। आप जारी रखें अपने विषय पर।

श्री शोपतसिंह : ये छेड़ रहे हैं मुझे अकेला देख कर।

श्री अध्यक्ष : अपने विषय पर जारी रखें आप।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हंसने की बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है थोड़ी बहुत भी, तो आप महसूस कीजिये। यह मैं किसान के खेत से लाया हूं जिसको आप मुस्कराकर देख रहे हैं। उस किसान की जिन्दगी खेत से है। अगर उसकी फसल अच्छी है तो उसकी जिन्दगी अच्छी है, उसकी फसल तबाह है तो उसकी जिन्दगी तबाह है।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार ही किसान विरोधी है।

श्री शोपतसिंह : यह बेशर्मी की हद है इनकी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों गुलाबसिंह जी शक्तावत साहब का एक भाषण पढ़ा, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, मारवाड़ को चमन बना दूंगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, मारवाड़ को चमन बना दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री) यह कहां पढ़ा है आपने ?

श्री शोपत सिंह : मैंने अखबार में पढ़ा है साहब, सुना नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : मारवाड़ भी मेरा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शोपतसिंह जी, न मैंने मेवाड़ कहा है, न मारवाड़ कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अरे भाई, इनका इरादा ही नहीं है चमन बनाने का ।

श्री शोपतसिंह : यह बुरी बात नहीं करें ।

श्री अध्यक्ष : आपसी, बातचीत नहीं करें ।

श्री शोपतसिंह : यह बेड नेम नहीं है, It is a good name.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं कम से कम आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि सदन में जो कुछ कहें वह मेरे वक्तव्य को आथेण्टिक तरीके से रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैंने कहीं भी न मारवाड़ न मेवाड़ शब्द कहा है ।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मान ली बात । अखबार लाया नहीं हूं क्योकि यह कोई बुरा स्टेटमेंट नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह कुछ करने वाले नहीं हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, मेरे में क्षेत्रीय भावना नहीं है जो मैं मेवाड़ की बात सोचूं या मारवाड़ की बात सोचूं । सोचूंगा तो राजस्थान की बात सोचूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप तो अपने घर को चमन रखो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मारवाड़ कह दिया, मेवाड़ है यह । यह अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि मेरे राजस्थान के किसी सिचाई मंत्री में यह जुर्रत तो पैदा हुई, यह तड़फन तो है, कम से कम इरादा तो बना चमन बने या न बने मगर बात तो चमन बनाने की कहता है इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शोपतसिंह : इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है । मगर मैं क्या करूं, मेरे साथ में बड़ी ज्यादती हो रही है । मैं चमन की बात कहता हूं तो परेशानी होती है । नागपुर का नाम लेता हूं तो परेशानी होती है । यह तर्क किस तरह का है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे । नागपुर का नाम लेता हू तो अच्छे सेंस मे लेता हूं और यह चमन की बात कहता हूं तो भी अच्छी बात है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि यह बुरी बात नहीं है, आथेंटिक नहीं है तो भी हम अच्छी बात मानते हैं । आपके इरादे इस राजस्थान को चमन बनाने के हैं तो बहुत अच्छी बात है । यह आपको क्रेडिट जायेगा, यह बहुत अच्छी बात है । आपकी शोहरत और ज्यादा फैलेगी इस मामले में ।

(श्री शोपतसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह गेहूं तो दिखा चुका। यह बकायदा मेरे पास चिट लिखी हुई है, जब मैं गांव में दौरे पर गया तो बाकायदा यह लाया हूं कि कौन से चक्र के कौन से बीघा और मुरब्बे का यह गेहूं है। यह 36 एस. एम. डब्ल्यू. चक नम्बर 21 जे. आर. के. की फसल है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि चमन तो बनाइये मगर चमन को उजाड़ना कितना बड़ा गुनाह है यह भी देखिये। राजस्थान कैनाल और भाखरा क्षेत्र को अगर आप दुबारा रेगिस्तान बनाना चाहते हैं तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे। नहरों में पानी नहीं। समझ में आती है बात, दरिया में पानी सूख जावे, वर्षा नहीं हो, हम बरदाश्त करेंगे। नेचुरल केलेमिटी है, हमको बरदाश्त करना चाहिए। मगर पंजाब में पानी लगे, पंजाब के गेहूं की फसल में चार-चार पानी लगें और उसी भाखरा सिस्टम और राजस्थान कैनाल सिस्टम के गेहूं में एक पानी नहीं लगे। तो हम कहेंगे कि यह हमारे साथ ज्यादती है, हमारे साथ डाकाखानी हो रही है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। आप लोग चुपचाप बैठे हैं। मैं चाहता था कि आप कुछ बात बोलें। मैं चाहता था आप कुछ जवाब दें। इस गेहूं के काश्तकार ने, इस खेत के काश्तकार ने, एक-एक एकड़ में पांच सौ रुपया खर्च किया। सिविल एरिया की गेहूं है यह बारानी एरिया की गेहूं नहीं है पांच सौ रुपया एकड़ के हिसाब से उसने इसमें खाद डाली, इस जमीन को ठीक किया, इस पर उसने दूसरी खाद डाली, बढ़िया बीज लाया। उसका पांच सौ रुपया प्रति एकड़ खर्च हो चुका। पांच सौ रुपया प्रति एकड खर्च करने के बाद अगर किसान की फसल नहीं होती है तो कोई आप मुआवजे का तय करते हैं? नहीं करेंगे? किसी सेठ की दुकान जल जाये आप उसका बीमा कर देंगे। किसी कारखानेदार को घाटा हो जावे, दिवाला निकल जाय, वह रूई की गांठों में आग लगाकर आपसे वसूल कर लेगा। मगर आपने सिंचित एरिया के किसानों को न कभी मुआवजा दिया, न कभी इसकी इमदाद की, उल्टा आपने सिंचाई कर वसूल किया है, सिंचाई मंत्री महोदय, और हमने बरदाश्त किया है। आपको देखना चाहिए।

श्री सी. पी. जोशी : यह कुलक बोल रहा है।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : कुलक गरीब की बात कहता है और गरीब का बेटा भी पैदा करता है पूंजीपति। ×××

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह सी. पी. एम. नहीं है, यह कुलक बोल रहा है। यह सी. पी. एम. बोले तो समझ में आता है।

श्री शोपतसिंह मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कुलक का बेटा होकर गरीबों की बात करता हूं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, कुलक की बात कर रहेहैं

श्री शोपतसिंह : सी. पी. जोशी, गेहू कुलक पैदा नहीं करता, किसान पैदा करता है।

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिए किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। राजस्थान में सिचाई के लिए सात सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं इसमें हमारी जनता का पैसा भी है। किस प्रकार की बात करते हैं आप ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज सारा राजस्थान चिल्ला रहा है। जिस प्रकार से पांच साल का लगान मय व्याज के वसूल किया जा रहा है इसको आप बड़ी प्रगतिशीलता का घोतक बता रहे हैं शर्म करो थोड़ी। आप किसान को लूट रहे हो।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कुलक लावी का एक आदमी है वह भी....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह मैं समझ रहा था कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफेसर हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रोफेसरी करने वाला आदमी किसान की बात जानता ही क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

(12 म. प.)

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आने वाले हैं, मुझे कुलक कहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसी बात आप स्वयं उठा देते हैं। आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री शोपतसिंह : मैं विषय पर बोल रहा हूं लेकिन वह छेड़ें तो चुप कैसे रहूं। मैं जवाब दूंगा। कुलक जो मेरे लिए कलंक का नाम है, उनके लिए क्या कहें, ××× जिन्होंने बिरला को भेजा.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : ××× आप लोगों से वोट प्राप्त करके राज प्राप्त किया बिरला ने।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुलक का बेटा हूं कहां पैदा हुआ यह मेरे वश की बात नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × × उनमें एक श्री सी. पी. जोशी भी थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पावों पर है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाये जायें। यह सदन की परम्परा नहीं रही है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे। यह शोपत सिंह जी ध्यान रखें।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह था....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने किसान की व्यथा को आपके सामने रखा। मैंने कहा कि कौन से चक में है और कहां से लाया हूं। सी.पी. जोशी साहब ने मुझे कुलक का बेटा कहा तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। यह हकीकत है कि मैं कुलक का बेटा हूं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। यह पैदा होना मेरे वश की बात नहीं थी। शायद उनको मालूम हो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य जो ट्रेजरी बेंच में बैठे हैं, वह लोग हैं, उनमें अधिकतर मैं नौजवानों की बात नहीं करता, जो पुराने सदस्य हैं, कुछ, × × × जिन्होंने कांग्रेस का वोट देकर भेजा, वह बात करते हैं, कुलक की बात करते हैं × × ×

श्री सी. पी. जोशी : × × × शोपत सिंह जी, आप होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : You represent the Kulak. गंगानगर में ही किसान नहीं हैं, मेवाड़ में भी काश्तकार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चुपचाप बैठें माननीय सदस्य, विषय पर आ जायें।

श्री शोपतसिंह : मैं विषय पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं अनुभवी हैं, संयम रखें।

श्री शोपतसिंह : संयम की बात नहीं है, बात का जवाब देना मेरा अधिकार है। मैं चुप रहूंगा, जवाब नहीं दूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा। मैं इनकी पोल खोलना चाहता हूं।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(२५)

श्री सी पी. जोशी : You are the kulak. You are not C.P.M.; you represent the kulak. You certainly lead the kulak.

35 साल से कुलक राजस्थान में हावी था अब हावी नही होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। शोपतसिंह जी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या इस हाऊस में जो किसान की बात करेगा उसको ट्रेजरी बेंच के लोग कभी बोलने ही नहीं देंगे। क्या ऐसा फैसला कांग्रेस के लोगों ने किया है। आपके माध्यम से मैं यह सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबको मौका मिल रहा है, सब बोल रहे हैं, व्यवधान न डालें।

श्री शोपतसिंह : माननीय, अध्यक्ष महोदय, बड़ी अच्छी बात कही है हमारे नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप विषय पर आ जायें, कृपया।

श्री शोपतसिंह : बहुत खराब बात कह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी जोशी : यह कुलक है, गरीब की बात नहीं करते। मैं तो गरीब की बात करूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : कुलक, कुलक, कुलक।

श्री शोपतसिंह : नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने बहुत अच्छा कहा है कि अब तक कुलक की हुकूमत रही थी, अब कुलक को नहीं आने देंगे। यानि पहाड़िया साहब कुलक थे उनको कुलक नजर आये।

श्री अध्यक्ष : शोपतसिंह जी, आप अपनी बात कहें। माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें।

श्री शोपतसिंह : हमारे माथुर साहब कुलक नजर आये। बाकी सब लोग कुलक नजर आये, सुखाड़िया भी कुलक थे। अब हरिदेवजी जोशी, जिन्होंने मुरब्बे मारे खूब, इनको कुलक नजर नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय शोपत सिंह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप नियमों के अन्तर्गत लगाये जाते हैं। माननीय सदस्य, अपने आपको सीमा में रखिये।

श्री शोपतसिंह : यह मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप किये हों तो विथड्रा करने के

(श्रीशोपतसिंह)

लिए तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब कह रहा था तो यह सोच रहा था कि किसान की फसल की तबाही की बात करूंगा तो मुझे कुछ हमदर्दी मिलेगी मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि आखिरकार हमारे माननीय सदस्य, जो ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं, एतराज किस बात का हुआ। मान ली बात कि कुलक का बेटा हूं और भागता हुआ चोर डूबते हुए बच्चे को निकाल दे तो गुनाह नहीं है। भागता हुआ चोर किसी तालाब में डूबते हुए बच्चे को निकाल दे तो गुनाह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह : मैं कुलक का बेटा होकर भी किसान और उस इलाके, उस प्रदेश के गरीब की बात करता हूं तो यह मेरा गुनाह नहीं माना जाय। मैं ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों को कहता हूं, मैं कोई पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थगन प्रस्ताव पर आ जाइये।

श्री शोपतसिंह : मैं स्थगन प्रस्ताव पर आऊं कैसे।

श्री अध्यक्ष : तो फिर मुझे चर्चा बन्द करनी पड़ेगी। मैंने आपको मौका दिया है, अपनी बात कह दीजिए आप।

श्री शोपतसिंह : मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उन्होंने मेरे पर आक्षेप लगाया है कि मेरे पास जमीन कितनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई आक्षेप नहीं है। ज्यादा जमीन है या कम जमीन है यह आक्षेप की बात नहीं है।

श्री शोपतसिंह : मैं सीलिंग से ज्यादा जमीन दबाये बैठा हूं यह सी. पी. जोशी को बरदाश्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप किसकी बात कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मेवाड़ में भी काश्तकार रहते हैं। वहां पर जागीरदार के पास जमीन नहीं है और आप कहते हैं मैं कुलक नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर

अध्यक्ष महोदय, यह अपमान जनक शब्द बोलना, आरोप लगाना इस सदन में मर्यादा के विरुद्ध है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कुलक के बाद क्या क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पर्सनेली, मेरा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनको मना करें और इस प्रकार के शब्द जो उन्होंने कहें हैं, आरोप लगाये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कोई भी बात नहीं कही। कोई पॉलिटिकल बात कह रहा हूं मैं, और अभी भी कहना चाहता हूं, मैं कुलक की बात कर रहा हूं। हमारे यहां भी काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं। एक तरफ तो बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, गरीब की कहते हैं, मैं सी. पी. एम. का आदमी हूं, जरा करैक्टर को मजबूत करेंगे। 20–25 साल से राजस्थान नहर का पानी किसने लिया ? इनकी हैसियत क्या बनी ? यह नेतागिरी नहीं चलेगी। सी. पी. एम. का नाम लेकर ईश्वर के नाम पर शपथ ली....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! श्री सी. पी. जोशी, आर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य, मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाये जायें।

नियमों में अपने प्रावधान है कि किस बात को किस तरह से कहना है। किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे में ऐसे शब्द काम में नहीं लिये जायें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि इस बात को निश्चित रूप से वे ध्यान में रखें कि सदन की गरिमा जो अपनी है उस गरिमा को बनाये रखने में सहयोग करें। मैं माननीय सदस्य, श्री शोपत सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी जो बात कहनी है वह दो मिनट में कह दें और इस बात को समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार श्री जोशी इण्ट्रप्शन कर रहे हैं, आप इन्हें बैठा दीजिये।

श्री शोपतसिंह : We will not allow to anybody.

श्री सी. पी. जोशी : We will not allow you.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री शोपतसिंह : We will not permit you.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर माननीय श्री शोपत सिंह।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आक्षेप लगाये जा रहे हैं मेरे खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शालीनता से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये।

श्री शोपत सिंह : आप काबू कीजिये ट्रेजरी बैन्चेज को। मैं बहुत ही शालीनता

(श्री शोपत सिंह)

के साथ कहना चाहता हूं कि अभी मेरे पर आरोप लगाया गया कि मैंने सीलिंग से जमीन छुड़ा ली। एक एलीगेशन था मेरे खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा है, मेरे पास कितने मुरब्बे हैं। What do you mean by this?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर न हों।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, फिर दुबारा निवेदन करना चाहूंगा कि जिस विषय पर बात चल रही है उसी विषय तक अपने आपको सीमित रखें, विषयान्तर न हो।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां तक कहा गया, मैंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है। × × × लेते तुम्हारे, ये × × × लोग लेते हैं, ईश्वर के नाम पर। मैंने सत्य निष्ठा से शपथ ली है, इनको यह भी मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विषय पर आइये....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : × × × नहीं लेते, अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य × × × शब्द एक्सपंज किया जाय....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : × × × शब्द गलत है। × × × शब्द नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शोपत सिंह जी × × × शब्द एक्सपंज कर दिया, आप बैठिये।

श्री शोपत सिंह : मैं मेरे यह शब्द विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, आप कभी आवेश में आकर कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और बाद में आपको स्वयं पश्चाताप होता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी किसानों की फसल के बारे में बात कर रहा था। मेरा निवेदन है कि जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई या तबाह होने जा रही हैं उनको बचाया जाय। पंजाब और हरियाणा के पानी का अपना शेयर मिलना चाहिए, हमारा शेयर वह यूज नहीं करें। इस बात की फौरन व्यवस्था की जाय। यह फसल तो तबाह हुई, यह तो हम रोयेंगे। इस फसल को देख कर रो रहा है किसान, मगर आने वाली फसल तबाह न हो, खरीफ की

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शोपतसिंह)

बुवाई की अगर व्यवस्था नहीं की गई और इसी तरह से उस किसान को उजड़ने दिया गया, उसकी इमदाद नहीं की गई तो वह बरबाद हो जायेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की फसल तबाह हो गयी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सिंचाई विभाग में ऐसा कायदा है मगर मुआवजा नहीं दिया गया।

गंगानगर की एक बड़ी अजीब तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। गंगानगर जिले के किसान की आज से दो साल पहले 20 करोड़ रुपये की चने की खड़ी फसल तबाह हो गई, बीमारी से। यह मेरी बात नहीं है Report of Collector is there.

नम्बर एक। नम्बर-दो लास्ट ईयर नरमें की फसल, अमरीकन काटन की फसल तबाह हो गई। नम्बर–तीन, गद्दियों पर बैठे लोग चुनाव में मशगूल रहे तीन महीने और पंजाब और हरियाणा हमारे शेयर का पानी लेता रहा। आज वहां का किसान रो रहा है, उसकी फसल तबाह हो गई। यह नमूने के तौर पर मैंने कुछ बातें रखी हैं। अगर किसान के प्रति थोड़ी हमदर्दी है तो जरा इन पौधों को देखें, मुलाइजा करें और उस किसान को बचाने की कोशिश करें। नहीं करेंगे तो यह फार्म है हमारा, डेमोक्रेटिक फार्म है, आप नहीं सुनेंगे, इसी तरह से व्यवहार होता रहा, ट्रेजरी बैन्चेज जो व्यवहार कर रही है कि किसान की बात करने वाले कुलक कहलायेंगे तो रास्ता दूसरा तलाशना पड़ेगा। राजस्थान में समस्याओं के हल के रास्ते फिर तलाश करने पड़ेंगे। अगर मेवाड़ का जन प्रतिनिधि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर न हों।

श्री शोपत सिंह : गंगानगर के इलाके के किसान को सरसब्ज इलाके के किसान को कुलक कहेंगे। तो फिर इसकी परिभाषा दूसरी तरह से होगी। हम चाहते हैं चमन बने राजस्थान, मेवाड़ भी और अपना मारवाड़ भी मगर गंगानगर के चमन को उजाड़िये मत। मैं तो यही आपसे कहने जा रहा हूं, कुछ इलाका बरबाद कर दिया पानी ज्यादा छोड़कर और कुछ इलाका उजाड़ दिया आपने पानी नहीं देकर। यह बहुत गम्भीर समस्या है, इस पर विचार कीजिये। हमारे इलाके के किसान को बचाइये। मुझे यही कहना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल फिर समाचार मिले, पिछले चार दिनों में कोटा के 100 बच्चों की ओरी से मौत हो गई, पीलिया से 25 लोग पिछले 5–6 दिन में मर गये। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मूव किया है, दो स्थगन प्रस्ताव दिये है, कल भी मैने आपसे चर्चा की थी। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलम्ब इस पर अपना वक्तव्य दे। हालत यह हो रही है, पीलिया के कारण, मच्छरों के कारण और तीसरा ओरी के कारण बच्चों में बीमारी फैल रही है। पूरे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान में लगातार. घटनायें होती जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस पर विचार करूंगा। निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : टेलीग्राम आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कहा न कि विचार करेंगे। मुद्दा एक ही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बीमारी बढ़ रही है। कल भी हमारे हरि कुमारजी ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। पीलिया की बीमारी के बारे में। तीन व्यक्ति रामगंज मण्डी में गन्दा पानी पीने के कारण मर गये। कोटा जिले में भयंकर रूप से माता का प्रकोप है जिसके कारण आये दिन छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है। पूरे राजस्थान में यह बीमारी फैल रही है। राजस्थान सरकार किसी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार को परसों के दिन, सोमवार को सबसे पहले अपना वक्तव्य देना चाहिए, यह मेरी मांग है। मेरे पास इस प्रकार का टेलीग्राम है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। आप बोल लिये, आप बोल लिये, बात तो एक ही है। मैंने कह दिया, मैं इस विषय पर विचार करूंगा। आपसे बातें करके तय करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) अभी माननीय सदस्य, श्री शोपत सिंहजी अपने विचार रख रहे थे तो बीच में इन्ट्रप्शन हुआ, कई लोगों ने व्यवधान डाला और आपको भी आसन से कई बार शांत रहने के लिए कहना पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई कि आपकी चेतावनी को माननीय सदस्य ने नहीं माना तब आपने नाम पुकारा माननीय श्री सी. पी. जोशी। नियमों में प्रावधान यह है, मैं हवाला देना चाहता हूं यह रूल है 292....

The Speaker may ....

श्री अध्यक्ष : नाम तो कई सदस्यों के पुकारता हूं। आपका भी मैंने नाम पुकारा था। मैं नाम कई सदस्यों के पुकारता हूं। किस सन्दर्भ में पुकारा जाय उसको देखने की बात है। मैंने आपका भी नाम पुकारा था। कई बार आपसे भी बीच में कहा था, "माननीय श्री भंवरलाल जी"।

एक माननीय सदस्य : साहब, यह नियम तो इन्हीं पर लागू होता है हमेशा।

श्री भंवरलाल शर्मा : किस सन्दर्भ में नाम पुकारा जाता है—This is important.

आपने मुझे बोलने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : सन्दर्भ तो मुझे ज्यादा मालूम है, मैंने किस सन्दर्भ में पुकारा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका और हमारा सन्दर्भ एक होना चाहिए—Let me read first. फिर इस पर एक्शन लें।

(30)

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावना को समझ गया हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : The Speaker may if he deems it necessary name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो पहले ही चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : इस रूल को आपने भी पढ़ा होगा।

श्री शोपत सिंह : वह तो डिप्टी मिनिस्टर बनना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह (टोड़ाराय सिंह) : मैंने 295 का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको देखा है, मैं उसको इस रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : मुझसे चर्चा कर लें, उसके और कई रास्ते हैं।

श्री नाथूसिंह : क्योंकि जीरो आवर चल रहा है उसके हिसाब से....

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर तो माननीय सदस्य हर रोज चलता है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप बिराज जायें तो मैं निवेदन करूं। मैंने जो नोटिस दिया है उसका महत्व यह है, अगर यह बात आज नहीं उठायी गयी तो सदन में........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राजा मानसिंह के बारे में वक्तव्य दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : और आपके अधिकारियों ने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है, आपका अधिकार है बोलने का, आप उसमें मुद्दे उठा सकते हैं। कृपया बैठें।

माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अलग मामला है। दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस वक्त नहीं दे सकता हूं। कृपया क्षमा करें। बैठ जायं।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट में बात समाप्त कर दूंगा। कल ही जवाब दे रहे थे, इधर मुख्य मन्त्रीजी बयान दे रहे थे उधर जिलाधीश महोदय ने राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, जिन्होंने हत्या बताया 22 फरवरी, 1985 की खबर छापी कि

(श्री नाथूसिंह)

हत्या है मुठभेड़ नहीं है, पत्नी को मिटी मजिस्ट्रेट को भेज कर सस्पेंड कर दिया और धमकी दी कि आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने खबर छापी। इसके सम्बन्ध में कोई भी समाचार....

श्री अध्यक्ष : आप तो सारी बात कह रहे हैं। आर्डर प्लीज। धन्यवाद प्रस्ताव पर जो कहना हो कह सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र की मेरे पास कटिंग है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : जिसमें जिलाधीश ने अपने कुत्ते का इलाज कराने के लिये यू. आई. टी. की कार दिल्ली भेजी। उन्होंने खबर छापी, उस खबर पर उनको धमकाया और कहा कि तुमने यह खबर कैसे छापी। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि वहां के अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि लोगों को परेशान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली।

श्री नाथूसिंह : जो जांच चल रही है वह प्रभावित हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : पहले कहा जा चुका है। मैं इस मुद्दे को अब उठाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 295 का मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंहजी ने कह दिया है ना। उसकी व्यवस्था उसके साथ हो जायेगी।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गोद की समस्या को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, मुझे जानकारी यहां पर दे दी है, मुझे जानकारी मिली है कि जिलाधीश महोदय और एस. पी. यहां आ गये हैं, उन्होंने सारी जानकारी यहां पर दे दी है। यह एक बहुत गम्भीर विषय है। दो महीने से बाजार, दुकानें बन्द हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, स्थिति विस्फोटक है। कृपया बहुत जल्दी इस मामले को चर्चा के लिये रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री भी बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी। सुश्री गिरजा व्यास।

व्यवस्था का प्रश्न सदन में प्रश्नकाल अंकित न करने के आदेश

श्रीभंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यवस्था का प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय, दो दिन का आपका कार्यकाल रहा है 20 और 21 इन दो दिनों में दो घटनायें ऐसी हुई हैं जिससे हमको आपका कुछ मार्गदर्शन चाहिए ।

पहले दिन हमने यह प्रश्न रखा था कि प्रश्नकाल खतम कर दिया गया है, आपसे निवेदन किया था कि आप प्रश्नकाल को रखवाइये । तो हमको यह बताया गया था कि यह सम्भव नहीं है । लेकिन कल हमको यह प्रश्न मिल गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : 25 तारीख के मिले ना ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कल मिल गये ना मतलब आज रखे जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कल रात को मिले हैं आपको ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल रात को मिल गये । मतलब आज रखे जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी है । सारी बात आपको बता दी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दूसरी बात कह रहा हूं साहब, आप 25 को रखें और 25 को भी न रखें वह बात अलग है। दिक्कत यह आ गयी थी कि सम्भव नहीं है । जब कल ही हमारे पास पहुंच गये तो आज रखने में क्या दिक्कत थी, हम जानना चाहेंगे । जब कल हमको मिल ही गये, प्रश्न लिखित में आ गये, उत्तर आ गये, सब कुछ हो गया तो आज प्रश्नकाल समाप्त करने का क्या औचित्य था एक तो यह बात हमको बताना आवश्यक है ।

दूसरा, आपने कई बार बीच में निर्देश दिये, अंकित न हो, अंकित न हो । "यह विधान सभा बड़ा पवित्र स्थान है और इस की जो कार्यवाही है वह भी अत्यन्त पवित्र है । उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा कौन सा अधिकार है कि जो कुछ हम बोलें उसको लिखा भी न जावे । रूल्स को मैंने देखा है, उसमें अंकित न हो ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है । अगर आपको अधिकार भी है तो आप हमको यह निर्देश दीजिये । कि कब आप अंकित होने की बात स्वीकार कर लें और कब आप कह दें कि अंकित नहीं होगा ताकि हम आइन्दा बोलते समय यह ख्याल रखें कि यह बात तो अंकित होने के काबिल है और यह नहीं है । या केवल आपकी मर्जी के आधार पर आपकी निगाह देखते रहें कि साहब अध्यक्ष महोदय, इस मूड में है, अभी तो अंकित हो जायेगा और अभी नहीं होगा । तो यह मार्गदर्शन हमको आपका इन दोनों बातों पर चाहिए ।

दो दिन की आपकी लाइफ है एज ए स्पीकर, दोनों दिन में यह घटना हुई है । क्वेश्चन आवर आपने उड़ा दिया । उड़ाने के बाद हमको चैम्बर में समझाया कि सम्भव नहीं हो सकता है और यह कल ही हमको मिल गये । सम्भव भी हो गया । तो आज क्वेश्चन आवर कैसे खतम किया नम्बर एक। दूसरा यह एक्सपंज करवाने....

श्री अध्यक्ष : आप रिपोर्ट न करें इतना विश्वास रखें मैंने सुनली आपकी बात....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भी रिपीट नहीं करूं और यह एक्शन यहां से भी रिपीट न हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न उठाये हैं पहला तो यह प्रश्नकाल के बारे में है। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि यह निर्णय मेरा दिया हुआ नहीं था, तत्कालीन माननीय श्री पूनमचन्द जी ने 14/3 को यह निर्णय दिया था। उसी आधार पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : पुनर्विचार के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पुनर्विचार करने के लिये कहा था और पुनर्विचार करने के लिये आपसे बात हुई थी, यह भी आप जानते हैं। आपने प्रश्न उठाया था और मैंने आप ही को बुलाकर बात की थी। माननीय सदन के जो दूसरे सदस्य थे, जो सम्बन्धित थे, उनसे भी बुला कर बात की थी। यह स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार के सामने 25 तरीख बता दी गई, 25 तारीख को प्रश्नों का जवाब आना है तो हमने कहा था कि इस बीच में सम्भव नहीं हो सकेगा कि दो दिन में मैं कोई जवाब मंगा सकूं। इसलिये जो प्रश्नकाल रखा गया वह 25 से ही प्रारम्भ किया जायगा। यह जहां तक छपने की बात है, यह तो विधान सभा में प्रश्न आये हैं। विधान सभा प्रश्नों को स्वीकार करके डेट तय करने के लिये प्रश्न निकालती है। प्रेस में प्रश्न जाते हैं। तो उन प्रश्नों को छपाने का मतलब यह नहीं हो गया कि राज्य सरकार के जवाब भी छपाने के साथ साथ ही आ जायेंगे। इतना तो आप समझिये, सोचिये इस बात को कि यह बात जो जवाब आने की है, राज्य सरकार से जवाब आने के लिये। जब पहले से राज्य सरकार को यह बता दिया गया था कि 25 से प्रश्न काल शुरू होगा, उस बीच में 23 तारीख को या 22 तारीख को या 21 तारीख को प्रश्न काल में करूं, वह सम्भव नहीं था यह बात मैंने आपको बताई थी। छपने के लिये तो यह प्रश्न आज 27 के छप रहे हैं, 26 के छप रहे हैं। प्रश्न तो विधान सभा के पास रखे हैं, उसमें स्क्रूटनी करके कौनसा प्रश्न किस दिन आना है वह तो छप ही जायगा उसमें क्या दिक्कत है। उसमें कोई बात नहीं है। इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नियमों के विपरित या कोई एसी बात की गई है जिससे माननीय सदस्यों के अधिकारों पर जान-बूझ कर यह किया गया हो कि अधिकारों को खतम कर दें, अधिकारों के ऊपर कोई पाबन्दी लगा दी हो। ऐसी कहीं भावना नहीं है और न भविष्य में ऐसी भावना रहने वाली है।

दूसरा प्रश्न आपने बताया कि अंकित न हो, यह कहीं रूल में प्रावधान नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि इस सदन में हमेशा यह परम्परा रही है, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब अध्यक्षीय व्यवस्था दिये जाने के बावजूद भी, काफी कोशिश करने के बावजूद भी कई माननीय सदस्य जो विषय यहां पर नहीं चल रहा है उसके विपरीत बोलते ही चले जाते हैं चारों तरफ से खड़े हो करके तो फिर मजबूरी में यह व्यवस्था देनी पड़ी है कि अंकित न हो ताकि

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य वापस अपने विषय पर आ कर के अपनी बात कहना शुरू करें और अपनी बात शुरू हो जाती है। तो हर वक्त अंकित न हो की बात का उपयोग नहीं होता है यह रेयर केसेज में होता है और उस स्थिति मे जब सब तरह की व्यवस्था दें और फिर भी माननीय सदस्य अपना आग्रह इस प्रकार का रखें और उस की अगर पालना न हो तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं रहता। उस स्थिति में ऐसी बात कही गई है। बाकी आप, माननीय सदस्य, विश्वास रखिये, यह मुझे मालूम है कि इस सदन में माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है, उनके बोलने के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी लगाई नहीं जा सकती। लेकिन ऐसी स्थितियां बन जायें जहां इस सदन में विषय चल नहीं रहा है, इर्रेलेवेन्ट बातें अपन सब कर रहे हैं, आपस में इतने अपन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यो-रोप लगाते हुए उलझ जाते हैं जिससे सदन की जो महत्वपूर्ण कार्यवाही होने वाली होती है उसका समय जाया होता है, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्था देनी पड़ती है और वह व्यवस्था देने की परम्परा इस सदन की आज से नहीं सदैव से रही है। नियमों के साथ साथ हम परम्पराओं का भी पालन करते हैं, यह माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं हम आपने भी मुझे प्रथम दिन यही आग्रह किया आप नियमों के साथ साथ परम्पराओं का भी पालन करेंगे और नई परम्पराएं कोई अच्छा और विशेष परम्पराएं होंगी तो उसको भी आप आगे और कायम करेंगे। तो मैं तो आपने जो निर्देश दिया और मेरा ध्यानाक-षर्ण किया उसी के अनुरूप काम कर रहा हूं।

माननीय सदस्य, अभिभासण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अब उस पर बहस जारी रहेगी। सुश्री गिरिजा व्यास।

श्री मालाराम (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्ष में एक....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव के बाद तो बहुत बातें दूसरी हो गई। आप मुझसे बात कर लिजिये, क्या बात है।

श्री मालाराम: बहुत महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मुझसे बात कर लीजिये।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल जी के अभि-भाषण पर रखा, जिसका समर्थन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, मैं समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहती हूं और उसी के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार विकास

(सुश्री गिरिजा व्यास)

की ओर कैसे उन्मुख है और भविष्य में विकास के हमारे क्या कार्यक्रम हैं। राज्यपाल जी ने अपने भाषण के शुरू में कहा कि उन्हें खुशी है कि इस विधान सभा में महिलाओं की संख्या अधिक है। हमें उनकी इस खुशी से प्रसन्नता है। महिलाओं की संख्या विधान सभा में 1972 में 13 थी जो घटकर 1980 में 10 रह गई और अब 15 है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की बढ़ोतरी एक अच्छी परम्परा है एवं महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में यह सभी जागरूक रहेंगी। विभिन्न शोधकर्त्ताओं ने जो निर्णय निकाला है पुरूषों के मुकाबले, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। यहां पर महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 11 32 है जब कि पुरूष साक्षरता 35.78 प्रतिशत है। मजदूरी के सम्बन्ध में भी हमें आय के कम साधन मिलते हैं। इसीलिये सरकार का रूख महिला विकास की ओर अधिक रहा, अधिक है और इसलिये महिला विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

समाज के उत्थान में महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। हमारी राज्य सरकार, अभिभाषण में जैसा कहा गया है, इसके लिये जागरूक रही है इसीलिये 1983-84 का विशिष्ट पुरस्कार, जो छात्राओं के नामांकन में अर्जित उपलब्धियों के लिये था, हमें मिला। मैं राज्य सरकार को इसके लिये बधाई देती हूं।

प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा महिलाओं की शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। हमें इसके लिये 1983-84 का पुरस्कार मिला। महिला शिक्षा के स्तर का प्रजनन गति एवं शिशु मृत्यु दर में घनिष्ट सम्बन्ध है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जहां पर महिला शिक्षा अधिक है वहां शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इसका उदाहरण देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि केरल, जहां पर कि पोषण के उतने साधन नहीं हैं जितने कि पंजाब में हैं, शिशु मृत्यु दर कम है इसका एक मात्र कारण यह है कि वहां पर महिला शिक्षा अधिक जागरूकता से है। आबादी में निरंतर बढ़ोतरी का महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है वह केवल महिलाओं को करना पड़ता है। हमारी सरकार इसके लिये जागरूक रही है। मेरा यहां पर विशिष्ट सुझाव है कि परिवार नियोजन, समाज कल्याण, शिक्षा और रोजगार के जो कार्यक्रम हैं उन्हें व्यापक बनाया जाय और राजकीय स्तर पर, जो महिला विकास प्राधिकरण है के स्तर पर इन चारों कार्यक्रमों की एक साथ क्रियान्विति की जाय।

महोदय, 20–सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में भी महिला विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 1984-85 में 20 सूत्री कार्यक्रम पर हमारी सरकार का विशिष्ट ध्यान रहा और इसलिये हमें सर्वोच्च पुरस्कार मिला। हमारी सर्वोच्चता इस सम्बन्ध में रही है, कुछ विचारकों का, खास करके जो हमारे विपक्षी भाई हैं उनका कहना है कि 1977–80 के बीच जो उनकी योजनाएं थीं वह 20 सूत्री कार्यक्रम के मुकाबले में कहीं अधिक उचित थीं। लेकिन जनता ने उनके कार्यक्रमों को नाकरा है और यही कारण है

(सुश्री गिरिजा व्यास)

कि जनता ने 1980 में और उसके बाद अभी हाल ही में हुए चुनावों में 20 सूत्री कार्यक्रम को महत्व देते हुए हमारी सरकार को पुन: कायम किया है। इसके लिये मैं जनता की आभारी हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ही हमने राजस्थान में अकाल की जो विभीषिका रही है, उससे निपटने की काफी कोशिश की और इसलिये अभी केवल 17% गांव अकाल की चपेट में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में हम अकाल की विभीषिका से और निबटेंगे। मैं सरकार को धन्यावद देना चाहती हूं कि आपने 6,017 ग्राम जो अकाल की चपेट में हैं सितम्बर तक भूराजस्व वसूल करने के लिये स्थगन दिया है। इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं पेय-जल और रोजगार उपलब्ध कराकर अकाल की समस्याओं से जूझने का सरकार का जो प्रयास है वह प्रशसंनीय है इसकी अभिव्यक्ति अभिभाषण में की गई है इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

यह वर्ष युवा वर्ष है और इसलिये महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि युवाओं की जो बढ़ोतरी हुई है, इस सदन में, वह भी प्रशंनीय है। हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये वित्तीय अनुदान और शैक्षणिक प्रशिक्षण देने की बात कही है, मैं इसके लिये उनकी अभारी हूं। शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिये नयी शिक्षा नीति, जिसके लिये राजीव जी प्रयत्नशील हैं, अभी आने वाली है। हम उसकी प्रतिक्षा में है लेकिन इस बीच सरकार ने जो वर्तमान इंजीनियरिंग कालेज हैं उनकी बढ़ोत्तरी के लिये, इंजीनियरिंग कालेज में सीट की बढ़ोत्तरी के लिये, आई. टी. आई. की बढ़ोत्तरी के लिये, पालिटेक्निक शिक्षा के लिये पालिटेक्निक कालेजेज की बढ़ोत्तरी के लिये, जो प्रयास और प्रावधान किये हैं वह स्तुत्य है। इस सबंध में मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगी कि महिला पोलिटेक्निक कालेज की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिये। उदयपुर में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने का कार्य काफी दिनों से पैंडिंग है, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि महिला पोलीटेक्निक कॉलेज उदयपुर में शीघ्र खुलना चाहिये।

राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो मूल्यात्मक और गुणात्मक सुधार हुये हैं वे स्तुत्य हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 1977 और 1980 के दौरान जब राजनैतिक अवरोध उत्पन्न किये गये उस समय खास करके कालेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा था लेकिन 1980 के बाद हमारी सरकार के प्रयत्नों से इसमें काफी गुणात्मक और मूल्यात्मक परिवर्तन आये हैं। और इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों ने सराहा है।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयत्न में यूनिवर्सिटी ने अगुवाई की है वह स्तुत्य है। मैं इस संबंध में दो बातें और निवेदन करना चाहूंगी। एक तो शिक्षा को मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिये। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, खास करके शिक्षा मंत्रालय की ओर मेरा इशारा है कि वह नैतिक शिक्षा को शिक्षा से आवश्यक रूप से जोड़ें। जैसा कि राजीव जी का मन्तव्य है, एक ओपन यूनिवर्सिटी इस प्रान्त में अवश्य होनी चाहिये।

(सुश्री गिरिजा व्यास)

पर्यावरण के संबंध में हमारी सरकार का रुख बहुत विकास परक है। अपने क्षेत्र की बात करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि पर्यावरण की दृष्टि से उदयपुर जैसी झीलों की नगरी अब बहुत पिछड़ गई है। कारण कुछ भी रहे होंगे। तेरह वर्ष से यह सीट हमारे पास नहीं थी यह भी एक कारण रहा हो। हालांकि ढाई वर्ष तक उनकी सरकार थी लेकिन जिस प्रकार का पाल्यूशन हमारी झीलों की नगरी में हुआ है उस पाल्यूशन के जो बहुत से कारण हैं। उसमें एक यह भी हो सकता है कि हमारी सरकार और विपक्ष से आने वाले भाई में कोई तालमेल नहीं रहा हो जिसके कारण यह समस्या मुंह बांधे खड़ी हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, कि वह इस ओर ध्यान दे। पर्यावरण की दृष्टि से उदयपुर को किस प्रकार विकसित किया जाय इस सम्बन्ध में एक निश्चित और लम्बी योजना दें।

पेयजल के संबध में बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं उसी बात को कहते हुए मैं कहना चाहूंगी कि पेयजल समस्या से हमारी सरकार जूझ रही है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन पेयजल की समस्या केवल गांव की समस्या नहीं है, शहरों के साथ जुड़ी हुई है इसलिये सरकार से मेरी दरखवास्त है, मुख्य मंत्री से मुख्य रूप से कि वह अरबन और रूरल, दोनों एरिया में पेयजल की समस्याओं से जूझने के कुछ नये आयाम भी दें।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो योजनायें दी गई हैं वह हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी की योजनाओं के अनुरूप हैं इसलिए मैं उनके लिए समर्थन देती हूं। मैं उनकी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने महिला कार्यक्रम, शिक्षा, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भी अनुगृहीत हूं कि आपने यहां मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने स्कूल शिक्षा पर अधिक कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी जी इस सम्बन्ध में काफी कुछ कह चुके थे। मैं सदन की भी आभारी हूं कि आपने मुझे सुना।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र शास्त्री माननीय सदस्य आप किस बात पर बोलना चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : (टोडारायसिंह) बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट। माननीय सदस्या ने अभी एक सुझाव दिया, उन्होंने खुशी जाहिर की कि महिलाओं की संख्या....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : हमारे पण्डित जी केदार जी का सुझाव है कि प्रत्येक पार्टी में महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि बी. जे. पी. में है, लोकदल में है, कांग्रेस में है। जनता पार्टी में नहीं है तो उनको परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रोफेसर केदार जी से कहिये, चुन लेंगे। माननीय शास्त्री।

श्री महेन्द्र शास्त्री : (मण्डावर) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के प्रमुख महामहिम राज्यपाल ने राजस्थान सरकार का गत वर्ष का लेखा जोखा और भावी रीति नीति अपने अभिभाषण के द्वारा जनता से प्राप्त विश्वास के आधार पर गठित इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की। मैं इस अभिभाषण के सम्बन्ध में इतनी ही बात कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि किसी भी सरकार का सबसे पहला दायित्व है कि उस प्रान्त में रहने वाली जनता के शरीर, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा करना। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में जो बातें कहीं, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया–"सन्तोषजनक"। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को इस बात से आगाह किये देना चाहता हूं कि इस शब्द के जरिये सरकार की असफता, सरकार की अक्षमता और सरकार की दुर्बलता तीनों को बहुत ही सहज तरीके से छुपाया जा सकता है। कानून और व्यवस्था की जिस सन्तोषजनक स्थिति का जिक्र किया किया गया है, मैं किसी छोटी-मोटी घटना का जिक्र नहीं करना चाहता, जहां राजमार्ग पर दिन दहाड़े बसों की लूट होती हो जहां राजधानी के अन्दर बड़े भारी डाके पड़ते हों बैंक लूटे जाते हों फिर भी इस राज्य के प्रमुख राज्यपाल महोदय इस बात पर सन्तोष व्यक्त करना चाहते हैं कि राज्य की राज व्यवस्था और राज्य की कानून व्यवस्था सन्तोषजनक है तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय ने सरकार की असफलता को, दुर्बलता को इस शब्द के द्वारा छिपाने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रान्त की जनता किसी भी सक्षम सरकार से यह आशा करती है कि उनका शरीर सुरक्षित रहेगा, उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी, उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा। मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, जहां दिन दहाड़े नारी के तन का व्यापार होता हो, नारी अपहरण किया जाता हो, अस्पतालों और थानों के अन्दर बलात्कार किये जाते हों, उसके बाद भी राज्यपाल महोदय इस सरकार की सफलताओं के सम्बन्ध में, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में, सन्तोषजनक शब्द का प्रयोग करें तो असफलता और दुर्बलता किसका नाम है ?

जहां सरकार गरीब जनता की सुरक्षा के लिए निर्मित हुई है, जहां सिपाहियों को राइफलें इस प्रान्त की जनता के शरीर, सम्पत्ति और सम्मान की सुरक्षा के लिए दी गई है वहां दिन दहाड़े रास्ते चलते हुए, रास्ते चलते हुए ही नहीं प्रजातन्त्र के पवित्र मन्दिर की पूजा करते हुए राजा मानसिंह की हत्या कर सकती है, कोटपूतली के काण्ड के बाद अपनी सुरक्षा की मांग करने वाली निरीह जनता की हत्या कर सकती है, किसान अपने पशुओं के लिए चरागाह की सरकार मे मांग करता है उसकी हत्या कर सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि कौनसी ऐसी सफलता है, कौन सी ऐसी दुर्बलता है जिसको छिपा कर राज्यपाल ने इस प्रान्त की कानून व्यवस्था को सन्तोषजनक बताया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार की असफलता को छुपाने के

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, निश्चित तौर पर इस शब्द के द्वारा इस सदन, जो जनता का विश्वास अर्जित करके निर्मित हुआ है, को भ्रमित करने की कोशिश की गई है।

इस समय जबकि हम 33 साल के बाद प्रजातन्त्र की ईस परिपक्व अवस्था में यहां बैठ हुए हैं, मैं इस पारम्परिक स्थिति के खिलाफ आपके माध्यम से एक बात राज्य सरकार को सुझाना चाहूंगा। हमने जो परम्परागत स्थिति स्थापित की हुई है और एक ढर्रा बनाया हुआ है कि राज्यपाल का एक अभिभाषण होगा उसमें राज्य सरकार की असफलताओं को बहुत शालीनता से चुन चुन कर ऐसे शब्दों से छुपाया जायेगा और हम उसको सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेंगे, यह परम्परा गलत है। यह ना पक्ष, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है, यह इस सदन का पूरक भी है। हम इस सदन के पूरक हैं। हमारी विरोध करने की स्थिति इस सदन को पूर्ण करने की स्थिति है। हमारी बात उतने ही ध्यान से सुनी जानी चाहिए, सरकार को उतने ही सकारात्मक रूप से हमारी बात को स्वीकार करना चाहिए जितनी सकारात्मकता और जिम्मेदारी से हम हमारी इस बात को कह रहे हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बात और कही है, अध्यक्ष महोदय, वह बात है, चुनाव के सम्बन्ध में। इस राज्य सरकार की पवित्रता का दूसरा प्रमाण चुनाव हैं। एक ओर जहां कानून-व्यवस्था की स्थिति है तो दूसरी ओर जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस सदन का गठन होता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम इस सदन में पहुंचे हैं अगर उस प्रक्रिया की पवित्रता को अक्षुण्ण नहीं रखा गया, उस प्रक्रिया की पवित्रता को सही नहीं रखा गया, आने वाले समय की व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो मेरे पास इसकी कोई कल्पना नहीं है, हमारी हमारे प्रजातन्त्र की और इस सदन की क्या स्थिति होगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है–"उल्लेखनीय प्रतिकूल घटना के पूर्ण सफलता पूर्वक।" "पूर्ण सफलता पूर्वक" शब्द यूज किया गया है। मैं कहना चाहूंगा, चुनाव में राज्य सरकार किन आंखों से देखती है, किन कानों से सुनती है और किस वाणी से बोलती है। राज्य सरकार के पास उल्लेखनीय घटनाएं नहीं होंगी। मैं कहना नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय, फिर भी एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। इस चुनाव में जब हम चुनाव प्रचार के लिए निकले तो आम जनता की एक धारणा थी, आम जनता हम से पूछती थी, मत तो हम दे देंगे, वोट तो हम आपकी पेटी में ही डालेंगे लेकिन क्या यह सम्भव है कि आप लोग जीत जायेंगे। जनता के अन्दर इस धारणा का जन्म करने का, जनता के अन्दर इस भ्रमित स्थिति को उत्पन्न कर देने का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई सरकार जनता में इस प्रकार फैली हुई धारणाओं का समापन नहीं कर सकती है, समापित नहीं कर सकती है तो निश्चित तौर पर वह सरकार अपनी असफलताओं को उल्लेखनीय बात न

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

कह कर छिपाने की कोशिश करती है।

अध्यक्ष महोदय, कभी सोचा भी नहीं था। जो देखा वह सोचा भी नहीं था। हमने देखा क्या ? मेरे खिलाफ जिस व्यक्ति ने चुनाव लडा वह एक दल का व्यक्ति था, दल के आधार पर चुनाव लड़ रहा था। आज तक हमने ऐसा देखा है कि चुनाव में कहीं कहीं गलत वोट भी डल सकते हैं, कहीं कहीं अनियमितताऐं भी हो सकती हैं कहीं-कहीं ज्यादा उल्लेखनीय घटनाए भी हो सकती हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं देखा कि चुनाव का उम्मीदवार स्वयं अपने बूथ पर जाय, प्रिसाइडिंग आफिसर की गर्दन पकड़े, पिस्तौल दिखाये, लोगों को मुक्के से मारे और बैलट पेपर को छीन कर खुद मोहर लगा कर बैलट बॉक्स में डाल दे। हमने किसी चुनाव में आज तक ऐसा नहीं सुना।

मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं मेरे यहां जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, वह सबसे पहले अहीर भगोड़ा पोलिंग स्टेशन पर गये। उसके बाद बिहारी खुर्द पोलिंग स्टेशन पर गये, उसके बाद आमोद पोलिंग स्टेशन पर गये, उसके बाद बूंदिया खेड़ा पोलिंग स्टेशन पर गये। कहते हैं, उल्लेखनीय बात नहीं हुई, उन्होंने इतना ही नहीं किया, पिस्तौलधारी साथ लेकर 95.76 पर्सेन्ट वोट डाले। खुद अपने हाथ से कैन्डीडेट ने मोहर लगायी, पिस्तौल दिखायी लोगों को।

इतना ही नहीं किया, नारायण सिंह नाम के अध्यापक, अजय सोनी नाम के अध्यापक की सिहाली खुर्द में गर्दन पकड़ कर नाक पर मुक्का मार कर खून निकाला। बैलट पेपर छीन कर स्वयं ने वोट डाले। हम प्रजातन्त्र के इस पवित्र मन्दिर में बैठे हुए हैं यह बात कहने के लिये कि चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष रखेंगे। मैं बहुत दिनों के बाद, बड़े प्रयास के बाद, इस सदन में आया हूं। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तैयार हूं, यदि सरकार की तैयारी हो निष्पक्ष जांच कराने की, मेरी इस बात में रत्ती भर भी गलती निकल आये कि उस व्यक्ति ने स्वयं अपने आप बैलट पेपर को छीनकर मोहर नहीं लगायी तो मैं इस सदन से त्याग पत्र देने को तैयार हूं, आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं। चुनाव की इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां की गई जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया। हमने स्वयं पीछा किया, पुलिस में इसकी रिपोर्ट की, निर्वाचन अधिकारियों के सामने इसकी रिपोर्ट की। उसके बाद भी सरकार यह कहे कि हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमको जानकारी नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि यह सदन को गुमराह और भ्रमित करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में इसके अलावा जो एक और बात आई है, मैं उसको भी चुनाव के मुद्दे से जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में एक बात यह कही कि चुनाव राजस्थान की विधान सभा के सम्पन्न हुए,

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

देश की लोक सभा के सम्पन्न हुए । इस देश में स्थानीय निकाय हैं, हमारे प्रान्त में भी स्थानीय निकाय हैं, इनके चुनाव भी बहुत आवश्यक हैं । चुनाव की इस प्रक्रिया में इस बात की मैं सरकार से जानकारी करना चाहूंगा, हमारा देश प्रजातान्त्रिक देश है, हम चुनाव में लोगों की आस्था को स्थापित करना चाहते हैं, अगर इस देश की जनता का चुनाव की आस्था से मन डिग गया, चुनाव की आस्था हिल गयी तो निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि हम अधूरे ही नहीं अपंग प्रजातन्त्र की उपज हैं। चुनावी आस्था कैसे हिलती है ? इस अभिभाषण में स्वीकार किया है राज्यपाल महोदय ने कि स्थानीय निकाय चाहे वह सहकारी समितियां हों, चाहे पंचायत समितियां हों, चाहे कृषि उपज मण्डी समितियां हों, चाहे नगर पालिकायें हों उन सब का एक अपने तरीके का महत्व है महत्व ही नहीं है, इस प्रान्त की 90 फीसदी जनता इन सहकारी समितियों के माध्यम से, कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से न्याय प्रणाली में विश्वास व्यक्त करना चाहती है, आर्थिक विकेन्द्रीकरण में विश्वास व्यक्त करना चाहती है । आज 21 वीं सदी में इस देश के प्रधानमन्त्री इस देश को ले जाने की बात कहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 13-13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुये, सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुऐ, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुऐ । आज मुख्य मन्त्री जी सदन के नेता हैं, सन् 1976 में इनके ही तपोबल से सबसे पहले इन सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये थे, चुने हुऐ बोर्ड भंग किये गए थे और चुने हुये बोर्डों को भंग करके नामीनेटेड कमेटियां स्थापित की गई थीं। सदन के नेता इस समय सदन में नहीं हैं, मैं उनसे फिर आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तपोबल से उन्होंने इनको भंग किया था आज फिर उसी तपोबल से इनके चुनाव करायें जो अनिवार्य हैं । 1977 से 1985 तक आज 8 साल हो गये, इन सहकारी समितियों की स्थिति, इन स्थानीय निकायों की स्थिति राज्य सरकार ने ऐसी कर दी जैसी सामन्तों के जमाने में, जागीरदारों के जमाने में, राजा-महाराजाओं के जमाने में थी । कोई राजा-महाराजा किसी से खुश होता था उसकी चापलूसी पर, किसी के कारनामे पर, किसी के काम पर तो दान में दे देता था गले का हार, कान के कुंडल, कमर का पट्टा इसी तरह से राज्य सरकार ने आज जो अपने लोग हैं, जिनको वह अपना चहेता मानती है उनको दान स्वरूप दे दिया है अपेक्स बैंक, सी. एल. डी. बी., को-आपरेटिव बैंक, जिला परिषदें, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां । यह दान-पुण्य की चीजें नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, यह जनता की आस्था का प्रश्न है, जनता के विश्वास का सवाल है जिसको आपने खैरात और दान बना रखा है । जनता अपना वोट देकर इनमें निर्वाचन करती है । इस समय नीचे की इकाइयों की जो स्थिति है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा वक्त आ गया कि विधान सभा की सीटें भी इस तरह से दान और पुण्य में दी जाने लगीं तो इस देश के प्रजातंत्र का क्या होगा ?

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात कही गई है कि गत वर्ष चुनाव की प्रक्रिया को

(५२)

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

हम सम्पन्न करना चाहते थे। यह बहुत गलत और भ्रमित करने वाली बात है। मैं आपको तारीख बताना चाहता हूं, जिस तारीख को यह नोटिफिकेशन आया 6-9-82। 6-9-82 के बाद 14-11-83, दोनों बार सहकारी समितियों के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया, छपा, लोगों के पास पहुंचा उसके बाद चुनाव स्थगित किये गये। राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में गत वर्ष विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था। यह गत वर्ष 1984 था, गत वर्ष 1983 और 1982 नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि 1982 और 1983 में यह चुनाव क्यों स्थगित किये गये? कौन से ऐसे कारण थे, कौनसी ऐसी स्थिति थी? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम इस देश में प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्परा स्थापित करना चाहते हैं, प्रजातंत्र के प्रति जनता की निष्ठा और आस्था स्थापित करना चाहते हैं तो यह जो हमारे स्थानीय निकाय हैं इनके चुनाव ठीक इसी तरह से होने चाहिये जैसे लोगों को विश्वास रहता है कि वर्ष में फलां दिन होली आयेगी, वर्ष में फलां दिन दीपावली आयेगी, इस देश के लोग इस दिन ईदगाह पर ईद मनायेंगे, इस दिन क्रिसमिस डे आयेगा। इस तरह का इस देश की जनता में आप विश्वास पैदा कीजिये। लोगों को यह विश्वास हो कि हमारी पंचायत के चुनाव इस दिन होंगे, हमारी सहकारी समितियों के चुनाव इस दिन होंगे, हमारी दूसरी इकाइयों के चुनाव इस दिन होंगे। अगर हम जनता में इस प्रकार की आस्था को जन्म नहीं दे सकें, जनता में इस प्रकार की धारणा और विश्वास को जन्म नहीं दे सके तो उसके परिणाम क्या होंगे? अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह होगा कि जो रीति-नीति सरकार निर्धारित करती है, जिस रीति-नीति को सरकार क्रियान्वित करना चाहती है उसके प्रति कोई आस्था नहीं बनेगी जनता में, उसके प्रति जनता में कोई धारणा और विश्वास नहीं बनेगा। वह नीतियां न तो पूरी तरह से क्रियान्वित हो पायेंगी, न उन नीतियों के सफल परिणाम आयेंगे।

आज 30 साल बाद छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने की बात कही गई है। छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। 30 साल का अरसा हो गया, छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। आज भी राजस्थान के सुदूर गांव का आदमी प्यासा है, जल के लिये पीड़ित है। आज भी राजस्थान के दूर गांव का आदमी आवागमन की सुविधाओं से वंचित है। आज भी इस प्रान्त का आदमी बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा-लिखा नौजवान तहमद बान्धे बेरोजगार घूम रहा है। जनता हमसे पूछती है कि 30 साल बाद भी हमारे लिये आने-जाने की सुविधाएँ नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, पीने के पानी की सुविधाऐं नहीं हैं। जो अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उन अनिवार्य आवश्यकताओं के अभाव में हमारे प्रान्त की जनता जी रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही कारण है कि जो नीतियां निर्धारित की जाती है जो रीति-नीति सरकार बनाती है उससे पूर्व जनता में उसके प्रति आस्था को जन्म नहीं देती है और जनता को विश्वास में नहीं लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह ना पक्ष पूरक है इस सदन का, हम इस सारी रीति-नीति के साथ सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहते हैं। आप जनता के बीच में कहियेगा कि

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

यह यह काम होने चाहिये आप किसी भी पक्ष, जिसे आप चाहें, जिस पर आपकी निगाह एक हो, से देखें, चाहे वह आपकी सरकार हो, चाहे सरकार के प्रशासन का ढांचा हो। परन्तु आप एक ही चश्मे से न देखें, आप एक ही मशीनरी से नहीं सुनें, आप टेप रिकार्डर की वाणी नहीं बोलें, आप समझें जनता की असल स्थिति को। 30 साल बाद भी हम इस अवस्था में हैं कि आज हमारे यहां जल की, स्वास्थ्य की और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई।

राज्य सरकार ने जो दावा किया है, अभी माननीय सदस्य सदन में इस बात को व्यक्त कर रहे थे कि हमारे प्रान्त में सिंचाई का पानी, जो हमारा वाजिब हक है, जो हमको मिलना चाहिये, जो हम पंजाब और हरियाणा सरकार से लेना नहीं चाहते हैं, जिसको हम ले सकते हैं, आज तक उपलब्ध नहीं है। यहां के किसान की खेती सूखती है अक्षम सरकार पंजाब और हरियाणा से अपना हक नहीं ले पा रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हू, इस बात के लिये सशक्त होना पड़ेगा कि पंजाब और हरियाणा से पानी राजस्थान के किसान को मिलना चाहिये। इस सूखी नहर से, किसान के सूखे खेतों से हमारे प्रान्त की पैदावार में जो हानि रही है निश्चित रूप से वह हमको उठानी पड़ेगी, किसी और को नहीं। न हम बिजली ले पाते हैं, न पूरा पानी ले पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी यह कहा जाय कि हमारी सरकार सफलतापूर्वक चली, मैं समझता हू कि इससे अधिक भ्रमित बात और कोई नहीं हो सकती। सरकार को अगर किसी क्षेत्र में असफलता है तो अपनी उस असफलताओं को सदन में स्वीकार करना चाहिये, ना पक्ष उन असफलताओं के लिये सरकार के साथ मिल कर जितना संघर्ष कर कर सकता है उसको करने के लिये पूर्ण सकारात्मक रूख अख्तियार करेगा, इस प्रान्त की जनता के हित में बराबर कदम से कदम मिलाकर चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, ध्यान जहां मैंने चुनावों की ओर दिलाया और यह बताया कि विधान सभा के, लोक सभा के चुनावों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनावों का सम्बन्ध जनता से है, वहीं मैं यह भी कहना चाहता हू, कि हमारे प्रान्त की जनता के लिये सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा के लिये जो हमारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं के द्वारा जो परिणाम हम लेना चाहते थे, उस परिणामों को समुचित रूप से नहीं ले सके हैं। स्थिति क्या है ? राजस्थान केनाल एरिया में आप ऋण देते हैं। गांव में राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना प्रचलित की हुई है। बहुत अच्छी योजना है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री : बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं लेकिन इनके व्यावहारिक पहलुओं को नहीं देखा जाता। जहां आपने राष्ट्रीय स्वरोगार योजना चालू की हुई है, जहां आपने नालियां बनाने के लिये लोन दिया है वहां नालियां

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

बनाने के लिए एजेन्सी कौनसी हैं ? अध्यक्ष महोदय, उसको बनाने वाली एजेन्सी है सरकार और सरकार का प्रशासन । हम पूछते है पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों से, हम पूछते हैं पी. डब्ल्यू. डी. के लोगों से कि आपने हमारी सड़क शुरू कर दी, इस पर आपने मिट्टी डलवाना शुरू कर दिया, इस सड़क पर आपने रोड़ी बिछादी, रास्ता आने-जाने का और रोक दिया, कारण क्या है ? तो वे कहते है कि सरकार की योजना डिफेक्टिव है, हमारे पास न पूरे ट्रक हैं न हमारे पास रोड़ रोलर है, टेण्डर लेने का हमको राइट नहीं दिया गया, हम किसी प्रकार टेण्डर ले नहीं सकते, हम सिर्फ मजदूरी दे सकते है और वह भी मस्टरोल के ऊपर दी जाती है। हमारी जो योजनायें बनती हैं, इस देश के निर्माता पंडित जवारलाल नेहरू भी यह बात कहा करते थे कि हमारी योजनायें नीचे से निर्मित होनी चाहिये, हमारी योजनाओं का क्रियान्वय भी नीचे के सहयोग से होनी चाहिये । राज्य सरकार सिर्फ अपने स्तर पर योजना बनाती हैं, न नीचे से योजनाओं का निर्माण कराती हैं, न नीचे के स्तर पर उनकी क्रियान्वित में सहयोग लेती है । क्यों सहयोग ले ? पंचायतों में चहेती स्थिति रखना चाहती है । सहकारी समितियों में चाहेती स्थिति रखना चाहती है, कृषि उपज मण्डी में अपने आदमियों को नियुक्त रखना चाहती है । यह जो स्थिति पैदा की हुई है, इसने सरकार की रीति-नीति के क्रियान्वयन के ढांचे को पगु बना दिया ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अपनी असफलता छुपाने के लिये इस अभिभाषण के माध्यम से जो सदन को भ्रमित करने की कोशिश की है उसके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शुद्ध ढग से आये, सीधे-सीधे आये, अपनी गलतियों को अपनी असफलताओं को स्वीकार करे । ना पक्ष इस बात के लिये तैयार है कि पूरा सकारात्मक सहयोग देगा इतना ही मुझे निवेदन करना था ।

जय हिन्द ।

(1.00 म. प.)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्रीजी सहकारिता के प्रकाण्ड पण्डित हैं क्या सहकारिता के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री महेन्द्र शास्त्री : जो लोग समझते नहीं हैं........

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : गुजरात में सहकारिता सफल हुई हैं, ट्रेनिंग लेने चले जाइये, सबसे बड़ा सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय श्री सी. पी. जोशी की तरफ से रखा गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके लिए तो मैं बताऊंगा आपको, सुनें तो सही, किसलिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो यह वक्तव्य दिया है, बजट सत्र के शुरू होते ही हमेशा यह स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें वास्तव में राज्य में जो काम हुआ है उसके तथ्य दिये जाते हैं और आंकड़ों के आधार पर इस राज्य में जो काम हुआ है उसके बारे में बताया जाता है। जैसा तिवाड़ीजी, जो समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि जो वास्तविक आंकड़े हैं उनको तो मन्जूर करना पड़ेगा। जो काम हुए हैं वह इलाके में मौजूद हैं। उसमें जो कमियां रही हैं वह विरोधी पक्ष को बताने का हक है और जो कार्य वास्तव में अच्छे हुए हैं उनको अच्छा कहना हमारा फर्ज है। उसमें जो कमियां रही हैं उसके लिए हम राज्य सरकार को आगाह कर सकते हैं। पिछले वर्ष में जो सरकार की उपलब्धि रही है उसके विषय में राज्यपाल महोदय ने हर सीगे के अनुसार बताया है, सड़कों का कितना विकास हुआ, उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और बीस सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान का कौनसा स्थान रहा जिसकी योजना आयोग ने भी सराहना की है। हमारे इस राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम और रोजगार कार्यक्रम के राज्य सरकार द्वारा जिला वाइज आंकडे इकट्ठे किये गये हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान का प्रथम स्थान है और योजना आयोग ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विद्युत के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह वास्तविक प्रगति इसमें बताई गई है और आगे राज्य सरकार क्या करने जा रही है उसके भी संकेत इसमें दिये हैं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, यह सरकार के कार्यों का वास्तविक लेखा जोखा है और इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें वह भी रखूंगा जो राज्य सरकार को विशेष रूप से आगे के लिए ध्यान रखना आवश्यक है।

पश्चिमी राजस्थान में हमेशा के माफिक इस वर्ष भी अभाव की स्थिति विद्यमान है। उस क्षेत्र में भयंकर रूप से वसूलियां की जा रही हैं। माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो गांव अभाव-

(1.02 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

ग्रस्त घोषित किये गये हैं उसमें सख्ती के साथ जो वसूलियां की जा रही हैं उनके लिये कायदे के माफिक राज्य सरकार के आदेश जारी करें। जिन गांवों की सूची प्रकाशित हुई है वहां अकाल तो घोषित नहीं किया गया है परन्तु अभाव की स्थिति विद्यमान है उन गांवों के लिये कलक्टर की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी इसलिये उसमें सख्ती के साथ जो वसूलियां की जा रही हैं उससे लोगों को बहुत कठिनाई उपस्थित हो रही

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है, इसके बारे में सरकार सक्रिय रूप से कार्यवाही करे और उन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करे।

दूसरे, कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें पानी की समस्या गम्भीर है, भयंकर स्थिति है। विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जालौर में भी जो सेमी डेजर्ट एरिया है सांचोर का, वहां पानी की गम्भीर समस्या है। स्कूली बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे इलाकों में राज्य सरकार टैंकरों की विशेष रूप से व्यवस्था करे। वैसे भी पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

दूसरा, राजस्थान की बोर्डर से लगे हुए जो स्टेट हैं वहां पर जो चौकियां कायम की गई हैं, सैल्स टैक्स की उन चौकियों पर बड़ा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक माधोपुरा चौकी है गुजरात बोर्डर पर, वहां से मवेशियों को ले जाने में दिक्कतें होती है। जो मण्डी गुजरात में पड़ती है वहां पैदाइश यहां से काश्तकार ले जाते हैं। वहा पहले गिरदावर से सर्टिफिकेट लाओ, गिरदावर के बाद तहसील में जाकर सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने के बाद भी तीन तीन दिन तक ट्रक लिये हुए, उपज लिये हुए काश्तकार परेशान होते हैं। तो इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन चौकियों के ऊपर सीनियर सी. टी. ओ. लेवल के ऑफिसर रखे जायं, यह मेरा सुझाव है। इसमें नीचे के लेवल के ऑफिसर नहीं रखे जायं। पहले भी सदन में कई बार इस पर बहस की जा चुकी है कि बोर्डर पर जो सेल्स टैक्स की चौकियां हैं उनमें जो भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे मिटाने के लिए बहुत ही मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। जो भी लोग पकड़ में आवें उनको सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है। वहां काश्तकारों को बहुत परेशानी होती है। पहले आठ पर्सेंट टैक्स लगाया, फिर आठ पर्सेंट की जगह चार चार पर्सेंट व्यापारियों पर और चार पर्सेंट काश्तकारों पर रखा। फिर बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि यह टैक्स ही गलत लगा दिया। इससे हर काश्तकार को एक्सप्लायटेशन हुआ और सरकार के खजाने में रुपया जमा ही नहीं हुआ। तो राज्य सरकार को गम्भीरता से इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि बोर्डर स्टेट और अपनी स्टेट के टैक्स के अन्दर ज्यादा फर्क न हो।

दूसरा, हमारे जिले में काश्तकारों को बिजली की बड़ी भारी कमी है और यह कमी भयंकर रूप से रहेगी जो जिले क्योंकि टेल एण्ड पर हैं उनमें बिजली की समस्या गम्भीर रूप से बनी रहेगी। वहां डीजल और क्रूड आयल से ही पम्प चलाये जाते हैं। मैं राज्य सरकार से एक मांग करता हूं कि गुजरात के अन्दर 105 रुपया एक बैरल के ऊपर कम लगता है, हमारे यहां 105 या 120 रुपया तक ज्यादा देना पड़ता है, बड़ा भारी करप्शन व्याप्त है, चौकियों पर, कहीं 110 रुपये लगते हैं। उसके पांच मील पर 120 रुपये लगते हैं, इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि यह 120 रुपये का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ग्रन्तर किसी तरह से गुजरात ग्रौर राजस्थान में कम हो। टैक्स को एक करके इस ग्रन्तर में कमी कर देनी चाहिये। इससे हमारे काश्तकार लाभान्वित होंगे। जो टैक्स ग्रपने को नहीं मिलता है उस हिसाब से राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि टैक्स में जो इतना डिफरेन्स है उसको एक कमेटी बना करके किसी तरह से कम करें रिग्रार्गनाइज करके बोर्डर स्टेट से टैक्स का जो डिफरेन्स है उसको समाप्त कर देना चाहिये ताकि यह करप्शन बन्द हो जाय ग्रौर चौकियों की भी ग्रावश्यकता नहीं रहे।

इसके ग्रलावा, सभापति महोदय, मैं ग्रापके जरिये कुछ ग्रौर बातों की ग्रोर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस में हर जगह लेडी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारे इलाके में तो लोग परिवार नियोजन के मामले में बहुत ही ज्यादा इण्ट्रेस्टेट हो गये हैं, पहले वाली बात नहीं रही है। जिला जालोर में मेडिकल स्टाफ की बड़ी भारी कमी है, बाहर से डाक्टरों की टीम बुलानी पड़ती है। ऐसी हालत में स्वास्थ्य विभाग को ऐसे जिलों के ग्रन्दर पूरा मेडिकल स्टाफ लगाने की ग्रावश्यकता है। जो हमारे यहां के ग्रांकड़े बताये हैं, विरोधी पक्ष जो कमियां रहती हैं वह बताता है, कमियां ग्रपनी ही हैं, सरकार के जरिये ही ऐसा काम, ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो ज्यादा कहने की ग्रावश्यकता नहीं हो। इस बारे में भी सरकार को गम्भीरता से विचार करने की ग्रावश्यकता है।

बिजली के महकमें में बड़ा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठेकेदारी सिस्टम ग्रौर बिजली का कनेक्शन देने की डिफेक्टिव व्यवस्था है। इससे काश्तकारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार को ग्रागाह करना चाहता हूं, इसके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे काश्तकारों को परेशानी नहीं हो। ग्राज हमारे जिले में बिजली की कमी तो है ही पर कनेक्शन देने में भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसको किसी तरह से कम करने की ग्रावश्यकता है। जरा-जरा सी कमी की वजह से हमारे काश्तकार परेशान होते हैं। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करने की ग्रावश्यकता है। जब यहां पर राज्य सरकार का रिप्लाई हो तो किसी ऐसी व्यवस्था के बारे में बतायें जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके।

दूसरा ग्रामीण बैंकों के जरिये जो एजूकेटेड ग्रनएम्पलाइड है उनको सबसीडी ग्रौर लोन वगैरह दूसरी जितनी चीजें हैं, दी जाती हैं। ग्रामीण बैंको की स्थापना हुई है, पर ग्रामीण बैंकों पर राज्य सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है, रिजर्व बैंक का तो हो ही नहीं सकता है। ग्रामीण बैंक खोल तो जरूर दिये हैं पर इनमें बहुत ही भ्रष्टाचार है, यह मेरा पर्सनल तजुर्बा है। बहुत ज्यादा मांग है ग्रौर पैसा कम मिलता है। ऐसी हालत में इन ग्रामीण बैंकों में कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाये, इलेक्टेड ग्रादमियों की, या गांव के लोगों की ऐसी कोई कमेटी बनाई जाय जिसका इन बैंकों पर कन्ट्रोल रह सके। किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, उसको गांव वाले साबित ही कर नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सकते हैं। जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनके अन्दर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह जो एजेन्ट मुकर्रर होते हैं, थोड़े दिन तो रहते है उसके बाद चले जाते हैं। उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है। उन पर हम किसी तरह से कन्ट्रोल ही नहीं कर सकते। इससे सरकार और प्रशासनिक मशीनरी बदनाम होती है। मेरा निवेदन है कि इन ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है। करोड़ों रुपये ग्रामीण बैंकों में जाते हैं परन्तु गरीब लोगों की जेब में बहुत ही कम पैसा जाता है।

दूसरा मेरा निवेदन है जो उसमें 20 सूत्री राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम और अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित करने के लिये जो प्रोग्राम रखा है, बहुत ही सुन्दर प्रोग्राम है। वास्तव में........

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आप भ्रष्टाचार को खतम तो करना चाहते हैं पर पूरा ख़तम नहीं करना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चाहते तो सभी हैं और हमेशा कहते ही हैं। कोशिश तो पूरा ही खतम करने की होनी चाहिए कुछ तो कम हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जारी रखें।

श्री नारायण सिंह : हां, कुछ तो कम हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। सदन में जितने माननीय सदस्य हैं उन सबका दायित्व है। इसके अन्दर सबके सहयोग की आवश्यकता है तब जाकर कम होगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हालत यह है कि अगर मैं किसी के पीछे पड़ता हूं तो आप उसको प्रोत्साहन देते हैं और पार्टी बाजी का वह लोग फायदा उठाते हैं। इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। करप्शन खतम करने में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह : बिल्कुल नहीं होगी पर करो तो सही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मन्जर करते हो कि नहीं ?

श्री नारायण सिंह : यह तो हम मानते हैं कि वास्तव में भ्रष्टाचार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नहीं मानते हैं क्या ?

श्री नारायण सिंह : हम तो मानते हैं आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां, मानते हैं बिलकुल मानते हैं। ऐसी कौन सी बात है यह तो तपेदिक की सी बीमारी है और यह सबकी कोशिश से ही कम हो सकेगी।

श्री सभापति : कृपया बहस में नहीं पड़ें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो ऐसी बीमारी है जिसको सब लोगों का किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहन मिलता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : आधे से ज्यादा तो राजीव गांधी ने खतम कर दिया और थोड़ा सा बचा है....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो ऐसी बीमारी है कि सभी लोगों को इसमें सहयोग कुछ न कुछ देना पड़ेगा। कोई न कोई उनको प्रोत्साहन मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार खतम होना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी ने बिलकुल ही कम नहीं किया भ्रष्टाचार ? थोड़ा बहुत तो कम किया है ना ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजीव गांधी ने ऐसा तरीका काम में लिया कि काफी कम हो गया। ऊपर से ही ऐसा तरीका काम में लिया जिससे बारह आने कम हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह हुई ना बात। यह कहा करो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इलेक्शन के वक्त पार्टीबाजी हो सकती है, इलेक्शन के समाप्त होने के बाद सब मिलकर इस सामाजिक बीमारी को मिटाने की कोशिश करें। तो यह कम हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण बैंकों के द्वारा गरीब और अनपढ़ आदमियों को लोन देने की जो व्यवस्था कर रखी उसमें सबके सहयोग से गरीब लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे उनकी ही हालत सुधरे इस बारे में हमको बहुत ही गम्भीरता से से विचार करके उनकी हालत सुधारने की आवश्यकता है। इसके अन्दर मतभेद नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण बैंकों पर कोई न कोई अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि अभी तक जो बदनामी हुई है इन ग्रामीण बैंकों के खोलने से जो भ्रष्टाचार फैला है उसको आइन्दा कम किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण में जो आंकड़े बताये हैं, इस किताब में मौजूद हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। हर क्षेत्र में ले लीजिये, बिजली के क्षेत्र में ले लीजिये, उत्पादन के क्षेत्र में ले लीजिये, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है और वह वास्तविक है। जो कमियां रही हैं आइन्दा हमें क्या करना है, यह तो बहुत छोटा सत्र है, इसी सत्र में गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है जो तथ्य हैं वह तथ्य बताने की आवश्यकता है और कमी है तो उसको बताने का सबका दायित्व है और उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इस राजस्थान में गम्भीर समस्यायें हैं, पिछड़ा हुआ राजस्थान है, काफी प्रगति की है आगे और प्रगति करने की आवश्यकता है। हमको जनता ने चुन कर भेजा है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की तकलीफें कम कर सकें। हमारा दायित्व है, हमको वोटर्स ने चुन कर भेजा है, उनकी मन्शा की पूर्ति करें, यही कार्य करना है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्हीं शब्दों के शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय कल्याणसिंह जी कालवी।

श्री कल्याण सिंह कालवी (डेगाना): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमें देखने को मिला है। वह सारा का सारा वस्तु-स्थिति से परे होकर सरकार का गुणगान करने के सिवाय और कुछ नहीं है।

जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, इसको सन्तोषप्रद बताया गया है। वास्तविकता देखें तो आये दिन हमारे यहां पर ट्रक लूटे जा रहे है, बसें लूटी जा रही हैं, यहां तक की रेलें लूटी जा रही हैं। जयपुर जैसे शहर के अन्दर शो-रूम लूट लिये जाते हैं, जौहरी बाजार में जौहरी खाने लूट लिये जाते हैं, यहां तक कि बैंक डकैतियां पड़ रही हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी के रिश्तेदारों के पेट्रोल पम्प लूट कर ले जाये जाते हैं, यह स्थिति है आज कानून-व्यवस्था की।

आज से तीन दिन पहले जब यहां पर नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही थी उस वक्त ब्यावर और अजमेर के बीच अराधना पेट्रोल पम्प पर कुछ लोगों ने लूटने की नीयत से रात को हमला किया और जब पेट्रोल पम्प पर रहने वाले कर्मचारी ने उनसे बचाव के लिए रेसिस्ट किया तो उसकी छुरा मारकर हत्या कर दी गई। यह आज कानून–व्यवस्था की स्थिति है हमारे यहां।

आज कोई मां- बहिन-बेटी इस पूर्वी राजस्थान के अन्दर सोने का गहना पहन कर निकलने की हिम्मत नहीं करती। शौक के लिए सारे के सारे नकली गहने चल निकले हैं. शौकिया तौर पर कोई हिम्मत करके सोने का गहना पहन लेती हैं तो कान के गहने के साथ कान खो बैठती है, हाथ की चूड़ियों के साथ हाथ तुड़वा बैठती है, यह स्थिति है हमारे यहां की कानून-व्यवस्था की। इसके बावजूद कानून–व्यवस्था की स्थिति को संतोषप्रद बताना कहां तक उचित है, यह सोचने का विषय है।

एक तरफ हमारे यहां पर कहा जा रहा है कि बन्धुआ मजदूरी के मुक्ति के लिए कानून बनाया गया है और उनकी मुक्ति के लिए काम किया जा रहा है दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि धौलपुर शहर के अन्दर महिलाओं का व्यापार हो रहा है। यह दुनिया के अन्दर कहीं भी नहीं हो रहा है। परन्तु राजस्थान के धौलपुर शहर में हो रहा है। यह कहा जाता है कि हमारे ही कुछ लोग, चुने हुए प्रतिनिधि उसके अन्दर लिप्त पाये गये हैं। यह स्थिति हमारे यहां पर है।

खाद्यानों के बारे में कहना चाहूंगा कि आंकड़े इस तरह के दिये गये हैं कि हिन्दुस्तान खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में बहुत प्रगति कर गया है, राजस्थान भी साथ ही

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

साथ प्रगति कर रहा है। परन्तु दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमारे सत्तर करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए विदेशों से 25 लाख टन अनाज मंगाया गया है। अब इन दोनों में सच्चाई क्या है। यदि रिकार्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है तो फिर पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगाने की क्या आवश्यकता है। बाहर से अनाज लोगों का पेट भरने के लिए मंगाया जाता है तो फिर रिकार्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, इसमें सन्देह पैदा हो जाता है। उत्पादन का जो प्रतिशत बताया गया है, 91 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन का बताया गया है, तिलहन के अन्दर 282 प्रतिशत से ज्यादा का उत्पादन बताया गया है। इसके साथ ही साथ अनाज के उत्पादन के अन्दर जो दूसरी बात कही गयी है वह सबसे बड़ी देखने की बात है कि साल का अनाज का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 123.5 लाख हैक्टेयर में बुवाई होनी थी उसकी जगह हम 94.3 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई कर पाये। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया उत्पादन के क्षेत्र में जहां बाइस लाख टन अनाज उत्पादन होना चाहिए था, यह अनुमान लगाया लगाया जा रहा है कि 24 लाख टन ही अनाज का उत्पादन होगा। एक तरफ हम रिकार्ड तोड़ उत्पादन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन लक्ष्यों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह रवी की फसल के अन्दर लक्ष्य निर्धारित किया था कि 156.5 लाख हैक्टेयर में बुवाई की जायेगी। बुवाई हम 50.8 लाख हैक्टेयर में ही कर पाये हैं। यह हमारे यहां की प्रगति के आंकड़े हैं जो आपको यहां पर बताये जा रहे हैं। यह आंकड़े आपस में जो विरोधाभास प्रकट करते हैं यह भी आपके सामने हैं। आज यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उससे 15 प्रतिशत कम में हम बुवाई कर पाये हैं परन्तु इसके साथ ही साथ जोड़ दिया है कि 20 प्रतिशत हमने तिलहन के अन्दर ज्यादा बुवाई की। यह एक सोचने की बात है, यह एक दुविधा की बात है। आप पर्याप्त पानी नहीं दे पाते इसलिए हम गेहूं और कपास ज्यादा नहीं कर पाते और तिलहन खासकर जिसके अन्दर सरसों है, कम पानी में पैदा हो जाती है। हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है, हमको नहरों का पर्याप्त पानी नहीं मिलता इसलिए मजबूर होकर हम सरसों बोते हैं, इसलिए सरसों की सिंचाई का क्षेत्र बढ़ गया है बुवाई का क्षेत्र बढ़ गया है, इसीलिए हम प्रगति नहीं कर पाते। हकीकत यह है कि जहां सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्दर बुवाई होनी चाहिए वहां हमारा प्रतिशत बहुत कम रहा है। इस बुवाई के प्रतिशत को छिपाने के लिये इस तरह की भ्रामक लाइन लिखकर लोगों को गुमराह करना कतई उचित नहीं है।

आज सिंचाई के क्षेत्र में देखिये, जहां नहरों का विकास होना चाहिए और नहरों का पानी पर्याप्त से लोगों को मिलना चाहिए हकीकत में जाकर देखें तो किसान सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है कि हमें ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। जहां नलकूपों की व्यवस्था है उनकी दरें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं कि आज किसान नलकूप लगवाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। आज खुला कुआं खोदने के लिए किसान अपनी मेहनत कर रहा है। उसको पूरी बिजली मिलनी चाहिए,

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

वह नहीं मिल पा रही है। यह तीन चार बातें ऐसी हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि नलकूप लगाने के लिये एक निगम का गठन राज्य सरकार को करना चाहिए। निगम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा नलकूप गांवों के अन्दर लगाये जा सकें और सार्वजनिक रूप से उनसे सिंचाई की व्यवस्था करवाई जा सके। सिंचाई की दर के अनुसार सिंचाई दरें वसूल की जायें जिससे आम काश्तकार को राहत मिल सके। जहां तक अपने यहां लघु परियोजनाओं का सवाल है, लघु परियोजनाओं के अन्दर बी. सी. आर. निकाला जाता है जो कभी नहीं निकलता। उनका जो इनडायरेक्ट लाभ पहुंचना चाहिए वह सबसे ज्यादा पहुंचता है। छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर के वर्षा के पानी को रोका जाये। उसको रोकने के कारण जो कुएं खोदे जाते हैं उनका जल स्तर ऊपर आ जाता है और उनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे किसान को सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। सारी की सारी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेगी। जहां तक राजस्थान नहर का सवाल है जिसका आज नाम बदला जाकर इन्दिरा गांधी नहर किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की इच्छा की बात है, परन्तु राजस्थान नहर का नाम राजस्थान की तीन करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक सम्बन्ध इस नाम से जुड़ा हुआ है। इसका नाम एक हठधर्मिता के कारण या अपने नेताओं को खुश करने के लिए इन्दिरा गांधी नहर कर दिया जाये यह कहां तक उचित है, यह एक सोचने की बात है। और इस बात पर न जाकर मैं इस बात पर जाऊंगा कि आज राजस्थान नहर में पानी की पूरी क्षमता 18,000 क्यूसेक्स है। पानी का जो बटवारा हो रहा है उस हिसाब से हमें 11,500 से लेकर 12,000 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए परन्तु इस राजस्थान कैनाल में कभी भी, इस साल या पिछले साल, 6,500 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं मिला। आज राजस्थान कैनाल के अन्दर 2820 से 3200 क्यूसेक्स के बीच में पानी चल रहा है। यही कारण है कि आज जिस तरह की माननीय शोपत सिंह जी ने फसल दिखाई है यह फसल की हालत है, राजस्थान कैनाल और भाखड़ा की। आज पानी के अभाव के अन्दर खड़ी फसल जल रही है। वहां गरीब किसानों की क्या स्थिति बनेगी यह भी एक सोचने की बात है। आज वहां 30 दिन से लेकर पैंतालीस दिन तक, राजस्थान कैनाल की बहुत सी शाखायें हैं जिन पर पानी नहीं मिला है। वहां के किसान की क्या हालत होगी यह एक सोचने का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास राजस्थान नहर में जितना पानी उपलब्ध है उसकी जो उपयोगिता की दर है वह तीस प्रतिशत से कम है। अवेलेबिलिटी आफ वाटर यूटिलाइजेशन थर्टी पर्सेन्ट से बिलो है। इससे ज्यादा हमारी सरकारी मशीनरी के निकम्मेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। कि हमारे पास जितने स्रोत हैं, साधन हैं, उन साधनों का हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं यह स्थिति राजस्थान कैनाल एरिया में जितनी काश्त के योग्य भूमि उपलब्ध है उसकी है जहां तक उस जमीन की उपयोगिता का प्रश्न है, वहां पर भी

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

चालीस प्रतिशत से कम भूमि का हम काश्त के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। आज राजस्थान कैनाल एरिया में रावतसर से लेकर बड़ोपल और सूरतगढ़ तक कैनाल के किनारे किनारे इतना वॉटर लोगिंग हो रहा है, इतना सीपेज हो रहा है. इतनी सीमें आ रही है जिससे पचास हजार एकड़ से ज्यादा जमीन खराब होने जा रही है। वहां डिप्रेशंस में भर दिये गये हैं। उन डिप्रेशंस में भरे गये कई बार बनाई हैं पानी के उपयोग की गई परन्तु योजनाओं की क्रियान्विति का जहां तक सवाल है, उन योजनाओं का कतई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। क्रियान्वयन के अभाव में वह भरा हुआ पानी बेकार तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वह पानी सीम पैदा कर रहा है, लवण पैदा कर रहा है। खार पैदा कर रहा है। उस सैलाटूरिटी और अलैक्लेनिटी से जो हमारी अमूल्य भूमि खराब हो रही है, यह भी सरकार के जिम्मे है कि सरकार उस पानी का उपयोग नहीं करके उस जमीन को खराब होने से बचा नहीं पा रही है। आज भाखड़ा नहर की स्थिति यह है कि वहां नहरें तो बनाई जा रही हैं पर उनमें पानी कभी कभी देखने को मिलता है जैसा कि आदमी अपनी आंखों के अन्दर मजबूर-होकर पानी लाता है। वहां इस तरह की स्थिति में शाखाओं में पानी आता है। पानी आम तौर पर वहां देखने को नहीं मिलता है।

जहां तक चम्बल का सवाल है, हमारे यहां कि दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है परन्तु इस परियोजना के अन्दर भी टालमोल हो रही है। सीम के कारण जितनी भूमि खराब हो रही है उसको भी गम्भीरता से लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय के अन्दर किसान इतना बरबाद हो जायेगा कि वहां पर काश्त करने के लिए उसके पास उपयुक्त जमीन भी नहीं बच पायेगी। वहां के कमाण्ड एरिया में जो डवलपमेंट कार्यक्रम चला था उस कार्यक्रम को पिछली सरकार ने खटाई में डाल दिया था और उस डवलपमेंट कार्यक्रम को बन्द कर दिया था यह कह कर बन्द कर दिया था कि किसान नहीं चाहता कि इस कार्यक्रम को लागू किया जाये। हकीकत यह थी कि उसमें प्रशासनिक खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि किसान के ऊपर उसका खर्चा ज्यादा पड़ रहा था। जो सबसे अच्छी और किसान के लिए उपयोगी योजना थी, उस उपयोगी योजना को यह कह कर खटाई में डाल दिया गया। आज इस योजना को लागू करने की सबसे पहली जरूरत है यदि इस योजना को वहां पर लागू नहीं किया गया तो आने वाले समय के अन्दर वहां का किसान काश्त करने के लिये भूमि से भी महरूम हो जायेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, किसान जो खेती करता है वह अपने आप में नफे का धन्धा नहीं है, उसको नफे का धन्धा बनाया जाने लिए सिंचाई की दरें कम की जानी चाहिए। कई जगह तो ऐसा होता है कि पानी दिया जाता है एक और चार्ज कर लिये जाते हैं 3 पानी का। उससे तीन पानी की सिंचाई की दर वसूल की जाती है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पानी दिया जावे उतना ही पैसा लिया जाये। यदि एक पानी दिया जाये तो

(54)

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

एक पानी का पैसा वसूल किया जाये, तीन पानी दिया जाये तो तीन पानी के पैसे लिये जायें और पांच पानी दिये जायें तो पांच पानी के पैसे लिये जायें। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसान की जेब कटने से बच सके।

आज जहां तक ऊर्जा की स्थिति का प्रश्न है, अणु बिजली घर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आंख मिचौली की खबरें रोजाना अखबारों में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। ज्यों ही अखबार उठाओ, मिलेगा कि आज पहली इकाई चालू हो गई, दूसरे दिन मिलेगा कि आज दूसरी इकाई बन्द हो गई और तीसरे दिन मिलेगा कि आज पहली इकाई वापस बन्द हो गई। यह स्थिति है हमारे यहां। ऊजा के दूसरे स्त्रोत हमको विकसित करने चाहिए थे, इसके लिये समय-समय पर कई बार राजस्थान के अन्दर योजनायें बन चुकी हैं और उन योजनाओं के आधार पर हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी द्वारा कई बार घोषणाएं भी कर दी गई हैं परन्तु उन घोषणाओं की क्रियान्विति का जहां तक सवाल है, वह नगण्य सी है। कभी कह देते हैं कि अजमेर के अन्दर ताप बिजली घर खुल रहा है, कभी कह देते हैं कि मेड़ता रोड़ में ताप बिजली घर खुल रहा है, कभी कह देते हैं कि बाड़मेर के अन्दर कपूरडी के अन्दर ताप बिजली घर खुलने जा रहा है, और कभी कह देते हैं कि फलाना ताप बिजली घर का कार्य प्रगति पर है। यह सारी की सारी घोषणाएं केवल घोषणाए ही रह गई। उन घोषणाओं की जहां तक क्रियान्विति का सवाल है, वह नहीं हो पाई। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत है उन सारे स्रोतों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए जिससे कि आम काश्तकारों और राजस्थान के विकास के अन्दर बहुत अधिक लोगों का हित हो सके, लाभ मिल सके।

जहां तक ताप बिजलीघरों का सवाल है, जहां पर भी उनके कच्चे माल की उपलब्धि है उन सारी जगहों पर वह खोले जाने चाहिए। पलाना का काम शुरू हो चुका था, उसको पुनः युद्धस्तर पर शुरू करके पूरा किया जाना चाहिए।

इसी तरह से केनाल में जहां पर पानी का बहाव तेज है वहां पर छोटे-छोटे पन बिजलीघर स्थापित किये जा कर ऊर्जा पैदा की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे यहां पर दो चीजें और हैं जिनके आधार पर बिजली पैदा की जा सकती है। एक तो हवा के द्वारा बिजली पैदा करने के आज वैज्ञानिक तौर तरीके निकाले गये हैं उसको भी प्रयोग में लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऊर्जा का काम है वह भी हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सुगमता से हो सकता है क्योंकि हमारे यहां पर साल के अन्दर कम से कम 9–10 महीने धूप हरदम रहती है। उस धूप के द्वारा हमको बिजली उत्पादन का काम हाथ में लेना चाहिए।

मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि बिजली की जो दरें हैं, खास तौर पर किसानों के लिये सस्ती करनी चाहिए और किसानों को पर्याप्त बिजली देनी चाहिए जिससे कि

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

वह अपने उत्पादन के अन्दर बढ़ोतरी कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान कैनाल से संबंधित एक उपनिवेशन विभाग है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। टीनेन्सी एक्ट के अन्दर एक धारा है 15 एएए उस धारा के तहत जिन लोगों के पुश्तैनी अधिकार हैं, जिनकी पैतृक सम्पत्ति है, जिनकी पैतृक भूमि है उस भूमि पर से उनको खातेदारी हक देने से महरूम कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस 15 एएए में संशोधन किया जाकर वहां पर जो पुश्तैनी लोग बैठे हैं उनको खातेदारी अधिकार दें। टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ था सन 1955 में, उसके पहले जिन्होंने बंजर जमीन को सुधारा है, उस के ऊपर काश्त की है, उन सारों को खातेदारी अधिकार दे देने चाहिए और खातेदारी अधिकार उस सीमा तक दे देने चाहिए जहां तक सीलिंग की सीमा लागू होती है। वहां के लिये राज्य सरकार ने इस तरह के नियम बनाये हैं, कि एक मुरब्बा उसको मुफ्त में दी जायेगी और बाकी जो आधा या एक मुरब्बा दिया जायेगा वह कीमतन दिया जायेगा। कीमत भी बढ़ाकर शायद 35,000 रुपया मुरब्बा कर दी है। तो वहां के जो किसान हैं, वहां के जो आदिवासी हैं उनके साथ यह सबसे बड़ा अन्याय है। आज तक उन्होंने रेगिस्तान को आबाद रखा है, पाकिस्तान से लगे हुई रेगिस्तानी सीमा के अन्दर अपनी ढाणी बांधे बैठे, रह कर उस सीमा की चौकसी की है। उसके साथ में उन्होंने अपनी आशायें संजोयी थीं, अपने अरमान संजोये थे, अपने सपने संजोये थे कि हमारे यहां भी पानी आयेगा, हमारे यहां भी गेहूं और चावल पैदा होगा, हमारे यहां भी कोयलें बोलेंगी। ज्यों ही यह 15एएए धारा लागू की गई है, उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। मैं यह चाहता हूं कि इसके अन्दर शीघ्र ही संशोधन किया जाकर सिलिंग की सीमा तक उनको खातेदारी राइट्स वहीं दे देने चाहिए। यह सबसे बड़ी वहां की समस्या है।

आज किसानों के हितों की बात करते हैं। तो आज हिन्दुस्तान के अन्दर, खास तौर पर राजस्थान के अन्दर जो किसान तबका है वह कितना दुखी है। जितना घाटे का धन्धा वह करता है, जितना राष्ट्र के भरण-पोषण का काम वह करता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। राष्ट्र के भरण-पोषण का काम करते हुए भी वह अपने सारे धन्धे को घाटे के आधार पर चला रहा है। मैं यह चाहता हूं कि किसान को इस घाटे के धन्धे से बचाया जाय और उसके धन्धे को लाभप्रद बनाया जाये। लाभप्रद बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कृषि को एक उद्योग घोषित किया जाये। लागत मूल्य के आधार पर कृषि के वसूली मूल्य तय किये जाने चाहिए। पिछले दिनों में अखबारों में पढ़ने को मिला है कि कृषि मूल्य आयोग ने 157 रुपये गेहूं की वसूली का मूल्य निर्धारित किया है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष के यदि गेहूं के

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

भावों के आंकड़े लें तो गेहूं पिछले दिनों में 225 रुपये क्विंटल से लेकर 300 रुपये क्विंटल तक बिका है । जब 225 रुपये क्विंटल से नीचे गेहूं बाजार में नहीं बिकता ग्रौर सरकार उसी गेहूं का दाम किसान को केवल 157 रुपये देना चाहती है तो उससे बड़ा ग्रन्याय ग्रौर कुछ हो नहीं सकता । इसलिये मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको उद्योग घोषित करवाने के लिये राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए ग्रौर राज्य सरकार को इसी कोशिश के ग्राधार पर उसको समान मूल्य देकर, लागत के ग्राधार पर मूल्य देकर उसके धन्धे को घाटे में जाने से बचाना चाहिए ।

ग्राज जो समय समय पर ग्रनाज के लाने ग्रौर ले जाने की हदबंदी कर दी जाती है, जिलाबन्दी कर दी जाती है वह चन्द व्यापारियों ग्रौर चन्द बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की बात है ग्रौर किसान को लूटने का काम है । मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, कि किसान को लुटने से बचाने के लिए इस तरह की जिलाबन्दी ग्रौर हदबन्दी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ग्रौर किसान ग्रपने माल को खुले रूप से जहां भी उसको ग्रच्छे से ग्रच्छा मूल्य मिलता हो, उचित से उचित मूल्य मिलता हो वहां ले जाकर बेच सके यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

जहां तक कृषि विपणन बोर्ड का सवाल है यह किसानों के हित के लिये सबसे ग्रच्छी नाम करने वाली संस्था बनी है । परन्तु इसके ग्रन्दर भी भ्रष्टाचार के कारण कुछ दोष ग्राने लग गये हैं, मैं चाहता हूं कि उन दोषों को मिटाया जाये ग्रौर किसानों के हित के लिए जो संस्था बनी है, भ्रष्टाचार का फैलाव उसमें नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

सहकारिता ग्रान्दोलन का जहां तक सवाल है. यह गरीबों के हित के ग्रन्दर सारे के सारे काम हैं लेकिन ग्राज सहकारिता ग्रान्दोलन के बारे में राय लें तो जिस तरह की राय सहकारिता ग्रान्दोलन के बारे मे लोगों कि बनी हुई है, सहकारिता ग्रान्दोलन चन्द ग्रादमियों द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का ग्रान्दोलन मात्र बन गया है, इसके सिवाय ग्रौर कुछ नहीं है । ग्राज सहकारिता ग्रान्दोलन में जहां चुनिन्दा ग्रादमी बैठने चाहिए. जहां चुनाव होने चाहिए उनकी जगह-जगह प्रशासक बैठा दिये गये हैं ग्रौर प्रशासक जिस तरह से ग्रपनी मनमानी करते हैं ग्रौर जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, यह ग्राज राजस्थान के किसी भी नागरिक से छिपा हुग्रा नहीं है ।

ग्राज गांवों के ग्रन्दर रहने वाले ग्रादमियों का, गरीब ग्रादमियों पेट भरने का एक जरिया ग्रौर हो सकता है वह है, वन । जहां तक वनों का सवाल है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले तीस सालों के ग्रन्दर वनों को काटकर जघन्य ग्रपराध कांग्रेस की सरकारों ने किया है । ग्राज सबसे बड़ी ग्रावश्यकता इस बात की हो गयी है कि वनों का विकास किया जाये । विकास करने के लिए जो समय समय पर योजना बनाई हैं उसको युद्धस्तर पर लागू करके जब तक

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

हम 9 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 30 पर्सेन्ट से ऊपर वन क्षेत्र विकसित कर लें तब तक किसी को भी चैन नहीं लेना चाहिए। सरकार को इस तरह की योजनाओं को लागू करना चाहिए। आज केवल सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर हरियाली दिखाई जाती है, आफिसर्स को जाने और आने के लिए अच्छी डामर की सड़क मिल जाये। इसको छोड़कर आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर जा कर नंगी पहाड़ियों पर कुल पेड़ लगाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वहां के आदिवासियों को धन्धा मिल सके वहां पर उनको पेट पालने का जरिया मिल सके, खाने-कमाने का साधन मिल सके, यह सारी की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर वन लगाने के लिए जितना हम प्रोत्साहन दे सकते हैं उतना हमको प्रोत्साहन देना चाहिए।

सामाजिक वानिकी की एक योजना बनाई गई है जिसका माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। मैं इसका तो स्वागत करूंगा। इसके लिये यह कहा गया है कि आगामी वर्ष से यह लागू होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि उस योजना को जितना शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकें, जितना शीघ्र लागू किया जा सके लागू किया जाना चाहिये।

दूसरा, राजस्थान के अन्दर आपके जो मुख्य स्रोत हैं वह खनिज पदार्थों के हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान जितना रिच है, जितना धनवान है, हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश उतना धनवान नहीं है पर बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि इन खनिज पदार्थों के दोहन का काम, खनन् का काम सारा का सारा चन्द पूंजीपतियों ने अपने हाथ में ले लिया है। जहां गरीब आदमी को खानों के अन्दर काम करके खाने कमाने का जरिया मिलना चाहिये, उसको पूरा का पूरा लाभ मिलना चाहिये, वह लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की योजना लागू की जाय जिससे जो मेहनत करने वाले आदमी हैं, जो गांव के रहने वाले आदमी हैं, जो उस खान के पास के क्षेत्र में रहने वाला आदमी है। उनको ही खनन् का काम मिले, उनको ही अधिकार मिले ताकि वह गुजारा कर सकें, अपनी खुशहाली को हासिल कर सकें, अपने बच्चों के लिये समुचित व्यवस्था कर सकें। यह खनन का काम हम यदि ग्रामीण लोगों को दे देते हैं, गरीब लोगों को दे देते हैं, मेहनतकश लोगों को दे देते हैं, मजदूर लोगों को दे देते है जो अपने हाथ से और अपनी मेहनत से खनन् का काम करते हैं तो उसके सामने एक ही समस्या आयेगी कि जो उत्पादित माल होगा, जो खनन किया हुआ माल होगा उसके विपणन की व्यवस्था इसलिये मैं चाहता हूं कि उसके विपणन की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये ताकि गांव के गरीब आदमी को, मेहनतकश आदमी को सीधा लाभ मिल सके। यह सारी की सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

आज मकराना, जो हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में संगमरमर पत्थर के लिये मशहूर है, में चिराई की विदेशी मशीनें आ गई हैं, डायमण्ड कटिंग की मशीनें आ गई

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

हैं, उन मशीनों के मुकाबले छोटी छोटी मशीनों वाले, जो चिराई का काम करते हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीति भी यही है कि वह पूंजीपतियों के हित का पोषण करना चाहती है। वह यह कतई नहीं चाहती कि गरीब को भी खाने-पीने का जरिया मिले और वह अपने खाने-पीने के जरिये से अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी की सारी व्यवस्था करके; सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी के अन्दर बढ़ोतरी करके मकराना के जो गरीब चिराई का काम करते हैं, कटाई का काम करते हैं उनके सारे उद्योगों को मार दिया है। उनके हितों की रक्षा करने के लिये, मकराना के विकास के लिये और उनको समुचित सहायता देने के लिये राज्य सरकार को भी संघर्ष करना चाहिए अपने हितों को, वहां पर प्रतिपादित करना चाहिये।

अभिभाषण के अन्दर एक नई घोषणा की गई है कि खनिज विकास और अनुसंधान मण्डल की स्थापना की जायेगी। मैं यह चाहूंगा, केवल यह घोषणा ही नहीं रह जाय।

श्री सभापति : थोड़ा समय का कृपया ध्यान रखें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं पांच मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

यह केवल घोषणा ही न रह जाये। इसकी शीघ्र स्थापना की जाकर जिस तरह की मैंने इन नीतियों में सुधार और संशोधन करने की बात कही है वह सारा का सारा किया जाय।

जहां तक राजस्थान में औद्योगीकरण का सवाल है, आज राजस्थान के अनेक औद्योगिक घराने ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान के अन्दर अपना बहुत ही महत्व रखते हैं परन्तु जब तक हम उनको इनीशियेटिव नहीं देंगे, उनको यहां आने के लिये प्रोत्साहित नहीं करेंगे तक तब वे यहां आयेंगे नहीं। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक घरानों को यहां आने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। जिस तरह औद्योगिक लाइसेंस देने की सरकार ने नीति अपनाई है, उस नीति से तो उद्योग लगेंगे नहीं। उद्योग लगाने के लिये आपको समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, पर्याप्त भूमि देनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऊर्जा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके साथ ही, साथ समुचित पूंजी नियोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी तभी उद्योग धन्धे यहां स्थापित हो सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं जो खास तौर से कहना चाहता हूं, वह यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण औद्योगिकरण की नीति हमको यहां पर लागू करनी चाहिये। ग्रामीण औद्योगिकरण की योजना को जनता पार्टी के शासन काल में हमने विकास का बुनियादी आधार मानकर लागू किया था। ग्रामीण औद्योगिकरण योजना को लागू करके ग्रामीण उद्योग प्रसार अधिकारी हमने नियुक्त किये थे। उस सारी योजना को पिछले सालों में कांग्रेस शासन ने खटाई में डाल दिया है और जिला उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त किये थे उनको पंचायत

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

समितियों के अन्दर बैठा दिया है। आज उनके पास तनख्वाह उठाने के सिवाय कोई काम नहीं रहा है। हमारे गांवों के अन्दर खेती लाभप्रद धन्धा बनती जा रही है और आज खेती करने वाले आदमी को खाने-कमाने का जरिया खेत बंटवारे के कारण भाई-बेटे के कारण रोजाना छोटा होता जा रहा है। जहां दूसरी जगह खाने-कमाने के जरिये बढ़ते जा रहे हैं वहां हम भी चाहते हैं कि गांव के अन्दर रहने वाले आदमी को खाने कमाने का दूसरा जरिया भी दिया जाये। इसके लिये हम चाहते हैं गांव के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित किये जाकर गांव के अन्दर लोगों को खाने-कमाने का जरिया दिया जाये ताकि गांव के अन्दर रहने वाले आदमी को कारोबार करने के लिये गांव छोड़कर दिशावर या परदेस नहीं जाना पड़े, पढ़े-लिखे बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिये शहर की शरण में नहीं जाना पड़े और मेहनत और मजदूरी करने वाले आदमी को पेट भरने के लिये गांव छोड़ने के लिये मजबूर न होना पड़े। यह सारी की सारी व्यवस्थायें हमको करनी पड़ेगी। यह काम केवल ग्रामीण औद्योगिकरण योजना के माध्यम से घर घर के अन्दर छोटे कल कारखाने लगाकर ही किया जा सकता है। आज गांव का जो सबसे प्रमुख धन्धा है वह पशुपालन का है।

श्री सभापति : समय बहुत हो गया है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे धनवान इलाका माना जा सकता है। आज संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पशु राजस्थान में हैं लेकिन गुणात्मक दृष्टि से उन पशुओं से पशुपालकों को जितना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है। आज हमारे सामने यह चुनौती है कि पशुपालकों को पशु से ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकें। हमारे सामने यह चुनौती है कि पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाये, पशुओं से ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा किया जाय और पशुओं पर आधारित जितने उद्योग चल सकते हैं उन उद्योगों को स्थापित किया जाकर आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाय। यह सारा का सारा काम करना पड़ेगा।

आज जो भेड़ पालक हैं उनकी मुख्य तीन समस्यायें हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि ऊन के जितने पैसे मिलने चाहिये हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक बार हमारे यहां ऊन 23 रुपये किलो तक बिक गई थी, रूस गई थी, परन्तु किसी कारण से या बिचौलियों की बदमाशी से उस ऊन के अन्दर मिट्टी मिला दी गई, 28 करोड़ रुपये की ऊन वापस आ गई, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद से ऊन के भाव 12 रुपये किलो से ऊपर नहीं गये हैं। राजस्थान में जितने भेड़पालक थे सारे के सारे मारे गये। यदि आज मूल्य सूचकांक को देखें तो ऊन की कीमतें भी दूसरी वस्तुओं के अनुपात में बढ़नी चाहिये। ऊन बिकनी चाहिये 60, 70 रुपये किलो, परन्तु हमारे यहां ऊन की कीमत 8 रुपये और 12 रुपये किलो के बीच में मिल रही है। इससे ज्यादा भेड़पालकों के साथ अन्याय नहीं हो सकता।

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

भेड़ पालकों की दूसरी समस्या यह है कि भेड़ पालक जो अपना मेंड़ा तैयार करके बेचता है उस मेंडे की हमारे यहां जिस तरह कीमत बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ रही है। उसका सारा का सारा नफा बिचौलिया ले रहे हैं। हालांकि यही मेंड़ा विदेशों में चला जाता है, कांडला बन्दरगाह पर निर्यात होने के लिए चला जाता है तो भेड़ पालक को उस भेड़ की कीमत मिलती है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। ज्यों ही मेंड़ा काण्डला बन्दरगाह पर पहुंचता है वह मेंड़ा 400 रुपये में बिकता है और वही मेंड़ा जब मिडल ईस्ट में पहुंच जाता है तो बिकता है 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक में। यह सारा का सारा नफा बिचौलिये उठा रहे हैं। यदि सरकार इसको बाहर ले जाने की समुचित व्यवस्था करे, सरकार हवाई जहाज खरीद खरीद कर जगह जगह से मेंडे बाहर भेजना शुरू कर दें, किसान को 800 रुपये मेंडे के मिल जाए और 400 रुपये सरकार नफा लेना शुरू करदे तो सरकार का हवाई जहाज कुछ ही दिनों में घर का हो जायेगा और पशुपालक सारे के सारे पैसे वाले हो जायेंगे, उनके घर में भी खुशहाली आ जायेगी। यह बुनियादी बात है, जब तक इन बुनियादी बातों को, आधार भूत तथ्यों को हम नहीं पकड़ेंगे और ऊपर की ऊपर योजनाएं बनाते रहेंगे तब तक हिन्दुस्तान और राजस्थान का सामयिक विकास नहीं हो सकता। यदि इस राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के अन्दर आपको खुशहाली लानी है तो यह सारी की सारी व्यवस्था आपको करनी होगी, इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास

(व्यवधान)

जहां तक ऊंट पालने का सवाल है, यह राजस्थान की मूलभूत समस्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मुझे दो या तीन मिनट का समय और दे दें, आप आज्ञा देंगे मैं बैठ जाऊंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : (नदबई) यह परम्परा रही है, सभापति महोदय, नेताओं को बैठाते नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मुझे मालूम है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : पश्चिमी राजस्थान का जो प्रमुख जानवर है वह ऊंट है। ऊंट हमारे यहां पर सामान लाने और ले जाने का, सवारियों को लाने और ले जाने का काम करता है परन्तु ऊंट का जो मूल्य किसान को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज से दो दिन पहले श्री नाथूराम जी मिर्धा और मैं और वहां के विधायक बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा मेले में गये थे जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। हमको देख करके बड़ा दुख हुआ। उसी मेले में हम ऊंट खरीदने भी गये हैं और ऊंट बेचने भी गये हैं, घोडे खरीदने भी गये हैं और घोडे बेचने भी गये हैं, मन्त्री होने के नाते लोगों को वहां पारितोषिक वितरण के लिए भी गये हैं लेकिन जिस तरह की मेले की दयनीय स्थिति देखी है,

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

जिस तरह की मवेशियों की घटती हुई संख्या देखी है उसको देखकर बड़ा दुख हुआ लोगों को मवेशियों की जो कीमत मिल रही है वह कतई लाभप्रद नहीं मिल रही है, यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। मारवाड़ के अन्दर खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में यह मेला लगता है, यह एक फसल गिनी जाती है। मेला अच्छा जुड़ जाता है तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी खरीफ की फसल मिल गई। यह मेले बिगड़ते जा रहे हैं इसलिए इसे सरकार को गम्भीरता से लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आज डेयरी का जो धन्धा चल रहा है, जिस समय यह शुरू हुआ था, पश्चिमी रेगिस्तान के आदमी को खास तौर से अच्छा लाभ हुआ था परन्तु अब जिस तरह से प्रशासनिक ढांचे में विस्तार होने से उससे दूध के संकलन पर खर्चा बढ़ गया है वह सारा का सारा खर्चा पशु पालक पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति हमारे यहां पर पैदा होती जा रही है। मैं यह चाहता हूं, दूध इकट्ठा करने का जो खर्चा है वह कम से कम किया जाय, उसका भार पशु पालक पर कम से कम पड़े और उसको दूध के ज्यादा दाम मिल सकें, इसलिये समुचित व्यवस्था हमको करनी चाहिये। जिस तरह शुरू शुरू में डेयरी का विस्तार हुआ था। उसके हिसाब से हमने यह कल्पना की थी कि आने वाले दो साल के अन्दर डेयरी के दूध का जो संकलन है, जो कलेक्शन है वह कम से 8 लाख लीटर तक पहुंच जायगा, आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वह 5 लाख लीटर को भी पार नहीं कर पाया। यह सारी की सारी धीमी प्रगति क्यों हो रही है इसके बारे में हमें गहराई से सोचना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा तभी जाकर इसका कोई न कोई हल निकाल सकते हैं, कारण ढूंढे जा सकते हैं।

जहां तक पंचायत राज का सवाल है, यह पंचायत राज विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर बना था, लोगों में इसके प्रति आस्था भी पैदा हुई थी परन्तु अब जो पंचायत राज का ढांचा बन गया है वह सरकारी नीतियों का वहां पर ढोल बजाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सरकार को खुश कर दें, यह आज सरपंचों का काम रह गया है। या गांव में लड़ाई पैदा कर दें, इसके सिवाय सरपंचों का कोई काम नहीं रह गया है। 17 (घ) के तहत हर सरपंच के सिर पर एक तलवार लटका दी है। उस तलवार के लटकते हुए सरपंच स्वतन्त्र रूप से कुछ भी काम करने में मजबूर हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसके तहत ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : 17 (घ) के तहत। 17 (घ) है या 17 (4) क्या है ?

पंचायत राज के बारे में हमारे भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री शिवचरण माथुर ने कई बार बड़ी बड़ी घोषणाएं कीं। कभी उनको अनुदान ज्यादा देने की घोषणा की है परन्तु उनकी क्रियान्वित के बारे में यदि पूछा जाय तो नहीं के बराबर है। पंचायत राज के अन्दर पंचायतों को जितने महत्वपूर्ण

(62)

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

कार्य दिये जाने चाहिये थे वह सारे के सारे काम आज खटाई में पड़े हुए हैं। इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा. आज सारा का सारा पश्चिमी राजस्थान अकाल की चपेट में आया हुआ है। अकाल की चपेट में आने के बाद में जिस तरह के राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने चाहिये थे, अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र राहत कार्य प्रारम्भ किये जायं और उन राहत कार्यों के अन्दर लोगों को जो मजदूरी मिले वह मिनिमम वेजेज से कम नहीं मिलनी चाहिये ताकि लोग अपना गुजारा कर सकें, अपना पेट पालन कर सकें, अपना भरण-पोषण कर सकें।

इसके साथ भू-राजस्व के बारे में अभिभाषण में यह बात कही गई है कि भू-राजस्व की वसूली बन्द कर दी गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, खेती करता हूं, भू-राजस्व मेरे को भी देना पड़ता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व की वसूली की जा रही है। जो बकाया भू-राजस्व था। केवल उसकी वसूली स्थगित की गई है। बाकी स्थगित नहीं की गई है इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भू-राजस्व की वसूली को रोके जाने की घोषणा की गई है उसको पटवार सर्किल तक क्रियान्वित किया जाय।

जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, इस पेयजल की समस्या के बारे में कहते हुए हमारा गला खुद का ही दुख जाता है। पीने के पानी का जो सवाल है, कहीं पर पानी खारा है, कहीं पानी में पोटाश है तो कहीं पानी में नाइट्रेट ज्यादा है। किसी पानी के पीने से लोगों की हड्डियां बांकी हो जाती है और किसी पानी के पीने से लोगों के दांत पीले हो जाते हैं। किसी पानी के पीने से लोगों को दस्त और अपच हो जाती है। यह तो हमारे यहां पानी की स्थिति है। इस तरह का पानी होते हुए भी जहां पर्याप्त पानी हमको मिलना चाहिये वह पानी हमको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिये व्यवस्था हमारे यहां होनी ही चाहिये। इस पेयजल की समस्या को राजस्थान को प्राथमिक समस्या के आधार पर लेना होगा। युद्ध स्तर पर काम करके इस समस्या से निपटा जा सकता है, इसके बिना निपटा नहीं जा सकता है। कुछ टैंकरों से भी पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाय लेकिन, सभापति महोदय, इससे लोगों को स्थायी तौर पर राहत नहीं मिलेगी, यह निश्चित बात है। आज हकीकत क्या है, आप गांवों में चले जाइये, कभी 10 दिन बिजली नहीं आती है तो कभी 15 दिन बिजली नहीं आती है, लोग पीने का पानी लाने के लिये 10-15 मील जाते हैं। पहले तो, सभापति महोदय, हम जागने के आदि थे, हमारे यहां 10-15 मील से पानी लाने के लिये पखालें भी थीं, मशकें भी थीं, हमारे पास पानी की टंकियां भी थीं, निवड़ियां परन्तु वह सारी की सारी तो पेयजल योजनाओं के लागू होने के कारण बन्द हो गई, खराब हो गई और हम आदि भी नहीं रहे। पहले लोग ऊंट भी रखते थे और दूसरे जानवर भैंसें आदि भी रखते थे जिन से पानी दूर से ला सकते थे। अब वे सारे सिस्टम समाप्त कर दिये। इस स्थिति में हमारे गांवों में 15 दिन तक

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

बिजली नहीं आये तो कल्पना करिये, हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी, इसकी भी आप थोड़ी कल्पना कर लीजिये।

आज कहीं डीजल पम्प चलते है, तो कहते हैं दो घंटे चलाने का आदेश है। वह इसका हिसाब केवल आदमियों की संख्या के हिसाब से लगाते हैं परन्तु हर परिवार के साथ 5-7 पशु भी होते है उनका वह हिसाब नहीं लगाते हैं। इसलिये इस हिसाब में जब तक उन पशुओं को नहीं जोड़ा जायगा, केवल जनगणना के आधार पर ही हिसाब लगाकर प्लानिंग किया जायगा, योजना बनाई जायगी तो वह गांवों के लिये पूर्णतया निरर्थक होगी, इसमें कोई असत्यता नहीं है। जनगणना के साथ पशु गणना को भी शामिल किया जाय तभी जाकर हमें पीने के पानी की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकता है।

जो हैण्ड पम्प हमारे यहां लगाये गये थे, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जो यह घोटाला हुआ है जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। उस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है और आश्वासन भी दिये जा चुके हैं। इसमें क्या हुआ है, उस पर तो मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन हकीकत यह है, आज जो स्थिति है वह यह है कि 90 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द हैं। पिछले चुनावों के अन्दर निष्पक्षता की चर्चा चल रही थी। लोक सभा चुनाव के अन्दर नागौर और जोधपुर, जहां के इंचार्ज श्री परसराम जी मदेरणा थे, में उनकी एक गाड़ी के अन्दर तो ट्यूब वैल खोदने की मशीन चलती थी, एक गाड़ी में पीछे पाइप चलते थे और एक गाड़ी के अन्दर बिजली के खम्भे चलते थे। किसी गांव में पाइप डाल दिये जाते थे तो कहीं पर मशीन खड़ी कर दी जाती थी और कहीं पर बिजली के खम्भे डाल दिये जाते थे, हकीकत यह है कि वास्तविक रूप में वहां आज तक कोई काम हुआ नहीं है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर काम नहीं हुए हैं। कहीं खम्भे पड़े हैं तो कहीं पर पाइप पड़े हैं और कहीं पर मशीनें खड़ी हैं। अब मशीनें तो चालू करके ले गये और जो लग गई हैं उनको वापस उतारना चाहते हैं। गांव वाले लट्ठ लेकर खड़े हैं। यह हमारे यहां की स्थिति है। चुनावों के बारे में मैं आज ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

शिक्षा के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने आमूल-चूक परिवर्तन करने की घोषणा की है। मैं इसकी प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा कि कब तक वह घोषणा क्रियान्वित हो जायेगी, कब तक शिक्षा नीति में आमूल-चूक परिवर्तन हो जायेगा और कब हमारी यह शिक्षा रोजगारोन्मुख होगी। इसकी तो मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। अब यह प्रतीक्षा कब तक करनी होगी, यह भगवान ही जानता है या कोई दूसरा जानता होगा, मैं कह नहीं सकता।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आज सारे के सारे लोग यह मान चुके हैं कि हर

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो सत्ता पक्ष से बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां भ्रष्टाचार है। यहां तक कि टिकट देने के वक्त सर्वोच्च नेताओं ने माना है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। अखबारों में यह बात आई है कि जिनकी छवि ठीक नहीं है, उनको टिकट नहीं दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम भी करेगी।

(2.00 म. प.)

यह मैं सरकार के ऊपर ही छोड़ देता हूं।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, कार्यक्रम हर कोई अच्छा हो सकता है। कार्यक्रम या बात अपने आप में कोई बुरी नहीं होती जो अच्छी नियत से की जाती है किन्तु बात अच्छी है या बुरी है, उसका उपयोग कितना है, लाभ कितना है, यह तभी आंका जा सकता है जब कि उसका क्रियान्वयन सही हो, उसका लागू करने का तरीका सही हो, उसका लोगों को सीधा लाभ मिले। यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो सही रूप से होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। केवल उसकी प्रशंसा में शब्द जाल बिछाया जा रहा है। केवल शब्द जाल से वाहवाही ली जाती है तो यह सर-की इच्छा है, हकीकत में करना है तो इस 20 सूत्री कार्यक्रम को ठीक तौर तरीके से, रचनात्मक ढंग से, कारगार ढंग से लागू करना पड़ेगा तभी जाकर के इसका लाभ मिल सकता है।

जहां तक राजा मानसिंह जी की हत्या का सवाल है, आज यह सबसे बड़ा अहम् का विषय है वह 1952 से हमारी विधान विधान सभा के सदस्य रहे। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर जो विधायक हैं उनके जो प्रमुख हैं, हितों के रक्षक हैं वह आप ही हैं। जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, मैं चाहता हूं कि आपके अपने अधिकारों को उपयोग में लेते हुए, प्रयोग में लेते हुए हमारे हितों की रक्षा करें क्योंकि रक्षा करने का दायित्व आपके जिम्मे है। मैं आप से मांग करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह का हमारे हितों अत्याचार हुआ है, जिस तरह का हमारे हितों पर कुठाराघात हुआ हैं, जिस तरह से हमारे एक साथी विधायक की निर्मम हत्या कर दी गयी है, उसके बारे में आप अपने अधिकारों को काम में लेते हुए हमको राहत प्रदान करें। यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

जहां तक नगरपालिकाओं के चुनाव का सवाल है, अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सरकार पर दबाव डालें कि लोकतन्त्र के अन्दर जिन संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक तौर तरीके से जिन संस्थाओं को कार्य करना चाहिए उनके चुनाव समय पर हों। उसका एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर दिया जाय जिससे की हर संस्था का समय पर चुनाव होता रहे। चुनाव को किसी भी कीमत पर आगे टाला नहीं जाय जिससे लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे, लोकतन्त्र में लोगों का विश्वास बना रहे।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था का सवाल है, माननीय सभापति

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

महोदय मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता कि घोषणाएं तो कई वस्तुओं के वितरण की की हैं परन्तु हम जो गांवों के रहने वाले आदमी हैं हमको वितरण के नाम पर आवश्यक वस्तुओं में चीनी मिलती है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। जब उस दिन माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा साहब ने इस बात का जिक्र किया था तो कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमको कोयला भी मिलता है, हमको तेल भी मिलता है, हमको चावल भी मिलता है, हमको कपड़ा भी मिलता है। शायद इनको भी मिलता होगा या कागजों में मिलता होगा, हमको तो कोई मिला नहीं। मिलने के अन्दर भी यह है कि आज द्वितीय नागरिक जैसा बर्ताव किया जाता है गांवों में रहने वाले आदमी के साथ। शहर में रहने वाले आदमी को चीनी मिलेगी एक किलो, गांव में रहने वाले आदमी को चीनी मिलेगी आधा किलो। हम कहते हैं कि हमारा धन्धा लाभप्रद बनता जा रहा हैं, कहते हैं, वह तो ठीक है। हम भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, शहर के आदमी और गांव के आदमी में जो यह भेदभाव बरता जा रहा है, कम से कम जो जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुए हैं उनके देने में तो हमारे साथ में भेदभाव नहीं बरता जाय, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक–घंटी)

एक मिनट में। एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से समय लेना चाहता हूं। हमारा जो प्रदेश है उसकी सीमाऐ लगी हुई हैं पाकिस्तान से····

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान की सीमाओं से हमारे यहां पर स्मलिंग हो रही है स्मगलिंग होने की बात केन्द्रीय जांच ब्यूरो मान चुका है आज वह यह कह चुका है कि ××× यह सारा का सारा आपके सामने आ चुका। मैं कहना चाहता हूं कि अपना प्रदेश सीमा पर बैठा है, अपना भी यह दायित्व होता है कि उस स्मगलिंग की वारदातों को रोकें। उसके साथ ही साथ····

श्री शिवराम शर्मा : (वनीपार्क) सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य,जो कह रहे हैं। कि ××× आप यह सरासर गलत कह रहे हैं। इसको कृपया निकालने का कष्ट करें···· कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : रिपोर्ट में नाम है।

श्री शिवराम शर्मा : कहां रिपोर्ट में नाम है ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : कौन सी रिपोर्ट में नाम है, कभी आया नहीं।

श्री शिवराम शर्मा : कौनसी रिपोर्ट है, बताइये।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रतनलाल ताम्बी : रिपोर्ट यहां कोई डिसकस हुई नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : आज बोलने लग गये, ××× ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) चुनाव की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य ने कहा है तो उनकी रिपोर्ट रखी जाय। बिना आधार पर बात करना अच्छी बात नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह आज आपके पास बैठे हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, जिस सीमा तक माननीय सदस्य जा रहे हैं, उस सीमा तक जाने का विचार नहीं था।....

श्री सभापति : कृपया समय बहुत हो गया है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सारा का सारा रिपोर्ट के आधार पर है।

श्री रतनलाल ताम्बी : कौन सी रिपोर्ट ? आप उसको रैफर कीजिए।

श्रीमती हमीदा बेगम : जितने माननीय विधायकगण यहां बैठे हुए हैं, सदस्यगण बैठे हुए हैं उन सब पर आरोप आता है। इनके कहने का अर्थ यह हो जाता है कि अभी....

श्री रतनलाल ताम्बी : ये धन्धा आप ही लोग करते रहे हो बैठकर।

एक माननीय सदस्य : चूरू से आने वाली माननीय सदस्या, आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपका नाम तो है ही नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : ××× उनका नाम।

श्री कल्याण सिंह कालवी : आज हमारी सीमाओं के ऊपर जो गुप्त से गुप्त दस्तावेज सिपाही ले जा रहे हैं, गुप्तचर ले जा रहे हैं। वह विदेशों में पहुंच जाते है। हमारे जो गुप्त दस्तावेज निकल जाते हैं उस ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए।

एक माननीय सदस्या : आप क्यों परेशान हो रही हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : उन्होंने यह नहीं कहा। लेकिन ऊपर जो यह कहा गया कि ××× इसमें सभी का नाम होता है। इस तरह की बात माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री सभापति : आपका समय जाया हो रहा है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण समाप्त करता हुआ आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले

×××अभिव्यक्ति/नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

पांच साल के अन्दर केन्द्र के दबाव में आकर माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को खुश करने के लिये राजस्थान के हितों को जिस तरह से बेचा गया था उस तरह से हितों को भविष्य में नहीं देखा जायेगा। इस तरह का मैं आपकी तरफ से आज आश्वासन चाहता हूं हमारे यहा पर पानी के बंटवारे का सवाल है, बिजली के बंटवारे का सवाल है, राजस्थान का समुचित हिस्सा राजस्थान को मिलता रहे इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवचरणसिंह! कृपया इस बात का ख्याल रखें कि आपके बहुत से बोलने वाले हैं। उनका समय घटेगा आने वालों का……

श्री शिवचरण सिंह : (करौली) आपके हुक्म का पालन करूंगा लेकिन आप भी मुझ पर कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय इन्दिराजी की हत्या के पश्चात् लोक सभा के चुनाव जिस परिस्थिति में हुए उस समय माननीय राजीवजी ने प्रधान मन्त्री बनने के पश्चात् दो मुख्य बातें कहीं थीं, एक स्वच्छ प्रशासन की बात कही, दूसरी बात निष्पक्ष चुनाव कराने की बात थी। दुर्भाग्य और सौभाग्य से मैंने स्वयं भी लोक सभा का चुनाव लड़ा। उस समय मैं नटवरलाल, लाल हैं या सिंह हैं कह नहीं सकता × × × के खिलाफ लड़ा था। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की घटनाऐं वहां घटीं, मैं और आप आमने सामने वहां रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता तो नहीं, आपने बहुत सी चीजें अनुभव कीं लेकिन उन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जो स्वच्छ प्रशासन की बात कही वह तो आगे सामने आयेगी, पर निष्पक्ष चुनाव की बात पर निश्चित तौर पर एक विराम चिन्ह लगा। जिस प्रकार की घटनाएं लोक सभा के चुनाव में घटीं, जिस प्रकार गवर्नमेंट मशीनरी ने, गवर्नमेंट के अधिकारियों ने चुनाव के अन्दर प्रचार-प्रसार ही नहीं किया बल्कि फर्जी वोट डलवाये वह वहां काउंटिंग के समय सामने आया। खैर! लोक सभा के पश्चात् सौभाग्य और दुर्भाग्य से विधान सभाओं के चुनाव हुए। उस समय यह आशा बाधी थी कि निष्पक्षता विधान सभा चुनाव के अन्दर बरती जायेगी। विधान सभाओं के चुनाव जिस परिस्थिति के अन्दर जिस प्रकार से हुए, उसके जो परिणाम आये, उन परिणामों के बाद हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ है वहीं से मैं शुरू करता हूं। मैं इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से चनावों की बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जनता ने जो फैसला दिया वह हमें शिरोधार्य है लेकिन चुनाव जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कराये उसके बारे में अगर आप मनन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण सिंह)

कि राज्य सरकार ने एक प्रतिशत भी निष्पक्षता का व्यवहार इस चुनाव के दौरान नहीं किया। सरकारी मशीनरी का पूर्ण दुरुपयोग किया गया। सरकारी कर्मचारियों का········

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : तभी तो तुम जीत गए।

श्री शिवचरण सिंह : जीत गये डण्डे से। डण्डे से आऐ हैं, मेहरबानी से नहीं आऐ हैं। ऐसे ही नहीं आ गये हैं, × × × जब आये हैं हम। ऐसे ही नहीं आ गये हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेहरबानी से आ गये हों। कसर छोड़ी नहीं फिर भी आ गये हैं। और इसीलिए तो सुना रहे हैं कि अगर यही कुकर्म करोगे तो भट्टा तुम्हारा भी बैठेगा। अरे, अपने नेता की बात तो मानो भाई। उन्होंने स्वच्छ प्रशासन की बात कही, निष्पक्ष चुनाव की बात कही, अगर आप अपने नेता की भी बात नहीं मानना चाहते हो तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके पहले वालों का हुआ है, समझ लो। इसलिए कहना चाहता हू कि कुछ लोग तो छवि से गये और कुछ लोगों को जनता ने निकाला वैसे ही आपका भी हश्र होगा इसलिए थोड़ा समझ लो इस को कि आपको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : लोक सभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों का जो परिवार नियोजन किया उसके सम्बन्ध में क्या कहना है आपका। वह किस की छवि से गये थे ?

श्री शिवचरण सिंह : महिलाजी, बहिनजी, परिवार नियोजन की बात तो मैं नहीं कहना चाहता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या नहीं होती और कोई सदस्य होते तो मैं उत्तर देता, आपको उत्तर देने में मुझे शर्म लगती है जरा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया चालू रखें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापतिजी, माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण पर मुझे आशा यह थी कि बेहतर प्रशासन और विवेक सम्मत आर्थिक नीतियों के आधार पर यह अभिभाषण तैयार किया होगा। लेकिन इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो प्रशासन तंत्र के लोग हैं उन्होंने राजनैतिक नेताओं के दबाव में आ करके यह सिर्फ फर्जी डाकूमेंट तैयार किया है। आप अगर शुरु से इसको पढ़ें तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति का इसमें विवेचन किया गया है, पिछले पांच सालों का लेखा जोखा लॉ एण्ड आर्डर का लें तो मेरे ख्याल में राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति रही वैसी दयनीय स्थिति हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में नहीं रही होगी। मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई वस्तु नहीं है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण सिंह)

वहां गुण्डों का पूर्ण साम्राज्य है। वहां पर राज व्यवस्था जैसी चीज है नहीं। वहां पर राज व्यवस्था जैसी कोई चीज है नहीं और कानून के राज की वहां एक प्रतिशत भी व्यवस्था नहीं है। मेरे इलाके के अन्दर हजारों डकैतियां होती हैं। इस अभिभाषण में जो यह बात कही गई कि इन्दिराजी की हत्या के पश्चात् जो झगड़े हुए उसमें राजस्थान शांति प्रिय रहा, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इलाके धोलपुर और उसके आस पास के इलाकों के अन्दर खूब खून खराबा हुआ, खूब झगड़े फसाद हुए। डकैती रोबरी, बैंक डकैती, हत्याओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं, यह तो अनेकों मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई है। ला एण्ड आर्डर के पुराने आंकड़ें अगर आप निकालेंगे तो राजस्थान की बड़ी दयनीय स्थिति रही है। यही नहीं, छोटे मोटे झगड़े हिन्दु मुस्लिम और साम्प्रदायिकता के नाम पर राजस्थान में बहुत अधिक हुए हैं। इतना सब होने के पश्चात् सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार की घटनाऐं घटीं, राजा मानसिंहजी की जिस प्रकार से हत्या की गई, वह हत्या ही नहीं, उसके पूर्व भी, माननीय सभापति महोदय, बयाना के अन्दर 25 नवम्बर को जिस प्रकार से पुलिस ने फायरिंग किया कोट गांव के अन्दर, वह आपको विदित है। लेकिन आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं इसलिए बोलने में सकपकाते हैं क्योंकि आप भी लगे हुए हैं आशार्थियों की क्यू में। कोट के अन्दर मामूली से झगड़े पर पुलिस का थानेदार गया उसके वहां पर जाने के बाद जिस तरह के झगड़े हुए, बयाना में जो एडीशनल एस. पी. या डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात हैं वह फोर्स लेकर गये और गांव के लोगों को घेरा। किस प्रकार से वहां गांव के लोगों पर बंदूकें चलाईं, यह सर्व विदित बात है।

मैं कोटपूतली की घटना की बात नहीं करना चाहता, यह आपके चुनाव के केवल कुछ दिन पूर्व की बात है। उसके पश्चात् मानसिंह जी की किस प्रकार निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, यह सारी बातें विदित हैं।

जहां तक राजस्थान के विकास का प्रश्न है, उसमें हम और आप सारे भागीदार हैं। अगर प्रशासन तंत्र और सत्ताधारी दल के लोग इस बात की कोशिश करें कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो तो कौन सा ऐसा पक्ष होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यह नहीं चाहेगा कि राजस्थान का विकास हो। राजस्थान की स्थिति बड़ी दयनीय है। माननीय सभापति महोदय, आपको मालुम होगा, पिछली बार राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति रही, बजट के दौरान वह क्या थी? उस समय उन्होंने भूमि कन्वर्सन के द्वारा और राजस्थान केनाल की भूमि बेच कर अपना घाटा पूरा करने की बात कही, एक्साईज से रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही, खनिज सम्पदा से रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही। लेकिन उसमें कितना अचीव किया यह सब आपको आंकड़ों को देखने के पश्चात् पता चलेगा। हमारे राजस्थान प्रान्त के अन्दर प्रकृति ने जो धन के साधन दिये हैं वह पांचों स्रोतों में हमारे यहां मौजूद हैं। हमारे धन कृषि है, जंगलात है, पशुपालन है, मिनरल वैल्थ है और वाटर रिसोर्सेज है। इन सब के पश्चात् अगर सत्ताधारी दल के लोग

(श्री शिवचरण सिंह)

विपक्ष को कोसते रहें और उन साधनों का दोहन करने में पीछे रहें तो इसमें दोष सत्ताधारी दल के लोगों का होगा।

अभी प्लान और नान प्लान की बात कही, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कही। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो रूप है, बढ़ा चढ़ा कर उसके आंकड़ें दिये गये है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपने रिसोर्सेज, ओन रिसोर्सेज स्टेट के नहीं होंगे तो केन्द्र से भी योजनाओं के लिए उपलब्ध होने वाली राशि में निश्चित तौर पर कमी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वह सैल्स टैक्स है। सैल्स टैक्स को जनता पार्टी की सरकार ने अबोलिश करने की घोषणा की उसी घोषणा को देखा-देखी कांग्रेस ने पिछले चुनाव के अन्दर घोषणा की थी लेकिन उसको अबोलिश नहीं कर सके। सैल्स टैक्स में इनको जितना प्राफिट होना चाहिए था उसमें जबर्दस्त लीकेज रहा। सैल्स टैक्स में उतना रुपया प्राप्त नहीं कर सके जितना इनको करना चाहिए था।

दूसरा आय का जो बड़ा स्रोत है, वह एक्साइज का है। एक्साइज के अन्दर जो गारण्टी सिस्टम इन्होंने अडाप्ट किया, उस गारण्टी सिस्टम के माध्यम से पिछलो साल जिस प्रकार से ठेका हुआ उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। ग्रुप बना करके इन्होंने बड़े-बड़े ठेकेदारों से धन लिया धन लेने के पश्चात् इस साल खुले आम अंग्रेजी शराब की दुकानों की निलामी हुई तो इन आंकड़ों को देखिये आप, दुगुनी और तिगुनी आमदनी हुई है। क्योंकि सबल विरोध पक्ष आया, इन्होंने सोचा कि यह कबाड़ा करेंगे. पर्दा-फाश करेंगे और यह चलने नहीं देंगे। विरोधी पक्ष से डरने के पश्चात् इन्होंने अंग्रेजी शराब के जो ठेके नीलाम किए हैं उसके अन्दर इनको बड़ा भारी लाभ मिला है। पिछली साल जो इन्होंने देशी शराब और अंग्रेजी शराब के ठेके दिये उसके अन्दर घोर भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी जब शिकायतें की गई, जो पूर्व वित्त मन्त्री थे उनके पास अनेकों शिकायतें आई। लेकिन उन्होंने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

तीसरा हमारे यहां आय का सबसे बड़ा जो साधन है वह खनिज सम्पदा का है। सभापति महोदय, हमारे यहां खनिज दोहन का जो काय होता है, कुछ कार्य आर.आई. एम. डी. सी. के माध्यम से होता है कुछ कार्य होता है डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से और कुछ कार्य होता है, प्राइवेट लीज होल्डर्स के माध्यम से। हमारे राजस्थान में खनिज सम्पदा की लीज दी जाती है वह एम. एम. सी. आर. के माध्यम से दी जाती है। एम. एम. सी. आर. का पूर्ण वायोलेशन किया जा रहा है उसको तोड़ा जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, यह इन्दिरा जी की इज्जत करते हैं, 1980 के अन्दर फारेस्ट कंजर-वेशन एक्ट माननीय इन्दिरा जी इस उद्देश्य से लायीं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 33 प्रति-शत जंगलात की आज जरूरत है, 33 प्रतिशत जंगलात की जगह पर हमारे देश के अन्दर 20 प्रतिशत जंगलात नहीं रहे। राजस्थान

(श्री शिवचरण सिंह)

में मात्र नो प्रतिशत जंगलात हैं। फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट, जो सेंट्रली अमेंडेड एक्ट है आने के बाद सारी स्टेट्स के अन्दर नान फारेस्ट एक्टीविटीज, जो फारेस्ट एरिया में होती थीं, को बन्द किया गया लेकिन यहां इस पक्ष में बैठे रहने वाले लोगों, जिनमें कुछ विधान सभा के कुछ माननीय सदस्य भी हैं, के दबाव में आकर सत्ताधारी दल के लोगों ने इनकी इन्दिरा जी के लाए हुए कानून, जो मेरे ख़याल में ठीक कानून था को आल्टर नहीं किया क्योंकि फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के अन्तर्गत फारेस्ट एरिया के अन्दर नान फारेस्ट कार्य चाहे माइन का काम हो, चाहे दूसरे कार्य हों, हो नहीं सकता था, फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट का वायोलेशन हो रहा है आज खुले आम। एम. एम. आर. सी. और जो माइनिंग के एग्रीमेंट थे उन एग्रीमेंट के अन्दर अमेंडमेंट लाने के पश्चात् भी उनकी अनुपालना नहीं की गई। आप ताज्जुब करेंगे, 21-12 और 22-12 को इलेक्शन के दौरान लीजेज की मंजूरी दी। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अलवर की एक पार्टी स्टार्क एण्ड कम्पनी। उन स्टार्क एण्ड कम्पनी की लीज है फारस्ट के अन्दर सोप स्टोन की। उस कम्पनी ने राज्य सरकार को जो चालान होते हैं रुपया जमा कराने के फर्जी बनाये। फर्जी चालान बना कर डिपार्टमेंट को बता दिया कि मैं डिफाल्टर नहीं हूं, मेरे पर पैसे बकाया नहीं हैं, मैंने जमा कराये हैं। उस कम्पनी पर क्रिमिनल केस है। चुनाव के दौरान इन्होंने स्टार्क एण्ड कम्पनी को, फारेस्ट एरिया में काम करने की इजाजत के लिए रिन्यूअल दिया है ऐसी अनेकों मिसाल हैं।

हमारे धौलपुर और करौली के अन्दर इसी सदन में वाली से आये हुए माननीय सदस्य को 212 किलोमीटर का लीज एरिया दे रखा है। राजस्थान में माइनिंग में सीलिंग है, 15 कि. मी. से ज्यादा का कोई माइनिंग लीज होल्डर हो नहीं सकता। माननीय जुझारसिंह के जमाने में सीलिंग का कानून आया, आज 12 साल हो गये, राजस्थान भर में एक भी माइनिंग लीज होल्डर ऐसा नहीं है जिस माइनिंग लीज होल्डर के पास 15 कि. मी. से ज्यादा का एरिया न हो।

वाली से आने वाले सदस्य माइनिंग लीज होल्डर हैं, माननीय राजीव जी के मित्र हैं, क्योंकि उनकी बीवी भी इटली की इनकी बीवी भी इटली की, ...कहिये।

(व्यवधान)

कुछ भी कहिये; मैं नहीं कहना चाहता, माननीय सदस्य हैं, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस राज को किस तरह चलाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह राजनीति का बिल्कुल भ्रष्ट आचरण पर आधुनिकीकरण का एक षड़यंत्र है। वाली से आने वाले माननीय सदस्य, को 212 कि.मी. का लीज एरिया दे रखा कोर्टों के जरिये इसमें फर्जी से आर्डर चल रहे हैं 212 कि.मी. का एरिया है राजस्थान में से राजाओं का राज चला गया, जागीरदारों की जागीर चली गई, जमींदारों की बिस्वेदारी चली गई, लेकिन आज भी इस तरह के नये जागीरदार खड़े किये जा रहे हैं, क्या यह उचित है यह राज चलाने वाले लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप राज्य के स्रोतों का दोहन करना चाहते है तो किस प्रकार आपको भ्रष्टाचार मिटा

(श्री शिवचरण सिंह)

चाहिये और किस प्रकार आप मिटाना चाहते हैं ? आप मिटायेंगे कैसे, आपके साथ में बैठे हुए लोग है वह कैसे मिटाने देंगे। इसमे पूर्व सरकार थी उसमें किरोड़ीलाल विरेन्द्रपाल के नाम से लीज थी, रंगीलाल नाम से लीज थी। यह कौन लोग हैं ? ××× आप कैसे राजस्थान को सक्षम बनाना चाहते हैं। कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे से सेवेन्थ प्लान के लिए आप पैसा लाना चाहेंगे, कैसे राजस्थान के डेफिसिट को आप कम करना चाहेंगे, कैसे राजस्थान की आमद को आप कम करना चाहेंगे ?

श्री शिवराम शर्मा : आप मन्त्री थे तब यह पनपे थे।

श्री शिवचरण सिंह : मैं रहा हूं, मैंने आपको अन्दर और बाहर से देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं तो जब आपका साथी था तब भी आपकी बुराइयों से लड़ा। माननीय सुखाड़िया जी, जो स्वर्गवासी हो गये ....

श्री शिवराम शर्मा : आपके टाइम में पले। सुखाड़ियाजी जी के टाइम में आप मन्त्री थे तब पले।

श्री शिवचरण सिंह : मेरे टाइम में नहीं बने शिवराम जी, आप खुद भी लीज होल्डर हो और आपको मालूम हैं। कानून के अन्तर्गत आपने भी ली है।

श्री शिवराम शर्मा : जनता पीरियड मे आपने महाराजाओं को पैदा किया था और जनता पीरियड में उनको सींचा है अब बुराई कर रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : इसीलिए मैं छोड़कर आया कि भई, मुझसे गलती से पल गये। अब आप उनका दम घोंट दो अगर आप सक्षम हो और सच्चरित्र हो, यह लाइन से जो लगे हैं, पहली बार टिकट नहीं कटवाना हो, चरित्रवान बनना चाहते हो, टिकट आपका कटे नहीं तो अच्छे चरित्र पर चलो मैं तो लेता हूं डण्डे के जोर से। पैसे की चोट से लेता हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य रहा है ....

श्री शिवराम शर्मा : आपका कट गया।

श्री शिवचरण सिंह : मै आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आप स्वच्छ प्रशासन दें, आपके लीडर का आपको यह हुक्म है। या फर्जी हुक्म है ? अगर हुक्म है तो आपको मानना चाहिए अनुशासित सिपाही के नाते फर्जी हुक्म है तो आपको नहीं मानना चाहिए, जो प्रकट हो जाएगा।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दों जो राज्य सरकार के लेप्सेज थे, के बारे में आपको अर्ज कर रहा था।

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री शिवचरण सिंह : समय का तो ध्यान है, कुछ और सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के आदमियों का समय कटेगा।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शिवचरण सिंह : आप कुछ तो कृपा करोगे।

श्री सभापति : आपकी कृपा का आभारी हूं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान को कुदरत ने सारे स्त्रोत दिये हैं उनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, यह बड़ा जरूरी है। हमारे यहां बिजली की बड़ी भारी समस्या की बात कहते हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश से बिजली का हिस्सा लाने में राजस्थान सरकार फेल रही, न यह दब्बू सरकार ले सकेगी। आज बिजली की क्या दशा है? बिजली की रेट के अन्दर डिस्पेरिटी है। कारखाने वालों को बिजली की दर कुछ, किसानों को दर कुछ। बड़े कारखानों को कुछ और रिबेट, दर कुछ और। इसका कारण यह है कि हमारे यहां बिजली का अभाव है। किसानों को रात के अन्दर बिजली मिले, कारखानों को दिन के अन्दर। यह सारी हालत मिटाने के लिए यही उपाय है कि हम हमारे हिस्से की बिजली ले बिजली के साधन बढ़ाया।

मैं, सभापति महोदय; आपके पड़ौस के क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं, राज्य सरकार के अगर कोई वरिष्ठ मन्त्री बैठे हैं तो लिखें। हमारे चम्बल पर नेचरल वाटर फाल है, रऊ का घाट, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में है, जहां 150 फीट चम्बल नीचे गिरती है। इतना बड़ा जल प्रपात है कि राजस्थान में हाइडल स्टेशन उसके मुकाबले कहीं आइडियल नहीं हो सकता। रऊ का घाट कहलाता है जिसका प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है। बारी क्षेत्र में एक स्थान है डवोक, तीसरा करौली के अन्दर है जिसका सर्वे हो चुका है। सर्वे करने के पश्चात् राज्य सरकार चाहें तो बिजली का उत्पादन बढ़ा सकती है।

इसी प्रकार से मेरी कांस्टीटयूएंसी के अन्दर एक नाचना प्रोजेक्ट है। माननीय सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक की सहायता से वह मीडियम प्रोजेक्ट बना है लेकिन उसको बनते हुए आज 8 साल हो गये, डेम कंप्लीट है और डैम के बारे में कई इन्क्वारी राज्य सरकार को जा चुकी लेकिन आज तक उस डेम की केनाल तैयार नहीं हुई। चार साल बांध को बन्धे हुए हो गये, इर्रीगेशन केनाल तैयार नहीं होने की वजह से जो 16-17 करोड़ रुपये इस डैम पर खर्च हुए हैं वह वेस्ट जा रहे हैं। कोई उपयोग नहीं हो रहा है बांध का। पानी को रोक कर बांध के पानी को रास्ते से नदी के पानी के साथ निकाल देते हैं। अगर इसकी कैनाल बन गई होती, डिफेक्टिव प्लानिंग नहीं होती, ठीक प्रकार से सर्वे करके नहर बनाई जाती तो आज उस पानी का उपयोग होता। इसके नीचे जो और डैम बनाने थे वह काम और रुक गया। वर्ल्ड बैंक वाले दो-तीन बार इस डैम को देखने आये, इसकी प्रगति से उन्होंने कतई संतोष महसूस नहीं किया। उस बांध की प्रगति आज रुकी हुई है। इसी प्रकार की हालत और सबकी है। पूर्वी राजस्थान में.......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा।

(श्री शिवचरण सिंह)

पूर्वी राजस्थान में माइनर और मीडियम इर्रीगेशन के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका डिटेल सर्वे कराया जाना चाहिये लेकिन, सभापति महोदय, इनको परवाह रहती है उदयपुर डिवीजन की, इनको परवाह रहती है जोधपुर डिवीजन की। फेमिन के नाम पर, अकाल के नाम पर खाने वाले लोग हैं। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा फेमिन के नाम पर खर्चा होता है दक्षिण, पश्चिम के अन्दर। राजस्थान का तब तक विकास नहीं होगा जब तक इसका दो टुकड़ों में योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा। पूर्वी हिस्से का मैंने सुझाव दिया है। मांग कर खाने वालो लोगों, सब्सिडी पर पले....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, आप भी त्रस्त हैं, मैं भी त्रस्त हूं। सारा धन ले गये, 90 प्र. श. रीपेएबल है। भारत सरकार का कर्जा बढ़ाते चले गये, ओवर ड्राफ्ट को कर्जे में बदल लिया गया। पिछले साल डेफिसिट रहा, आगे आने वाले वर्ष के लिये घोर अन्धेरे में हैं। पूर्वी राजस्थान के सारे लोग टैक्स देते देते पागल हो गये हैं और उदयपुर और जोधपुर के अभ्यर्थी खाते खाते थक गये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : जोधपुर के अन्दर डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड बन सकता है पूर्वी राजस्थान में माउन्टेन डवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, बहुत हो गया।

श्री शिवचरण सिंह : पूर्वी राजस्थान जो भरतपुर से लेकर सिरोही तक जाता है, के अन्दर माउटेन डवलपमेंट बोर्ड बने, वहां पानी पीने को नहीं, पहाड़ों के अन्दर भेड़ें घास को खा गई, पशु सारे मर गये, कोई सुनता नहीं। वहां किसानों के लिए आप भी लड़े, मेरे से पहले भी लड़े।

श्री सभापति : बहुत हो गया, कृपया।

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपको कहना नहीं चाहता, आपकी जुबान को लगाम है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, मैं आपकी ही कह रहा हूं, दूसरे की नहीं कह रहा हूं, सभापति महोदय, जमुना नदी का पानी भरतपुर में नहीं आया। माही, जाखम और राजस्थान कैनाल में जो प्रगति हुई उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो नेचरल वाटर हमें मिला हुआ है उस नेचरल वाटर का केवल 13 प्रतिशत उपभोग कर रहे हैं, बाकी 87 प्र. श. पानी बहा चला जा रहा है राज्य सरकार इसका इतजाम नहीं करती तो अक्षम सरकार है और अगर करती है तो धन्यवाद की पात्र है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्य और टाइम लेंगे तो उनकी पार्टी का टाइम कट जायेगा।

श्री शिवचरण सिंह : मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : एक ही बोल सकता है लेकिन दूसरे लोग सफर करेंगे। पार्टी के अन्य सदस्यों का भी खयाल रखें।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : अपनी पार्टी से स्वीकृति लेकर पूरा बोल सकते हैं।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, अगर एक ही माननीय सदस्य टाइम ले लेंगे तो सबकी बात कैसे पूरी होगी।

(व्यवधान)

थोड़ा टाइम हमें भी मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय' औद्योगिक विकास के बारे में इस अभिभाषण में कुछ जिक्र किया गया है उद्योग बढ़ाने के पश्चात् मालूम हुआ कि मजदूरों की जो संख्या बताई गई है, 1 लाख 95 हजार मजदूर हैं। उन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है? इस प्रांत के अन्दर प्रोविडेंट फण्ड की स्कीम लागू नहीं, प्रोविडेंट फण्ड एक्ट की अनुपालना नहीं, बोनस एक्ट का अनुपालना नहीं, मिनिमम वेजेज एक्ट की अनुपालना नहीं। माननीय सभापति महोदय........

श्री सभापति : पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : न्याय कर रहा हूं आपके हुक्म से। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, देश के मजदूरों की जो यह हालत है, इतनी कम मजदूरी........

श्री सभापति : कृपया। आपके कष्ट को समझता हूं।

एक माननीय सदस्य : आगे का नाम पुकार लिया जाय ताकि माननीय सदस्य को मालूम पड़ जाये कि समय समाप्त हो चुका है।

श्री शिवचरण सिंह : अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती माननीया हमीदा बानो। महिला को चान्स दिया जा रहा है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य थोड़ा सा इन्तजार करें, पांच मिनट और इसके बाद माननीय श्री मुक्ति लालजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : यह बेगम हैं, बानो होती है कुमारी। बेगम हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सदस्या को सुनाई नहीं पड़ा। जस्ट बाद में बानो की जगह हमारे सभापति महोदय ने मुझे बेगम से पुकार लिया है।

श्री सभापति : दोनों ही शब्द बहुत अच्छे हैं। दोनों ही बात बड़ी अच्छी लगने वाली है, सम्मान सूचक है।

(ढे)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपयुक्त नहीं। दोनों उपयुक्त नहीं है, दोनों में से एक उपयुक्त होगा।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, ने सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया उस पर नाथद्वारा के एम. एल ए. सी. पी. जोशी साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहती हूं।

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद भारत की प्रगति की तरफ और राजस्थान की प्रगति की तरफ हम जब दृष्टि डालते हैं तो हमारा ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले हरेक नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। जिस वक्त हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस वक्त यहां शिक्षा की वैज्ञानिक क्षेत्र के अन्दर, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर, तकनीकी क्षेत्र के अन्दर जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, विज्ञान के अन्दर भारत ने सर्वांगीण विकास करते हुए राकेश शर्मा को अन्तरिक्ष में भेजा यह हमारे लिए अत्याधिक गर्व की बात है। हर हिन्दुस्तानी इस बात पर फ़क्र करता है। हमारा सिर हमारी माननीय नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पोकरण के अन्दर परमाणु परीक्षण करके ऊँचा किया, हम इस बात को कदापि नहीं भूल सकते। आज हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चलते हुए विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है।

राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के अन्दर इस वर्ष को युवा वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। युवाओं के संबध में जो उल्लेख किया गया उसका मैं स्वागत करते हुए सरकार से कहना चाहती हूं, यद्यपि पिछले वर्षों के अन्दर हमारी सरकार ने युवा बेरोजगारों के दर्द को समझते हुए समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहन दिया उस प्रोत्साहन के लिए हम अपनी सरकार की जितनी भी सहारना करें वह कम है, फिर भी मैं इस मंच से और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं अपना सुझाव देना चाहती हूं कि युवा वर्ष के अन्दर युवा वर्ग को कोई रचनात्मक कार्यक्रम हम दे दें तो उस रचनात्मक कार्यक्रम के तहत यह युवा वर्ग हमारे देश के विकास की प्रक्रिया में और अधिक सक्षमता और दृढ़ता से जुड़ेगा। इसका लाभ न केवल प्रान्तीय स्तर पर होगा बल्कि हमें देश के स्तर पर भी इसका लाभ होगा। मेरा सुझाव यह है कि हमें अपने युवा वर्ग को रचनात्मक कार्य देने के लिये परिवर्तन करना होगा और यह परिवर्तन उनकी शिक्षा के स्तर पर करना होगा। युवा वर्ग की एक मनोकामना यह भी रहती है कि उसे अर्थ लाभ की प्राप्ति हो। इसके लिये उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि शिक्षा की समाप्ति के पश्चात् जब वह अपने सामाजिक जीवन के अन्दर प्रवेश करें तो उसके लिये अर्थ की व्यवस्था स्वयं कर सके और अर्थ की व्यवस्था करते हुए अपने प्रांत का विकास कर सके। देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, में युवाओं को उनका प्रक्षिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, मशीनरी का काम करने की क्षमता युवा वर्ग में आ जाय, इसका

(श्रीमती हमीदा बेगम)

प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और घरेलू काम में आने वाली जितनी भी हमारी इलैक्ट्रिकल आवश्यकता है उसका अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाय तो वह समाज को एक महान् उपलब्धि देगा। जब समाज सर्वांगीण विकास करेगा तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारा प्रांत भी उसके साथ विकास करेगा, हमारा देश भी उसके साथ विकास करेगा।

महिलाओं के बारे में महामहिम राज्यपाल जी ने जो उदारता दिखायी, महिला शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए ये जो रास्ता दिखाया वह एक ऐसा कदम है जिसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना कदापि नहीं भूलना चाहती। मैं एक बात महिला शिक्षा के सम्बन्ध में इस मंच से यह भी निवेदन करना चाहती हूं, जितना काम किया गया वह तो सराहनीय है लेकिन हमें आज एक बात पर विचार करना होगा, समाज की व्यवस्था के सुधार में जितना महिला का योगदान रहता है उतना और किसी का नहीं रहता, महिला अगर शिक्षित होती है, महिला अगर पढ़ी-लिखी होती है तो वह अच्छी तरह से अपने बच्चों और अपने परिवार का, अपने घर को और अपने घर के साथ-साथ अपने गांव, अपने शहर को विकास करने में पूर्ण सहायक सिद्ध होती है। मुझे यह कहते हुए बहुत अधिक अफसोस होता है, केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तो आज शहरों के अन्दर अपनी बालिकाओं को इन्जीनियर, डाक्टर और वकील की पढ़ाई कराते हैं। परन्तु हमें अपने गांव की तरफ भी देखना होगा जहां हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता रहती है। मेरा अपना सुझाव सरकार से इस बात के लिये यह है कि ग्रामीण स्तर पर हमें उच्च माध्यमिक स्कूल बालिकाओं का स्थापित करना होगा ताकि हमारी वह बच्चियां जो उच्च प्राथमिक शिक्षा के बाद शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं, उनको इससे बचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो महाजन वर्ग है वह तो अपनी बच्चियों की शिक्षा शहरों में करा देता है क्योंकि उनके शहरों के अन्दर रिश्तेदार बसते हैं। उनका एक ही आधार रहता है कि शहरों के अन्दर उनके रिश्तेदार बसते हैं। वह अपनी बच्चियों को अच्छा रिश्ता मिलने की खातिर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा किसान, मजदूर और अल्पसंख्यक वर्ग अर्थ के अभाव में, धन की कमी के कारण अपनी बच्चियों को जो शिक्षा दिलानी चाहिए वह नहीं दिला पाता। उनके लिए मैं सरकार से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरफ पूर्ण ध्यान दे। वह सभी ऐच्छिक विषय, जो शहरों के अन्दर हमारे विद्यालयों में खुले हुए हैं, ग्रामीण स्तर पर भी खोल दिये जाने चाहिये। हमारी बच्चियों के लिए कम से कम सब-डिविजन पर एक छात्रावास जरूर होना चाहिए ताकि वह मां-बाप जो अर्थ की कमी के कारण, धन की कमी के कारण अपनी बच्चियों को शहर भेज कर पढ़ाई का व्यय नहीं उठा सकते हैं, उनको इसका लाभ मिल सके और महिलाओं के उत्थान की जो हम बात करते हैं वह भी हमारी शत-प्रतिशत सत्य हो जाय।

मैं एक और सुझाव, जो मेरा अपना है, सरकार को देना चाहूंगी। हमें स्वेच्छा से

(श्रीमती हमीदा बेगम)

एक डोनेशन अभियान शुरू कर देना चाहिए। हमारे यहां ऐसे समाजसेवी बैठे हैं जिनके मन में भावना है कि स्कूल की बिल्डिंग और छात्रावास बने। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपकी सराहना होगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था का जो वर्णन किया है, मैं उनका स्वागत करती हूं। लेकिन स्वागत करते हुए यह कहना चाहूंगी कि पीने के पानी की जो व्यवस्था हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर है, जिस रूप में आज वहां पानी उपलब्ध है, वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। वहां इन्दिरा गांधी नहर शुरू की गयी है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि वह इन्दिरा गांधी नहर को····

एक माननीय सदस्य : राजस्थान नहर।

श्रीमती हमीदा बेगम : अभी तो उसका नाम यही है, राजस्थान नहर कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यवधान न डालें।

श्री सभापति : जारी रखें।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं कहना चाहूंगी कि प्रान्त का, देश का विकास करना है तो हमें प्राथमिकता के आधार पर पीने को पानी और बिजली की व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। पानी ऐसी चीज है कि अगर पीने को नहीं मिले तो उससे जो हालात पैदा होते हैं वह हमारे ध्यान में हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, पांच लिफ्ट योजनाएँ जो हमारे यहां पर मजूर की गई हैं उसमें साहवा गंधेली योजना चूरू से लगती हुई है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना यहां कदापि नहीं भूलूंगी कि मेरा क्षेत्र पीने के पानी की समस्या से बेहद दुःखी है। हमारे यहां पानी जमीन के बहुत नीचे है और जहां उपलब्ध है वह बहुत खारा है। उस खारे पानी को न तो पीया जा सकता है और न किसी काम में लिया जा सकता है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से अपनी सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहूंगी कि उस भीषण रेगिस्तानी और मरुस्थलीय भूमि को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी नहर की जो साहबा गंधेली लिफ्ट योजना है, जिसको 60 मीटर ऊंचा उठाया गया है, इन कामों के अन्दर प्राथमिकता देकर उसको पूरा करना चाहिये ताकि हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो तकलीफ है पीने के पानी की, वह दूर कर सकें। जितने भी कार्य राज्य सरकार ने किये हैं, सराहनीय हैं, नहर का किया वह तो सराहनीय है ही। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी, जितना क्यू-सेक्स पानी वहां रिसीट किया गया है उससे बहुत कम पानी वहां पर भेजा जा रहा है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाय जिससे कि आने वाले समय में भीषण गर्मी को देखते हुए राहत मिले। माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरफ ध्यान देकर मरुभूमि के दूर-दराज के गांवों के अन्दर जो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध करा कर हमें हमारी सरकार के सामने कृतज्ञ होने का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति : टाइम हो गया है।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं बोलूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो पहला भाषण है, बोलने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोलने दीजिये, मैडम स्पीच है।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि किसी भी प्रान्त, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये दो चीज बहुत जरूरी हैं, पानी और बिजली। बिजली के उत्पादन से जो सर्वांगीण विकास हुआ और जो उपलब्धियां हुई राजस्थान में इसके लिये हम सरकार को जितना भी आभार प्रकट करें वह कम है। इसमें छोटा सा सुझाव मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूं। आज इस आधुनिक युग के अन्दर बिजली का उपभोग बढ़ा है और जो सप्लाई है वह बहुत कम है। हम थर्मल और हाइडल पावर पर निर्भर हैं, एटामिक पावर पर निर्भर हैं। हमारी जो एटामिक इकाई है वह कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती हैं उसका एक ही कारण है? कि हम वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं तो अन्त में एक ही सुझाव देते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं कि वर्षा का जो पानी हमारे क्षेत्र से बाहर जाता है उसको अपने ही प्रदेश में रोक कर उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिये किया जाय अगर हम बिजली का पूर्ण उत्पादन करते हैं तो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं आपसे आशा करती हूं कि आपने जो मेरे सुझाव सुने और आपसे जो बात हुई उसके ऊपर ध्यान देंगे।

धन्यवाद।

समिति का गठन
गृह समिति
1985-86 का मनोनयन

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, एक आवश्यक सूचना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने गृह समिति के मनोनयन की घोषणा की है वह इस प्रकार है :—

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 249 के अन्तर्गत समिति, गृह समिति 1985-86 के लिए निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया गया है :—

(1) श्री रतनलाल ताम्बी (135) सभापति
(2) श्री प्रतापसिंह (जैतारण) (87) सदस्य
(3) श्री नाथूराम अहारी (72) सदस्य
(4) श्री ब्रजेन्द्रसिंह (बयाना) (97) सदस्य
(5) श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी (138) सदस्य
(6) श्री रामगोपाल सिसोदिया (141) सदस्य
(7) श्री ज्वाला प्रसाद (53) सदस्य
(8) श्री इन्द्रसिंह पूनिया (7) सदस्य
(9) श्रीमती जकिया इनाम (43) सदस्य
(10) श्री नारायण सिंह (77) सदस्य
(11) श्री विजेन्द्रपालसिंह (161) सदस्य
(12) श्री हरिकुमार औदिच्य (185) सदस्य
(13) श्री गंगाराम चौधरी (27) सदस्य
(14) श्री नवरंग सिंह (71) सदस्य
(15) श्री घनश्याम तिवाड़ी (36) सदस्य

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री सभापति : थोड़ा सा इन्तजार कर ले। माननीय श्री ललित भाटी। एक नौजवान को मौका दिया जा रहा है। बहुत नौजवान है। दो इधर से एक इधर से। मैं हिसाब मे ले रहा हूं बहुत जल्दी,

श्री यदुनाथ सिंह : अभी तो बूढ़े हैं, शादि भी नहीं हुई।

श्री सभापति : कृपया बहुत तसल्ली से सुनेगें.... बहुत नौजवान हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अंग्रेजी में बोलें।

श्री अमरचन्द (गगरार) : सभापति महोदय, कल से नाम दे रखा है मैंने बोलने के लिये।

श्री सभापति : आ रहा है सबका आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : उधर नहीं मिल रहा मौका तो इधर आ जाओ।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में शपथ ली थी। आज हम उनका अंग्रेजी का ज्ञान देखना चाहते हैं, अंग्रेजी में भाषण दें।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या फर्क पड़ता है, यह जंचे जिस में शपथ लें।

श्री सभापति : जरा तसल्ली से सुनें।

श्री ललित भाटी (केकड़ी) : सभापति महोदय, अंग्रेजी का ज्ञान मैं आपको सदन के बाहर भी दे दूंगा। फिलहाल नाथद्वारा से चुन कर आये हुए माननीय सदस्य, श्री सी.पी. जोशी द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका जो समर्थन माननीय तिवाड़ी साहब द्वारा किया गया है, मैं उसके समर्थन में ही खड़ा हुआ हूं।

मैं एक निवेदन आपको करना चाहूंगा, सदन में सब समान हैसियत से मौजूद हैं, सबका समान वजूद है, मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं, मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे लिये श्रद्धेय हैं पक्ष और विपक्ष में, मेरी अभिव्यक्ति में कोई कमी लगे तो आप मुझे हतोत्साहित न करें, उत्साहित करें, । कम अनुभवी मानते हुए सहयोग करेंगे।

माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो यह....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अवसर का....

श्री अमरचन्द : इस प्रकार की जो भावना है....

श्री सभापति : वरिष्ठ सदस्यों से बहुत कुछ सीखेंगे।

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो यह बात कही गई कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी विकास की गति को पूर्णतया बनाये रखा, मैं इससे सहमत तो हूं मगर यह बात इसमें और शामिल हो जाती कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाया है या नहीं हो पाया, जितना कहा जा रहा है उतना हो पा रहा है या नहीं। इसके अन्दर काफी अन्तर व्यावहारिक रूप में देखने को मिलता है। मैं यह माननीय सभापति महोदय, के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे नेता, सदन नेता महोदय जो बहुत अनुभवी हैं, कुशल प्रशासक हैं, वह इस विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनायेंगे। आम जनता को इस विकास का, इस प्लानिंग का फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा है। उसका एक मूल्यांकन हो। वह मूल्यांकन भी हम सब सदस्यों के सामने आये। जो प्रतिनिधि हैं, चाहें विपक्ष के हो या पक्ष के हों, गन्तव्य सबका एक है, विकास के लिये। अपने क्षेत्र के विकास के लिये सब यहां आये हैं। मंतव्य भी एक है, गंतव्य भी एक है, हम लोगों की राह भले ही अलग हो, तो उसका जो भी मूल्यांकन किया जाय वह भी हम लोगों के सामने और जनता के सामने आये, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने पंचवर्षीय योजना के बारे में यह कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है, इस विषय में मेरा मानना यह है कि 6 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने काफी अनुकरणीय विकास किया है। मगर जैसा हमारे सर्वोच्च नेता, प्रधान मंत्री माननीय राजीवजी ने कहा उसके अनुरूप यदि हम आने वाली योजनाओं के लिये चलें, अफसरशाही को हावी न होने दें और जिस क्षेत्र का विकास हम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको इन्वाल्व रखा जाय तो हम विकास की गति को और बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा फायदा हम लोग उठा सकते हैं। इन योजनाओं के बारे में मेरा निवेदन यह भी है कि योजनाएं इस तरीके से बनायी जायं, योजना बनाते वक्त नीचे के स्तर से सोचा जाय, नीचे के स्तर से उसके बारे में लोगों से राय ली जाय। देखा यह जाता है व्यवहार के अन्दर कि योजनाएं कार्यालय में बैठकर बना दी जाती हैं। उन योजनाओं का जब इम्प्लीमेंटेशन न होता है तोजो रिटर्न हम उनसे चाहते हैं, जो विकास हम चाहते हैं, कई बार यह देखा जाता है कि वह हो नहीं पाता।

इसके अलावा मानसून के बारे में भी माननीय राज्यपाल के भाषण में कहा गया है। हालांकि राजस्थान अपनी भगौलिक स्थिति के कारण काफी पिछड़ा हुआ है, हम अभी भी इस मानसून से संत्रस्त हैं। समय चक्र, जैसा कि आजकल देखा भी जा रहा है, बदल रहा है और समय चक्र जो बदल रहा है उसके कारण मानसून समय पर नहीं आता, कृषि पानी नहीं मिल पाता, सिंचाई के साधन वैसे भी उपलब्ध नहीं हैं। समयचक्र बदलने का मुख्य कारण जहां तक मेरी राय है, वृक्षों का न होना है। वृक्षों की राजस्थान में बहुत ज्यादाकमी है। वृक्षारोपण में तेजी लायी जाय, ऐसा मेरा मानना है। पानी के जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल साधन हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अन्दर भी

(श्री ललित भाटी)

हम कमी करें। विज्ञान आज इतनी तरक्की कर रहा है उस तरक्की का यदि हम समुचित और रचनात्मक इस्तेमाल नहीं कर सकें तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी। हम कार्यक्रम तो घोषित काफी कर देते हैं, जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है कि हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज के द्वारा 89 हजार कृषकों को प्रशिक्षित किया और इसके अलावा इस कार्यक्रम को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जा रही है। 6 नये जिलों को भी कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से सिर्फ इतना है कि कार्यक्रम हम घोषित कर देते हैं, वह चालू हो पाये हैं या नहीं इसका चेक अप नहीं हो पाता है। उनमें क्या कमी रही उसका वर्णन भी नहीं मिल पाता। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम घोषित किये जायं उनके ऊपर पूरी निगरानी भी रखी जाय, उनका पूरा-पूरा चेक भी हो और टाइम टू टाइम उनके बारे में सदन में प्रतिनिधियों को भी जानकारी मिलती रहे ताकि हम क्षेत्र में जाकर जनता जिसने अपना विश्वास हममें व्यक्त किया, को जो विकास आगे करने जा रहे हैं या उसमें जितनी तरक्की हम कर पाये हैं उसके लिये कह सकें।

सहकारिता के विषय में भी काफी कुछ हमारे माननीय राज्यपाल साहब के अभिभाषण में कहा गया है। सहकारिता के विषय में मेरी राय यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि जो सीमित साधन हम लोगों के पास हैं, उसमें अपनी समस्याओं का किसी तरह से समाधान ढूंढ सकें, उनका किसी तरह से निराकरण कर सकें। मैं समझता हूं, इस उद्देश्य को लेकर सहकारिता की उत्पत्ति हुई। आज उस उद्देश्य से हम हट गये है। उसमे कुछ भी कारण रहे हों, कारणों में जाना मैं उचित नहीं समझता, पर पेचीदगियां जरूर उत्पन्न हो गई हैं जन समस्याएं सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से आप और हम सब जुड़े हुए है। लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा ही चुनाव जीतकर आज हम इस सर्वोच्च सदन के अन्दर मौजूद भी हैं। वह सहकारिता भी लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर ही है, लोकतांत्रिक पद्धति का उसमें भी ध्यान रखा गया मगर काफी समय से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए इसकी वजह से भी काफी भ्रम जनता में मौजूद है। ऐसा क्या कारण है कि काफी समय से इनके चुनाव नहीं कराये जा रहे। इस विषय में मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह भी है कि जरूरतमंदों को बहुत कम लाभ इस सहकारिता के द्वारा मिल पाया है और ज्यादातर बिचौलियों को लाभ मिला है। मेरे कहने का आशय मात्र यह है कि इसमें सहकारी अधिकारी भी शामिल हैं इन बिचौलियों के कारण भी उपयुक्त व्यक्ति है, जिसको ऋण की आवश्यकता है उसको फायदा मिलने में कमी रही है। कइयों को ऋण से ज्यादा भी चुकाना पड़ता है और कइयों को जितने का ऋण उनको पास होता है उससे कम राशि प्राप्त हो पाती है। शहर से गांव तक यह सहकारिता से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको पहले निवेदन किया हमारी आपकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये इसकी उत्पति हुई मगर कुछ कारणों की वजह से परेशानियां इसके अन्दर आईं।

(श्री ललित भाटी)

जैसा सहकारिता के विषय में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि मूलधन से अधिक जो ब्याज की रकम है उसे माफ करने का निर्णय लिया गया है जो ऋण है उससे ज्यादा ब्याज उस व्यक्ति के ऊपर हो गया। बाद में माफ करने की स्थिति पैदा हुई, यह क्यों पैदा हुई, ? मेरा मानना यह है कि ऋण देने पर और उसकी वसूली पर ईमानदाराना निगरानी नहीं रखी गयी जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। मूलधन से अधिक ब्याज की राशि हो नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। इस बीमारी की जो मूल जड़ है उसको देखा जाय, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाय और ऐसी स्थिति पैदा न हो, यह मेरा इस बारे में एक सुझाव है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शार्ट करें।

श्री ललित भाटी : माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वन के लिए काफी कुछ कहा गया है। वन की कमी हमारे राजस्थान में भी और इस देश में भी है। जैसा कि विश्व के सभी देशों में है, उन्होंने, कम से कम यह तो फिक्स किया कि देश में 33 % फोरेस्ट होना चाहिए। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम 33 % फोरेस्ट भी हमारे पास नहीं है। राजस्थान में तो इसकी बहुत ही ज्यादा कमी है। नौ प्रतिशत ही हम लोगों के पास है। तो वृक्षारोपण के लिए मेरा अपना जो एक विचार है वह यह है। वृक्षारोपण के लिए पिछले समय में हमने काफी रुपया लगाया, काफी रुपया इन्वैस्ट किया मगर उसके ऊपर यह निगरानी नहीं रख पाये कि वास्तव में वृक्षारोपण जमीन पर हो रहा है या पहाड़ों के ऊपर हो रहा है। मैं थोड़ा जंगलात से भी सम्बन्धित रहा हूं, और जंगलों में घूमने पर मैंने यह पाया वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम हम लोगों ने घोषित किये हैं उसमें दोषी चाहे कोई भी रहा हो, चट्टानों के ऊपर तो पेड़ उग नहीं सकते हैं, यह मेरा अपना मानना है, मगर कागजों में चट्टानों पर पेड़ उगाना बता दिया गया। इस मामले में हमारे पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश की मैं तारीफ करना नहीं भूलूंगा। मध्य प्रदेश के अन्दर वन सम्पदा को बहुत अधिक गम्भीरता के साथ लिया जाता है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, उस राज्य को 62 पर्सेन्ट रवेन्यू फोरेस्ट से प्राप्त होती है। इस विषय में मेरा मानना यह है और मेरा सुझाव है कि हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जिम्मेदारी से जन साधारण पर, एक आधार पर छोड़ें, यह तय कर लें कि हर एक परिवार को 10 वृक्ष लगाने होंगे। और सिर्फ लगाने ही नहीं होंगे उनके लालन-पालन की जिम्मेदारी का स्वेच्छा से निर्वहन करना होगा। यह जिम्मेदारी हम उन पर सौंपें। जन सहयोग से यह अभियान गांव-गांव तक चलाया जाय तो हम काफी हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वनों का नाश होने की वजह से समय चक्र में जो बदलाव आया पानी की कमी, मानसून की अनिश्चितता रही, उस बदलाव को खतम करने में भी हम काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ....

श्री सभापति समाप्त कीजिए।

श्री ललित भाटी : दो मिनट, सभापति जी, मैं आपका समय और लेना चाहूंगा। मैं अब शिक्षा के लिए निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की उसका बड़े विस्तार से ब्यौरा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया गया उनसे मैं सहमत भी हूं मगर इसमें मेरा सुझाव मात्र इतना ही है, मेरी दिलचस्पी इस विषय में नहीं है कि कहां कितने स्कूल खोले जा रहे हैं और कहां कितने स्कूल खोले जाने चाहिये। मेरी दिलचस्पी इस विषय में और इस बात में है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति शिक्षा प्राप्त करने वालों को क्या बनाने जा रही है. और हम क्या बनना चाहते हैं। यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हालांकि राज्य में रोजगारोन्मुख शिक्षा पर भी कई प्रयोग हुए हैं लेकिन जब तक यह क्लर्क बनाने वाली, मुझे अफसोस है कहते हुए, शिक्षा पद्धति को बदलने की दिशा में विचार नहीं किया जावेगा तब तक इस शिक्षा का कोई सार्थक लाभ नहीं होगा। हालांकि शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है लेकिन राज्य स्तर पर भी इसमें कुछ प्रयोग तो किये ही जा सकते हैं। ऐसी शिक्षा प्रारम्भ से ही दी जाय, दी जानी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बड़ी राष्ट्रीय भावना का उदय हो। इस सिलसिले में मैं चीन का उदाहरण देना नहीं भूलूंगा। वहां हायर सैकण्डरी तक पहुंचने के लिए, स्कूल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए इस तरीके की शिक्षा दी जाती है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के अन्दर राष्ट्रीय भावनाओं का उदय किया जाता है। हमारे यहां तो पांचवी क्लास पास करने के बाद विषयों की रेल-पेल शुरू होती है, उनका एक बोझा, वजन विद्यार्थी को उठाना पड़ता है। मैंने भी उठाया। वह भी विद्यार्थी को काफी अप्सैट कर देता है। हिन्दुस्तान में नागरिकों का स्वास्थ्य तो वैसे ही अच्छा नहीं रहता फिर यह वजन मानसिक बोझ और बढ़ाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शुरू से ही तोतारंट किस्म की शिक्षा पद्धति शुरू हो जाती है और उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। मेरा आपके माध्यम से कहना सिर्फ यही है कि हमें इस तरह की एजूकेशन हिसाब से बनानी चाहिए, हमारे पास यह होना चाहिए, हमें इस साल में कितने डाक्टर चाहिए, कितने इन्जीनियर चाहिए, जैसे कि विश्व के और देशों के अन्दर शिक्षा पद्धति को इस तरीके से लेकर चलते हैं और उतने ही डाक्टर वहां लोग बनाते हैं, उतने ही इन्जिनियर वह लोग रखते हैं। हम लोग इस तरीके की किसी भी रचनात्मक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत नहीं रहे हैं। यह देखने में आता है कि यह प्लानिंग से न होने की वजह से इन दोनों क्षेत्रों में असन्तोष बहुत ज्यादा है। कई बार डाक्टरों की बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कई बार इन्जीनियरों की बहुत ज्यादा बाढ आ जाती है। मैं यह भी कहूं, हम जन प्रतिनिधि लोग जो चुनकर आये हैं अपने क्षेत्र में जाकर बगैर सोचे-समझे यह वादा कर लेते हैं कि हम यहां स्कूल खुलवा देंगे, इन्जीनियरिंग कालेज खुलवा देंगे। सरकार की तरफ से भी फिर वह व्यवस्था हो जाती है मगर उसके पीछे क्या परिणाम होंगे? हम कितने इन्जीनियर्स निकाल पायेंगे, कितने की हमें आवश्यकता है इस चीज को मद्देनजर रखा नहीं जाता है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का इस विषय

(श्री ललित भाटी)

में विशेष रूप से ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगा, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा के अन्दर काफी परिवर्तन लाना चाहते हैं, मूलभूत परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके अन्दर हम भी अपना सहयोग दें, हम भी उसके अन्दर एक अच्छा रोल अदा करें। राज्य स्तर पर कुछ इस तरीके के प्रयास हम शुरू करें तो उससे हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षा महिलाओं में भी बहुत ज्यादा जरूरी है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री ललित भाटी : एक मिनट में आपका लेना चाहूंगा।

महिलाओं को शिक्षा देने के लिए हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने महिलाओं के किये ग्यारहवीं क्लास तक शिक्षा फ्री की। मैं इस से भी सहमत हूं। मगर राजस्थान में फिर भी महिला शिक्षा के अन्दर इतना ज्यादा, मैं सोचता हूं, विकास हो नहीं पाया। महिलाओं की शिक्षा में इसलिए भी जरूरी मानता हूं, कि पहले जो आदर्श इस हिन्दुस्तान में प्रस्तुत हो चुके हैं उनमें उनकी भी अभिव्यक्ति रही है। यदि किसी देश की संस्कृति, किसी समाज की संस्कृति, किसी परिवार की संस्कृति....

श्री सभापति : कृपया बहुत हो गया।

श्री ललित भाटी : एक मिनट में।

श्री सभापति : मैंने आपके साथ सहयोग ज्यादा किया है।

श्री ललित भाटी : मैं आपका आभारी हूं। सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : बोलने दीजिए साहब, मेडन स्पीच है।

श्री ललित भाटी : किसी देश की संस्कृति या समाज को यदि हमें देखना है—

श्री सभापति : मैंने आप से बहुत ज्यादा सहयोग किया है।

श्री ललित भाटी : एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : नये नये हैं, बोलने दीजिये।

श्री सभापति : बहुत बोल चुके। बहुत समय हो गया।

श्री ललित भाटी : तो इस देश की और समाज की महिलाओं को हम देखें। उनको दृष्टि में रख कर ही हम उस देश की संस्कृति का आंकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरा आप से पुनः निवेदन है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए राजीव जी ने जो कदम उठाये हैं उसमें भी हम अपने राजस्थान प्रान्त के अन्दर अधिक से अधिक योगदान दें सकें, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए।

(श्री ललित भाटी)

मैं आपका बहुत आभारी हूं। और भी वक्ता अपनी बात कहना चाहते हैं इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से सुना, मुझे जिस तरीके से उत्साहित किया उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का भी आभारी हू। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन प्रकाश। नोजवान, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इस से अच्छा संयोग क्या होगा कि आप कुर्सी पर और नोजवान बोल रहे हैं।

श्री सभापति : इसीलिए तो नोजवानों से प्रर्थना कर रहा हूं, मेरा दिल कमजोर है।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति जी, यह सही है कि यह मेरा इस सदन में पहला मौका है जब कि मैं चर्चा कर रहा हूं। सड़क का आदमी था राजाखेड़ा की जनता की कृपा हुई और इस सदन में आ गया। लेकिन इस सदन में 3–4 दिनों से आपके इस भाड़फानूस की जगमगाहट में कुछ बेगानापन मुझे महसूस हो रहा है। उसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय, ने जो अभिभाषण पढ़ा- उस पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा इससे बेगानापन कुछ और बढ़ा है।

श्री सभापति : कृपया बिलकुल शान्त रहेंगे। सब शान्ति से काम हो रहा है। बहुत खुशी है।

श्री मोहन प्रकाश : खास तौर से इसलिए कि हमारे जिस नौजवान साथी ने, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा लिखित में, जो पढ़ा और वह जो बोले उन दोनों में कोई तालमेल नहीं है लिखित में धन्यवाद का प्रस्ताव जो उन्होंने पढ़ा और उसके पक्ष में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कोई तालमेल नहीं। अगर उनके भाषण के शुरू के अंश को काट दिया जाय, तो उनका भाषण निश्चित तौर पर इस हिन्दुस्तान के नौजवान की बात और ना पक्ष की आवाज को इस सदन में उन्होंने रखने का काम किया है। युवा वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में यह हकूमत इस देश के और इस प्रदेश के नौजवानों के लिये क्या करने जा रही है इसका अभिभाषण में कहीं जिक्र तक नहीं किया गया और सबसे पहला मामला कानून और व्यवस्था का उठाया गया। मैं इस सवाल को बाद में रखना चाहता था। मैं जब इस सदन में आया तो पत्रकार आपस में बात कर रहे थे कि चूंकि राजाखेड़ा से जीतकर आया है, तो शायद इसके पहले जो सदस्य थे उनसे बड़ा यह डाकू होगा तभी यह जीतकर आया है। यह मेरी पहचान इस सदन में, इस प्रदेश के पत्रकारों ने की है। देश के पैमाने पर हर विश्व विद्यालय में मुझे जाने का मौका मिला है। हिन्दुस्तान के जिस विश्व विद्यालय में गया वहां अगर मैंने यह कह दिया कि मेरा ताल्लुक धौलपुर से है तो सीधा सवाल मुझ से यही होता है कि तुम उस जगह से आते हो जहां औरतों की मण्डी लगती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज को पूरा मुल्क देख रहा है, जिस चीज को हिन्दुस्तान के अलावा पूरी दुनिया देख रही है, जिस

(श्री मोहन प्रकाश)

सवाल पर फिल्म बन चुकी है वह सवाल हमारे प्रदेश के लोग और खास तौर से इस प्रदेश की हकूमत देख नहीं पा रही है। आज "कमला" फिल्म जो बनी है, जिसके बारे में दुनिया के अखबारों में हिन्दुस्तान के अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में निकला है उसको हमारी सरकार, हकूमत नहीं देख पा रही है और राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में उसका कहीं जिक्र नहीं है। आप यह बताइये कि आजादी की सुबह में हम जो नौजवान पैदा हुए हैं क्या इसी लांछन को लेकर पैदा हुये हैं ? एक भी प्रयास बता दीजिये राजस्थान सरकार का, जिस से यह साबित होता हो कि इस हकूमत ने राजस्थान के अन्दर जिन इलाकों में औरत बिक्री का काम होता है, या जिन पर यह आरोप लगते हैं उसको रोकने का प्रयास किया है ? सभापति महोदय, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, क्षमा करियेगा सेकाऊ थाने में धौलपुर के सेकाऊ थाने में दो दिन पहले कुरू क्षेत्र की वीना नाम की लड़की भगाकर लाकर दो जगह बेची गई। वह किसी तरह से भाग कर थाने में पहुंची लेकिन जब मैं भाषण कर रहा हूं इस समय तक मुलजिम गिरफ्तार करके भी छोड़ दिये गये। लगातार ये आरोप लगते हैं, सभापति महोदय, वह हम नहीं लगा रहे है सत्ता पक्ष के लोग खद इस आरोप को लगाते हैं इस सदन में पच्चासों बार ये आरोप लग चुके हैं मैं तो आज पहली बार लगा रहा हूं। ये सवाल जो कि लगातार उठता रहा है, जो राजनीतिक सवाल नहीं है, जो माननीय पक्ष मे सम्बन्धित है, आखिर इस सवाल पर हकूमत कभी सोचेगी, कभी यह भी दिखाई पड़ेगा हमको कि हकूमत सोच रही है। आज राजस्थान के सिर्फ धौलपुर और भरतपुर इलाके में ही नहीं राजस्थान के अधिकांश इलाके हर गांव में, मेरा दावा है, एक न एक आदमी ऐसा है जो प्रिविलेज क्लास का है यानि जनता भी यह महसूस करती है कि यह कुछ भी कर देगा तो पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगी। खाली एक काम हो जाय इस प्रदेश में, पुलिस यह समझने लग जाय कि कानून के सामने सब बराबर हैं तभी यह विश्वास हम गांव में रहने वाले लोगों को दिला पायेंगे अन्यथा हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर किसी को न्याय नहीं दिला पायेंगे। गांवों में आज 1–2 आदमी ही अत्याचार करते हैं पर आम जनता यह महसूस करती है कि पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये प्रिविलेज क्लास के लोग हैं। धारणा को दूर नहीं कर पाये तो अपराध रोकने की बात छोड़िये। जब राजधानी में हकूमत की नाक के नीचे अपराध होते हैं और यहां गृह मन्त्री पर आरोप लगाये जाते हैं कि ये थाने बेचते हैं तो हजूर, इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ चन्द लोगों के हाथों में आजादी रह जाय, आजादी का मतलब यह नहीं है कि इस प्रदेश के जो अन्तिम आदमी हैं, जो शोषित और पीड़ित लोग हैं उनके पास भी आजादी पहुंचे।

इस प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा हुई है। प्रस्ताव रखने वाले महोदय ने कहा

(श्री मोहन प्रकाश)

कि गुणात्मक परिवर्तन आया है। मैं गुणात्मक परिवर्तन को मंजूर करता हूं। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन का क्या मतलब है? राहत के कार्य के पैबन्द लगाकर परिवर्तन की बात नहीं कही जा सकती, माननीय सदस्य। सभापति महोदय, दो तरह के कार्य होते हैं-एक राहत के कार्य होते हैं और एक बदलाव और परिवर्तन के काम हुआ करते हैं। अगर आप राहत के काम को परिवर्तन कार्य मानते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश इस देश के अन्दर अन्य हिस्सों से 25 साल पीछे चल रहा है। मैंने कल विधान सभा के सचिवालय के पास चिट्ठी भेजी थी कि मुझे 'भारत 84' किताब वाचनालय से मंगा दी जाय। मेरे पास लिखित रखा हुआ है, 'भारत 84' नामक किताब यहां के वाचनालय में है वह किताब मैंने बाजार में भी खोज ली, मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। वरना मैं आपको यह बताने की कोशिश करता, इस सदन के सामने तथ्य रखने की कोशिश करता कि हम अन्य प्रदेशों से कितने पीछे चल रहे हैं। इस अभिभाषण में हम निश्चित तौर पर अपने आपको देश के अन्य हिस्सों से बहुत आगे मजूर कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और हमारे विकास का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, पूरे उत्तरी भारत में सिर्फ जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी एक ऐसी है जो बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ी हुई नहीं है। राजस्थान के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पूरे राजस्थान में राजस्थान स्तर का यहां कोई समाचार पत्र नहीं है। हर दो जिले जो कि बोर्डर के हैं, किनारे के हैं उन जिलों में दूसरे राज्यों के समाचार-पत्र प्रमुखता से पढ़े जाते हैं और समझे जाते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान में जाने के लिये आवागमन की सुविधा नहीं है। इस प्रदेश की राजधानी 33 साल तक बड़ी रेलवे लाइन से न जुड़ी हो और इस सदन में बैठ कर हम विकास की बात करें तो शर्म से हमारी गरदन झुक जाती है कि हम इतना भी नहीं कर पाये, प्रगति के पथ पर हम कहां जा रहे हैं, मंजिल हमारी कहां है? इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम राहत कार्य के पैबन्द की बात कर रहे हैं।

सड़क की बात मैं करूं, हिन्दुस्तान के अन्दर अन्य प्रदेशों में कितने हजार किलो मीटर सड़क पिछले 5 सालों में बनी है और इन 5 सालों में राजस्थान में कितने हजार किलो मीटर सड़क बनी है? आप अगर विकास कार्य वास्तव में देखना चाहते हैं तो अन्य प्रदेशों से बराबरी करके भी देखना चाहिये।

राजस्थान नहर, इन्दिरा नहर की इसमें चर्चा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उम्र के लोग, हमारे नौजवान साथी, जो उन बैंचों पर बैठे हुये लोग हैं, जब से पैदा हुये हैं तब से राजस्थान नहर का नाम सुना है। 1977 में जनता पार्टी की जब हुकुमत बनी तब राजस्थान नहर को संकल्प के रूप में सरकार ने अपने हाथ में लिया.........

(व्यवधान)

सुन लीजिये।

(श्री मोहन प्रकाश)

1980 में जब पहाड़िया जी मुख्य मंत्री हुए और नरेन्द्रसिंह जी भाटी के हाथ में ये महकमा आया तब इसको संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने का काम हुआ लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस इन्दिरा नहर के बारे में 3–3,4–4 पृष्ट पढ़ करके बड़े तगमे लगाने का काम हुआ है, सदन में बैठे माननीय श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी साहब उस समय मंत्री थे, राजस्थान नहर, इन्दिरा नहर का इन्होंने प्रोजेक्ट दिया और केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों का दल उस समय आया लेकिन तत्कालीन सरकार को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि साल भर तक उस विशेषज्ञों के दल की यहां पर बैठक भी कराई जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि 1982 से लक्ष्मणगढ़ से दिल्ली तक युवा लोकदल के अध्यक्ष, डा. चन्द्रभान के नेतृत्व में राजस्थान की मिट्टी और पानी लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत और देश की प्रधान मन्त्री के सामने जाकर उसको रखा था। उसके बाद इन्दिरा गांधी ने भी निश्चित तौर पर, मैं यह कहना चाहता हूं, निजी दिलचस्पी लेकर यह काम करने का काम किया था।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है लेकिन और प्रदेशों से अपनी बरोबरी इस मामले में क्यों करना चाहते हैं? आज राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे प्यासा प्रदेश है। आज पंजाब और हरियाणा को अपने खेतों को हरा करने के लिये पानी चाहिये लेकिन, माननीय सभापति महोदय राजस्थान के इन्सानों को, आदमियों को जिन्दा रहने के लिये पानी चाहिये। पानी इन्सानों की जिन्दगी है, क्या इस हुकूमत और सरकार दोनों का इसको अहमियत देने का काम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के मामले में राहत पहुंचाने के लिए पैबन्द लगाने के लिये लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन आज तक स्थाई उपचार करने के लिये काम नहीं किया। पेयजल के मामले में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जनता पार्टी की हुकूमत थी, उस समय कुओं में मोटरें लगाई गई पेयजल के लिए लेकिन सारी मोटरें उखाड़ ली गईं, कहीं कोई सरपंच के पास है, कोई सैक्रेटरी के पास है, कोई बी. डी. ओ. के पास है। हैण्ड-पम्प लगे, कल के अखबार में मैंने पढ़ा, जयपुर शहर में 315 हैण्डपम्प लगेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप हिसाब जोड़िये, एक हैण्डपम्प पर कितना पैसा खर्च होता है, क्या इतने पैसों से जयपुर की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं धौलपुर से सम्बन्धित हूं, धौलपुर में सन् 1964 में जाकर पेयजल की योजना बनी। पेयजल की जो योजना बनती है दस साल आगे की जनसंख्या को मापदण्ड मानकर उस पेयजल की योजना का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है। 1964 में धौलपुर के पेयजल की योजना बनी, 74 में जाकर वहां पर नल लगते हैं। आज स्थिति यह है कि नल खाली नाम के लगे हुए हैं क्योंकि नल की पूरी टेक्निक और क्षमता बीस साल पुरानी हो गई है। बीस साल पुरानी क्षमता और टेक्निक पर हम राजस्थान को पानी पिलाना चाहते हैं, प्यासे प्रदेश को पानी पिलाना चाहते हैं और विकास की बात भी करना चाहते हैं।

(श्री मोहन प्रकाश)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई की बात की जा रही है, खाद्यान्न की बात की जा रही है। आपका 2 लाख टन खाद्यान्न पैदा करने का लक्ष्य था खरीफ की फसल से और आपने 24 टन लाख के अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद की थी, रबी की फसल में 56.5 लाख हैक्टेयर भूमि में बुआई करने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन 50.8 लाख हैक्टेयर जमीन में बुआई कर पाये। इससे आप उम्मीद करते हैं कि अकाल नहीं होगा। इस प्रदेश के अन्दर लोग प्यासे मर रहे हैं। आपकी जो खाद्यान्न की स्थिति है, पैदावार की स्थिति है उससे आप निश्चित तौर से इस प्रदेश के अन्दर तो रोटी देकर लोगों को भूखे मरने से नहीं बचा सकते, अकाल से नहीं बचा सकते। फिर आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान शहरों का प्रदेश नहीं है राजस्थान गांवों का प्रदेश है, जिला मुख्यालय भी शहर नहीं है, कस्बाई चरित्र के स्थान हैं, कस्बाई चरित्र में रहने वाले लोग आज गांवों की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस लेखा–जोखा में साफ साफ संकल्प होना चाहिये कि इस प्रदेश के गरीब लोगों के लिए साठ प्रतिशत राजस्थान की आय का खर्च करना चाहते हैं। आ० सौ रुपयों में से 60 रुपये इस प्रदेश के गांवों में रहने वाले और कस्बों में रहने वाले लोगों पर खर्च करेंगे। जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग इस धरती पर इन्सान से भी ऊंची जिन्दगी जी रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी जिला है, उस जिले से आप 52 से आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोग अपनी संस्कृति के कारण नंगे नहीं रहते, जबकि उनके नंगेपन की ओर इशारा किया जाता है। माननीय सी. पी. जोशीजी भी इससे सम्बन्धित हैं, आप यह न समझ लीजियेगा कि वह अपनी संस्कृति की वजह से नंगे रहते हैं। वह इस वजह से नंगे रहते हैं कि उनके पास पहनने को, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। इसलिए, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह न भूलियेगा कि इस प्रदेश पर जोशीजी का हक ज्यादा है या नत्थीसिंह का हक ज्यादा है, इस धरती पर उन आदिवासी का भी हक उतना ही है जो भूखे और नंगे रह रहे हैं। फिर भी आदिवासी विकास के बारे में एक लब्ज भी इसमें नहीं है। पिछले वर्ष का मैं बताना चाहता हूं, कुशलगढ़ क्षेत्र से फतहसिंहजी विधायक थे, उनके क्षेत्र में बावजूद बार बार दरख्वास्त करने के एक भी स्कूल नहीं खोला गया। आप आदिवासियों के विकास की चर्चा करना चाहते हैं, आखिर क्यों? आपको देखना होगा कि कहां पर गुणात्मक परिवर्तन हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रदेश की आज तक आर्थिक एटलस नहीं बन पाई है, कितने हमारे रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारी मेनपावर है। कहने को तो बहुत चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से भौगोलिक एटलस होती है उसी तरीके से आर्थिक एटलस भी होती है जिसका निर्माण आज तक इनसे नहीं हो पाया।

(श्री मोहन प्रकाश)

आज धौलपुर की जो सड़कों की व्यवस्था है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, धौलपुर से लेकर करौली तक पूरी की पूरी किसानों की बेल्ट है। सभापति महोदय, कई यहां उस बेल्ट से परिचित हैं, आज उस बेल्ट में पैदल भी नहीं चल सकते। राजस्थान के बहुत कम इलाके इतना रेवेन्यू देते होंगे जितना अकेली वह सड़क देती है लेकिन उस सड़क की हालत क्या है। उस सड़क पर बसों में चलना तो दूर पैदल भी नहीं चला जा सकता। इसके अतिरिक्त वहां पर इन्सान की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है, वहां पर आये दिन बसें लूटी जाती हैं।

मैं आपसे दो मिनट का समय और चाहूंगा क्योंकि घड़ी देख रहे हैं।

आज हालत वहां पर यह है, पिछले 6–7 महीने पहले का किस्सा है, जाड़ों का किस्सा है, शाम को आखिरी बस आगरा लौट रही थी, धौलपुर और सैंया के बीच का किस्सा है, वहां पर सात-आठ लोगों ने बन्दूक की नोक पर, राइफल की नोक से बस को रुकवा लिया। इत्तफाक से उस दिन आखिरी बस लोकल थी, उसमें 16–17 आदमी थे। उन लोगों ने सबकी तलाशी ली, 1700/-रु., 1800/-रु. सबके मिलाकर निकले चूंकि आखरी बस थी और कण्डक्टर ने आगरा में पैसा जमा करा दिया था। तो मारपीट कर 17 सौ–18 सौ रुपया इकट्ठा किया। जब जाने लगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उन लोगों ने जब रुपये गिने तो फिर बस में चढ़ गये और जितने यात्री थे, उनको पैसे वापस करने लगे। यात्रियों ने पूछा कि एक घण्टा और दस मिनट हुए नहीं, तुमने हमारी पिटाई की पैसा लूटा और अब सबका पैसा वापस कर रहे हो। कारण क्या है। उन लूटेरों ने कहा कि भइया, 1800/-रु. तो हम थानेदार को देकर आये हैं, पुलिस को देकर आये हैं, 1700/-रु. तो यही हैं, तो सौ रुपयों का घाटा हम बिला वजह तुम्हारे लिये क्यों करें। गिरफ्तारी अलग से होगी ही। यह आज हमारे जिले में कानून व्यवस्था की हालत है। आप इन सारी चीजों के रहते प्रदेश के विकास के बाबत बात करना चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस बड़े लक्ष्य को लेकर हम इस देश में राजस्थान प्रदेश को एक नया राजस्थान बनाने के लिए संकल्प लेना चाहते हैं तो तमाम चीजों के लिए, बड़ा काम करने के लिए हमको मन भी बड़ा करना होगा। छोटे मन से आज तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। इस लिए मैं कहना चाहता हूं और खास तौर से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जीवन के अन्तिम प्रहर में हैं। कोई तावजह नहीं पूजा गया इस देश की धरती पर, हमेशा सन्त और फकीर पूजे गये हैं। इस लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के नेता को बड़ा मन रखने की सलाह दीजिये। आज भी यह प्रदेश 25 साल पीछे चल रहा है इसलिए ये जो जवान लोग हैं, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, हिन्दुस्तान के किसी इलाके में जाने पर गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि शर्म महसूस करते हैं। यह अपने चेहरे को न ठीक कर पाये।

(श्री मोहन प्रकाश)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

(3.28 म. प.)

लेकिन इतना जरूर होना चाहिये कि कम से कम इज्जत के साथ अपना सिर तो ऊंचा कर सकें।

शिक्षा का सवाल है, मैंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। जब मैं वहां शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब एक बात देखी कि मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, पूरे प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय हैं और अकेले बनारस में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और दो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं। कहां एक शहर के अन्दर तीन विश्वविद्यालय और कहां हमारे पूरे प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय, फिर भी हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं। यह कहां तक उचित है? आप किस प्रकार से विकास करना चाहेंगे? आम तौर पर हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा के कई जगह पर स्थान नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : जी हां।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे जिले में बड़े गिड़गिड़ाने के बाद एक कालेज खोला गया, वह भी एक डिग्री कालेज खोला गया उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी विषय नहीं है विद्यार्थियों के लिये और आप उच्च शिक्षा की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये कोई भी छात्रावास की सुविधा नहीं है। आप अपने भाई और बेटों के लिये शिक्षा की उन्नति की बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप किस प्रकार विकास करेंगे? यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं श्री सी. पी. जोशी जी साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो 104 सीटों की बात कही....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य का नाम लेकर नहीं कहीं।

श्री मोहन प्रकाश : अच्छा साहब, ठीक है। आपने 104 सीटों पर विजय की बात कही उसके लिये तो मैं आपको बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

हो 401, अब तो आप खुश हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, इस बात का भी आप ख्याल रखें जितने वोट आपको मिलते हैं उतने ही वोट आपके खिलाफ भी हैं इसलिये सीटों पर ही आप गर्व नहीं करें और आप को चूंकि समय मिला है, आपको मौका मिला है, आपकी पूरी जिन्दगी बची है इसलिये आप गुणात्मक परिवर्तन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : आप गुणात्मक परिवर्तन करें।

आपने आर्थिक नियोजन की चर्चा की....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : उसको भी आप अपनी सरकार से लागू कराने का काम करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : श्री मान अध्यक्ष जी, यहां जो गवर्नर साहब द्वारा भाषण पढ़ा गया उसके अन्दर कानून व्यवस्था की बात कही गयी है। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं कि इलैक्शन के अन्दर कानून व्यवस्था नहीं रही। चाहते थे कि हम पूरे के पूरे वोट डालेंगे उन्होंने पूरे के पूरे वोट डाले, बैलेट पेपर वैसे के वैसे डाले। डी एस. पी., एस. पी. और कलैक्टर सभी लोगों को लिखने और टेलीफोन करने पर भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। तब आम इलैक्शन में यह बात हुई तो जो आगे इलैक्शन होंगे पंचायतों के, को-आपरेटिव के और दूसरे इलैक्शन्स होंगे उनमें क्या हालत होगी। मेरा यह कहना है कि जब भी इलैक्शन कराये जायें तब सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के सरकार पूरे प्रबन्ध करे। अधिकारियों को और मजिस्ट्रेट को लिखने पर भी उसने कोई इन्तजाम नहीं किया और इस प्रकार वोट डाले गये, एक साथ डाले गये। इसके एक-दो वोट नहीं 90 और 95 प्रतिशत वोट इस प्रकार डाले गये, एक साथ डाले गये। इसके अलावा हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया, हरिजनों को नहीं जाने दिया गया और अपने आप वोट डाले गये। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है, यह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं।

आज जो भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए राजीव गांधी ने कदम उठाये हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भी उसी विचार का आदमी हूं, मैं छुपाता नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज जो कुछ भ्रष्टाचार हमारे राजस्थान के अन्दर हो रहा है. कुछ मेरे भाई कह रहे थे भ्रष्टाचार करने वालों के टिकट ही कट गये। जो भाई जीतकर आये हैं उनसे मेरा यह कहना है कि ट्रान्सफर के मामले में भी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए ट्रान्सफर का मामला हो उसमें बिल्कुल ही पक्ष नहीं लेना चाहिए। यही मेरा नम्र निवेदन है माननीय सदस्यों से वैसे आज जितना भी भ्रष्टाचार है मैं भी उसमें शामिल हूं, कोई अलग नहीं हूं। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार को फैलाने में ज्यादा हाथ बंटाते हैं बनिस्बत जनता के। इसलिए हमारे माननीय सदस्य अगर इस बात के लिए सोच लें कि हम भ्रष्टाचारी अधिकारी का मुकाबला करेंगे तो भ्रष्टाचार राजस्थान के अन्दर बिल्कुल ही खत्म हो जायेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी, जो आज बैंक है, जो फाइनेन्शियल कारपोरेशन है, रीको है और

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जो अलग अलग एजेन्सियां हैं पैसे देने की, उसकी भी गारन्टी राजस्थान सरकार देती है। फाइनेन्शियल कारपोरेशन एक इन्डस्ट्रियल एरिया बनाता है वहां फिर यूनियन बाजी हो जाती है, पांच जनों को लोन देती है जब एक ही चीज नही चलती है तो पांच को लोन देने की क्या जरूरत है। फिर पांच ही लोगों को सर्विस ही मिलती है, उनमें से एक भी नहीं चलती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, से यह कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार गारन्टी देती है और सारा का सारा राजस्थान सरकार की गारन्टी से होता है तो सरकार को यह चाहिये कि आज बेकारी हमारे गांवों के अन्दर फैली हुई है इसलिए वहां पर इन्डस्ट्री लगे। बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल एरिया वहां बना रहे है जहां म्युनिसपैलिटीज हैं वहां बड़े बड़े इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं बनाये क्योंकि इससे वहां पर यूनियनबाजी हो जाती है, यूनियनबाजी के अन्दर पूरे अधिकार लोगों को मिल जाते हैं और बाद में इण्डस्ट्री बन्द हो जाती है तो मेरा यह कहना है कि फाइनेन्स कारपोरेशन में और अलग-अलग एजेन्सीज जो लोन देती हैं, लोग रीको से लोन लेते हैं और अलग-अलग एजेन्सीज से लोन लेते हैं तो पता ही नहीं पडता कि फाइनेन्स कार्पोरेशन छोटे आदमी को लोन दे देती है और रीको बडे आदमी को लोन दे देती है, इस कारण सरकार की स्कीम फैल हो जाती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार कार्य प्रारम्भ करे उसमें सरकार की गारन्टी होती है, हर चीज के अन्दर सरकार की गारन्टी होती है, फाइनेन्स के अन्दर सरकार की गारन्टी होती है तब ही पैसा मिलता है, फाइनेन्स कार्पोरेशन रीको और दूसरी संस्थाओं से पैसा मिलता है। मेरा यह कहना है कि सरकार इस बात पर सोचे विचार करे और गारन्टी देते वक्त इस तरह की योजना बनाये जिससे गांवों के अन्दर सारे के सारे उद्योग लगें और उनके लिए पैसा मिले। भले ही उसकी जमानत ले ले या कुछ करें पर ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर उद्योग धन्धे चलें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरे आज सारे राजस्थान के अन्दर बिजली का विकास हुआ है पर कोटपूतली के अन्दर एक को-आपरेटिव सोसाइटी है और कहीं को-आपरेटिव सोसाइटी नहीं है इस को-आपरेटिव सोसाइटी के बनने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। उस को-आपरेटिव सोसाइटी के द्वारा किसानों को बिजली मिलती है जिसके कारण किसान परेशान हैं 18 वर्ष पहले और मैं तो कहूंगा उससे भी पहले, 23 वर्ष पहले वहां पर बिजली की सैक्शन हुई थी पर 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस को-आपरेटिव सोसाइटी ने आज तक किसानों को बिजली नहीं दी है और न ही वहां गावों में बिजली दी गई है। मेरा यह कहना है कि आप इस को-आपरेटिव सोसाइटी को हटा दीजिये और विद्युत विभाग को सारा का सारा काम दे दीजिए।

दूसरे हमारे यहां गांवों के अन्दर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की तरफ से पाइप लाइन लगी हुई है और किसान पैसा देने को तैयार हैं आप सिचाई के लिए सिचाई का जो लगान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

वह ले लें। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बड़े-बड़े बांध तो बन नहीं सकते हैं, गांवों में पानी की सतह नीचे चली गई है मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष जी, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड और सरकार की तरफ से ऐसा इन्तजाम हो जाय कि जो सिंचाई क्षमता है, जो भी वाजिब लगान सिंचाई के लिए हो वह देने को तैयार हैं आप ले लें और गांवों में पाइप लाइन बिछा करके जो किसान पैसा देने को तैयार हैं, उन्हें देने की व्यवस्था करें। आज करोड़ों रुपया राजस्थान के अन्दर बेकार लगा हुआ है। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की तरफ से आज से दस वर्ष पूर्व हमारे यहां पर पाइप लगे थे उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि उस पैसे का उपयोग हो सके।

तीसरी बात हैण्ड पम्प के बारे में है, माननीय अध्यक्ष जी, आज गांवों में जो हैण्ड पम्प हैं वह 90 प्रतिशत बन्द पड़े हुए हैं। हरियाणा कोटपूतली के इलाके पास है वहां पर चार गांवों के बीच में एक पानी की टंकी बना दी गयी है उस टंकी से पांच छः गांवों को पानी दिया जाता है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष जी, राजस्थान में भी राजस्थान सरकार एक गांव में टन्की बना कर 6–7 गांवों को पानी दे दे तो इसमें पैसा भी कम लगेगा राजस्थान सरकार का और गांव के लोगों को आराम भी बहुत मिलेगा। परन्तु वैसा तो किया नही गया है और हैण्ड पम्प बनाकर पंचायत समितियों को दे दिया गया है। पंचायत समितियों की स्थिति यह है कि न तो उनके पास इन्जीनियर है, न ही उनके पास मिस्त्री है और ना ही सामान ही है पचायत समितियों का तो जैसे न कुछ लेना है न देना है ऐसी व्यवस्था कर कर दी है। सारे के सारे हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं। मेरा आपको नम्र निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी, हर पम्प वाटर वर्क्स विभाग को दे दिया जाये तो कम से कम अधूरे जो पड़े हैं वह काम तो आ सकेंगे. उनकी हालत तो सुधर सकेगी। अब आप जयपुर में सिटी हैण्ड पम्प की बात करते हैं। आज से बीस वर्ष पहले सुखाडिया साहब ने एलान किया था कि बनास योजना से पानी लायेंगे उस पर चालीस लाख खर्च होगा। एक हैण्ड पम्प पर 12 हजार रुपये खर्चा होता है और ग्राउन्ट वाटर बोर्ड से काम नहीं करा कर आप प्राइवेट लोगों से काम कराते है तो, माननीय अध्यक्ष जो उस पर 40 हजार रुपये खर्च होंगे और वह बन्द पड़े रहेंगे और इस प्रकार से पैसा खराब होगा। सरकार को ऐसा काम करना चाहिये जिससे लोगों को राहत मिले। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प की जो स्कीम है वह इस तरह से लागू की जाय जिससे हमारे गांवो में हैण्ड पम्प लगाये जावें। उन्हें आप अगर वाटर वर्क्स को दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज गांव के अन्दर रुपया सरकार देती है, काफी रुपया देती है पर उसका उपयोग नहीं होता है। होता यह है कि माटी में वह पैसा फेंक देते हैं। बरसात आती है तो वह पैसा बह जाता है। मेरा अर्ज करना है कि सरकार भले ही पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा दे दिया जाय, मन्डी कमेटी या दूसरे विभाग जो पैसा देते हैं वह सारा पैसा पी. डब्ल्यू. डी. को दिया जाये। मैं सरकार से कहना चाहता

96

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हूं कि उस पैसे का सदुपयोग हो। मैं तो यह समझता हूं कि फारेन कंट्रीज में लोग एक एक पैसे को अपना खून समझते हैं वैसे ही राजस्थान के लोग अपने एक एक पैसे को अपना खून समझते तो आज राजस्थान के अन्दर इतनी ज्यादा तरक्की हो जाती जितनी दूसरे प्रान्त नहीं कर सकते थे, परन्तु राजस्थान के अन्दर जो सरकार में बैठे हैं, मैं आज जानता हूं, पहले भी तीन दफा विधायक रहा, खूब चिल्लाता था, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, आज उद्योग धन्धे इस लिए नहीं लगते हैं कि या तो एक फाइल को लिये लिये बरसों लग जाते हैं........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मैंने आपके उद्योग धन्धों हैण्ड पम्प और बिजली के बारे में निवेदन किया।

शिक्षा के लिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज गांव के अन्दर न तो अध्यापक जाता है न उसकी देखरेख होती है, न कुछ और होता है। सारे पॉलिटिक्स के अन्दर भाग लेते हैं और सरपंच के पीछे लगे रहते हैं या प्रधान के पीछे लगे रहते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो ट्रांसफर वाली बात है, एक महीना जोशी जी ने सरका दिया उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, अगर 6,8 या 12 महीने और सरका देते तो और भी अच्छा होता, यह ट्रांसफर वाली बीमारी तो रुकती कम से कम।

मेडिकल विभाग के लिये भी मैं कहना चाहूंगा कि आज डाक्टर की नियुक्ति होती है तो वह गांव में नहीं जाता है। डाक्टरों की चैकिंग के लिए सी. एम. एच. ओ. या दूसरे अधिकारियों को ऐसे आदेश होने चाहिये वह वहां बिना इत्तला के जाकर उनकी चेकिंग करें। वरना वह जयपुर में रहते हैं। और तनख्वाह ले लेते हैं। ऐसी काफी शिकायतें हैं। यह हर विभाग की शिकायतें हैं, मेडिकल की भी हैं, वेटेरिनरी की भी हैं और दूसरे विभाग की भी हैं। वह गांवों में जाते नहीं हैं पैसा ले लेते हैं, जयपुर में पड़े रहते हैं, कोटा में पड़े रहते हैं या जोधपुर बीकानेर में पड़े रहते हैं........

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं इतना ही कहना चाहता हूं सरकार से। जितना मैंने कहा है उसका अर्थ यह है कि विकास ज्यादा से ज्यादा हो। माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि विरोध पक्ष में बैठने वाले जो सदस्य बोलते हैं और सरकार में जो बैठने वाले हैं वह बात सही कहें तो उसको माने नहीं तो नहीं माने, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीनबन्धु वर्मा।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी तक किसी हरिजन सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया।

श्री दीनबन्धु वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य सी. पी. जोशी द्वारा

(श्री दीन बन्धु वर्मा)
प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मार्ग प्रदर्शित किया। मैं, अध्यक्ष जी, आपके प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आपने मुझे दिनांक 19 मार्च को भारत के संविधान के प्रति शपथ दिलवाकर मेरे प्रदेश का तथा जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं प्रतिनिधी चुन कर आया हूं, उसका विकास करने का मौका दिया। मैं सदन के सम्मानीय सदस्यों का समय उन मुद्दों पर नहीं लेना चाहूंगा जिन पर मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर जो की गई सफलतायें हैं तथा जिन क्षेत्रों के अन्दर प्रगति की रफ्तार धीमी रही उसको बड़े साहस के साथ स्वीकार किया। विगत वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ करने की कोशिश की, मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर, बल्कि सारे देश के अन्दर एन. सी. ई. आर. टी. के द्वारा एक आल इंडिया सर्वे हुआ था, उसकी चौथी रिपोर्ट में उन्होंने जो विश्लेषण पाया है उसके अनुसार 100 बच्चे जो स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती होते हैं वे पांचवी क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनका जो सर्वे रहा है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, मैं सम्माननीय सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि जो सौ बच्चे भर्ती होते हैं, देहाती क्षेत्र के अन्दर उसका पर्सेंटेज 62.42 ही रह जाता है, वे पांचवी क्लास तक पहुंच नहीं पाते, ड्राप आउट हो जाते हैं। इसी तरह से अरबन एरिया में जो प्रतिशत है, 100 में से 62% बच्चे ड्राप आउट हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा बेसिक टेलेंट है, देहात के क्षेत्र में रहने वाला, कस्बों में रहने वाला, जो बेसिक टेलेंट है वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह कर स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूलों के अन्दर अध्यापकों के अभाव के कारण, बैठने की अव्यवस्था के कारण, जो उनको शिक्षा के लिये प्रलोभन दिये जाकर आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके अभाव के कारण जिस प्रकार शिक्षा का विकास, प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय एन सी. ई. आर. टी. द्वारा किये गये सर्वे को ध्यान में रख कर इस बात का प्रयत्न करेगी कि देहात और कस्बों के अन्दर शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो और हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं पांचवी क्लास के स्तर से आगे बढ़कर के देश के विकास में हिस्सा ले सकें।

अगर हमें राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है तो ऊर्जा के साधनों का शीघ्र से शीघ्र विकास करना होगा, बढ़ाना होगा। छठी योजना में जो हमारा पावर प्रोडेक्शन का लक्ष्य था चार हजार पांच सौ साठ मेगावाट का, उसको सिर्फ प्राप्त ही नहीं करना बल्कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य हम निर्धारित करने वाले हैं उसको भी हमें तीव्र गति से प्राप्त करना होगा।

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो केन्द्रीय बजट आया है उसमें बजट में ऊर्जा के साधनों, ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक असरदार बजट केन्द्र सरकार ने दिया है। पिछले वर्ष जहां ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के लिए 14 अरब 84 करोड़ रुपये दिये थे इस साल वह 20 अरब 25 करोड़ रुपये हैं। मैं चाहूंगा कि हमें अपने छोटे-बड़े, सभी साधनों का उत्पादन कर ऊर्जा उत्पादन को विकसित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास की कल्पना ऊर्जा के साधनों के विकास के बगैर सम्भव नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। हमारे प्रान्त की जो भौगोलिक स्थिति है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। एक तरफ रेगिस्तान है दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है। दोनों की सिंचाई की योजनाओं की जो समस्यायें हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। मैं यह चाहूंगा कि योजनाओं पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए और जो पानी के साधन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टैप करके, बांध कर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाना चाहिए। राजाखेड़ा के जो माननीय सदस्य हैं उनकी इस बात को मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि धौलपुर, अलवर के अन्दर गंगा यमुना का पानी लाया जाना चाहिए। इसी तरह से सिरोही जिले के अन्दर जो माही और कड़ान का बांध है उसके पानी को पहुंचाना चाहिए। इसी तरह से उदयपुर सम्भाग के अन्दर जो देवास योजना है वह वहां के प्राण हैं, इस देवास योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। सातवीं योजना के अन्दर इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, मैं यह चाहूंगा कि इनके लिये प्रावधान रखे जायें ताकि यह सिंचाई के साधन जल्दी से जल्दी पैदा किये जा सकें........

........मैं अपने कपासन क्षेत्र के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विगत बीस वर्ष से वहां पर एक भी एनीकट नहीं बना। नदी नाले से घिरा हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र है लेकिन मध्यम या लघु या बड़ी सिंचाई योजनाओं का वहां पर नितान्त अभाव है। एग्रीकल्चर बैल्ट है किन्तु सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण वहां के जो हमारे किसान भाई हैं वे सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत बीस वर्ष से जो सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं उसके बारे में जल्दी से जल्दी वे कुछ प्रयत्न करें ताकि क्षेत्र का विकास हो।

मैं सरकार को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अन्न के उत्पादन में प्रान्त में बहुत कुछ करने का प्रयत्न किया गया। ड्राई फार्मिंग तथा अन्य जो साधन हैं वह तो हैं ही लेकिन हमें कम्प्यूटराइज फार्मिंग की ओर भी जाना चाहिए ताकि हमारे जो बैसिक रिसोर्सेस हैं जैसे खाद, बीज, दवाइयां उनका हम वैज्ञानिक आधार पर उपयोग कर सकें। अन्न के उत्पादन के मामले में जो हमारे प्रदेश

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

को देश के अन्दर चौथा नम्बर आया है उसमें हम और प्रगति कर सकेंगे, ऐसी मैं राज्य सरकार से आशा करके चलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान औद्योगिकरण में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस औद्योगिकरण के पिछड़ेपन के कारण हमारे इस प्रान्त की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो मध्यमवर्गीय परिवार हैं, जो आदिवासी परिवार हैं वे सरकार के द्वारा प्रारम्भ की गयीं विभिन्न रोजगार की जो योजनायें हैं उनका समुचित लाभ नहीं उठा पा रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने एक नया नारा दिया है। वह नारा दिया है इलैक्ट्रोनिक इण्डस्ट्रीज, होम इण्डस्ट्रीज इस देश में फैले। घर घर के अन्दर उद्योग लगें, ऐसी वे कल्पना करके चलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस कल्पना को अभी केन्द्र सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें उतारने का प्रयत्न किया है। इलैक्ट्रोनिक इण्डस्ट्रीज में काफी कुछ उन्होंने रिलीफ दी है, काफी कुछ कन्सेशन दिये हैं, काफी मदों पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करने की कोशिश की है। इस तरह से 100 उद्योगों का उन्होंने डीलाइसेन्सिंग किया है। इसका सारा मतलब यह है कि वह प्रोसीजरल डिले को दूर करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहते हैं ताकि देहाती और शहरी इलाकों में रहने वाली जनता, युवक और बेरोजगार भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा करके अपने पांवों पर खड़े होकर स्वावलम्बी बनें। इस सम्बन्ध में रीको की जो भूमिका रही है, माननीय अध्यक्षजी, मुझे उससे व्यक्तिगत तौर से जरा भी संतोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री दीनबन्धु वर्मा : मैं दो मिनट और लूंगा।

मैं चाहूंगा कि रीको, जो कि इस प्रांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास का एक अंग है, अपनी अहम् भूमिका निभायेगा। ऐसी मैं आशा करके चलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षजी और सदन के सम्माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार ने अपने बजट में इस साल 6 हजार करोड़ की सैन्ट्रल असिस्टेन्स रखी है। यह राशि हमें एक निश्चित फार्मूले द्वारा मिलती है। पिछले वर्ष जब आठवां वित्त आयोग यहां आया था तब राज्य सरकार ने, संसद सदस्यों ने और हमारे वर्तमान में डी.एम.के.पी. के अध्यक्ष, माननीय सदस्य श्री नाथूराम जी मिर्धा ने आठवें वित्त आयोग के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे और हमारा जो खास बहस का मुद्दा था वह यह था कि जो धनराशि केन्द्र द्वारा हमें मिलती है उसका आधार पापूलेशन नहीं हो कर एरिया होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर एक स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर पापूलेशन डेन्सिटी 100 की है जब कि अन्य राज्यों, चाहे वह

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

यू. पी. हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, मैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर जो पापूलेशन की डेन्सिटी है वह 200 से 300 है। इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि वितरित करने की मांग हमने की थी। मैं सम्माननीय सदस्यों, चाहे वह विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, सब का इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस बात का सहयोग मांगना चाहूंगा कि एक समूह में इस बात के प्रयत्न किये जाने चाहिये कि आठवीं वित्त आयोग का जो धनराशि वितरित करने का तरीका है, जो फार्मूला है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए ताकि केन्द्र से मिलने वाली जो धनराशि हमें मिले उससे हम राजस्थान के विकास की कल्पना करके चल सकें। हमें इसमें एकजुट होकर अपने दृष्टिकोण को भारत सरकार के सामने रखना चाहिए····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : एक मत से प्रस्ताव किया था। सब का मत आपके जैसा ही था।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दीनबन्धु वर्मा : दो मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हर एक बार दो मिनट तो फिर बहुत हो जायेगा।

श्री दीनबन्धु वर्मा : माननीय सदस्य, आप मुझे कह रहे हैं, मेरी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं·······

श्री यदुनाथ सिंह : 5 मिनट में कह दीजिए।

श्री दीनबन्धु वर्मा : थैंक यू।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारण करना मेरा काम है माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट मुझे दे दें। एक किस्सा इसी बात का सुनाना चाहता हूं। एक मिनट के लिए। जैसे आप बार बार समय मांग रहे हैं तो एक पति पत्नी ने तय किया कि सिनेमा चलते हैं। पतिदेव ने कहा कि आज सिनेमा का विचार है। पत्नी ने कहा कि बिलकुल चलेंगे। तो कहा कि थोड़ा टाइम है जल्दी तैयार होकर आ जाओ। जब थोड़ी देर हुई तो कहा कि आइये ना जल्दी से। तो पत्नी ने कहा कि 5 मिनट में आती हूं मैं अभी·······

श्री अध्यक्ष : फिल्म पूरी होगी। माननीय सदस्य बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : 5 मिनट में आती हूं। ऐसे करते करते जब कई बार हो गयी तो आखिर में झड़क कर बोलती हैं कि मैं आपको आधे घण्टे से कह रही हूं 5 मिनट में आ रही हूं आप टालरेट नहीं कर सकते हैं·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री दीनबन्धु वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश की कल्पना रेल्वे के जाल के बगैर पूरी नहीं की जा सकती। हमारा प्रदेश रेल्वे के संबंध में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यद्यपि यह राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप के माध्यम से एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 36 सालों के अन्दर 8 हजार करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के रेल्वे विकास पर खर्च हुआ उसका 0.06 प्रतिशत राजस्थान में खर्च हुआ है। उसके कारण आज ब्राडगेज की मांग पूरी नहीं हुई, जयपुर शहर ही एक ऐसा शहर है, हमारे प्रदेश की राजधानी है जो अभी भी ब्राडगेज से वंचित है·······

(4.00 म. प.)

मैं यह चाहूंगा कि इस बारे में भी राज्य सरकार देखे कि हमारे यहां पर जो ट्रेक रिन्यूअल्स है, ब्राडगेज है, भारत सरकार पर दबाव डाले ताकि रेलों का अधिक से अधिक जाल फैल सकें।

कल माननीय सदस्य, भाभड़ा साहब हमारे देश के प्रधान मंत्री के बारे में एक कमेंट कर रहे थे कि देश के प्रधान मंत्री अपरिपक्व हैं। वे यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उनकी गैर मौजूदगी में आपके माध्यम से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री शोपत सिंह : किस ने कहा बालक हैं।

श्री दीनबन्धु वर्मा : अपरिपक्व कहा। मैं आपके माध्यम से, मैं इस बात को निवेदन कर दूं, उनको देश का प्रधान मंत्री इस देश की महान जनता ने बनाया है। इट इज ए पीपल्ज मेन्डेट और उसको स्वीकार किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य, भाभड़ा साहब का अनुभव उनके काम में आये, ऐसी मैं इच्छा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, जो आपने मुझे समय दिया, मैं आपके प्रति, माननीय सदस्यों के के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हंसराज।

श्री हंसराज (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ तहसील के गोजूसर, करड़ू, देवीदासपुरा, सांवलसर, बचरारा, संगरासर डीडवाना, सारीया आदि गांवो में पीने का पानी नहीं है। जनता व पशु बिना पानी के प्यासे हैं। गर्मी का मौसम सर पर है हजारों आदमियों के मरने की नौबत आई है। ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं यह कह रहा था कि सदन में अपना भाषण दें, पढ़ना मना है। आप अपना भाषण बिना पढ़े दें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह नाम हैं, याद नहीं रहे। ये स्पेसिफिक नाम हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हंसराज : हमारी तहसील पिछड़ी हुई, है हमारी तहसील की फसलें नष्ट हो गई हैं, न पशुओं के लिए चारा है न आदमियों के लिये अन्न है। 20 से 45 दिन तक नहर की बन्दी रही जिससे आदमियों को पीने के लिये पानी नहीं मिला। सूरतगढ़ तहसील का जो पुराना क्षेत्र हैं उसमें पशुओं और आदमियों के मरने की नौबत आ गई है। जब मैं चुनाव में गया वहां जगह जगह पाइप पड़े थे वह पाइप देखने को थे, पानी नही था रेता बह रहा था। अगर इसी तरह से यही पोजिशन रही तो आपके राजस्थान की क्या हालत होगी। जो भी वहां से आया नींद में सोता रहा।

हमारी तहसील की आबादी तीन लाख है लेकिन एक भी कॉलेज नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है। हम कैसे मान लें, हमारे साथ न्याय हो रहा है

हमारी तहसील की हालांकि श्री विजयनगर मण्डी सबसे बड़ी मण्डी थी, स्टेट टाईम की लेकिन इस समय एक भी इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं है। आज तक 8000 क्यूसेक पानी वहां चल रहा है। मगर इण्स्ट्री एरिया नहीं होने से आप देखिये जमींदारों की हालत है। न सड़क है, न पीने के लिये पानी है। जो आबादी है उसके लिये प्लाट नहीं अलाट किये गये, वे टीबों पर बैठे हुए हैं उनको इस भय से नींद नहीं आती है कि पता नहीं कब उनकी झोंपड़ीयों पर बुलडोजर फेर दिया जाय। अगर यही हालत रही तो जनता कब तक बरदाश्त करती रहेगी? मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कमियां हैं इसलिये जैसा राजस्थान के दूसरे इलाकों को हक मिल रहा है वैसा ही हक हमारे इलाकों को मिले। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिये। हमारे तथ्य गलत नहीं है जैसे कि शोपत सिंह ने रखे। यह हालत हमारे जमींदारों की है। हमारे जमींदारों के ट्रेक्टर लोन पर है, हमारी जमीन पर कर्जा है, जमींदारों के पास बाकी कुछ नहीं है अगर यही हालत रही तो हम लोग कभी बच नहीं पायेंगे। वह इलाका पिछड़ जायेगा। आपका नहर के आने से कोई फायदा नहीं। पानी आगे जाय पीछे रहे, फायदा हमको नहीं है। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है जितनी भी कमिया हैं, स्कूल नहीं हैं अस्पताल नहीं है सारी कमियों को दूर करने का कष्ट करें ताकि हमारा सर ऊंचा हो। आखिर हमारा भी राजस्थान में हिस्सा है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री अमरचंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश और प्रदेश में पिछले तीन महिनों में लोकसभा और विधान सभा के चुनाव हुए। उन चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा देश और प्रदेश में नई सरकार के गठन करने के पश्चात् हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में पर्दापर्ण करके जो अभिभाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

किया, हमारे माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और माननीय गिरिराज प्रसाद जी ने उसका समर्थन किया है उसमें मैं अपनी भावना जोड़ते हुए उसका समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा।

निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस आई की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास प्रकट करके आजादी के बाद इस देश को संवार कर नव निर्माण करने के आधार पर जो सत्ता सौंपी है मैं समझता हूं इसको महान जनता का यह एक अभूतपूर्व और समीचीन निर्णय है। इस प्रदेश में खास तौर से आजादी से पहले सामन्ती शासन में पिछड़ी हुई त्रस्त जनता ऐसी स्थितियों में थी कि न विकास की बात थी न शिक्षा की बात थी, और न किसी प्रकार के दायित्व की बात की जा सकती थी। उस युग से आज तक की स्थिति में पहुंचाने का श्रेय कांग्रेस की सरकार को है। उसके द्वारा राजस्थान का न केवल इतिहास बदला है बल्कि भूगोल भी बदला है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में राजनैतिक तौर से कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम करके जनता के दिल और दिमाग में अपना स्थान बनाया उसका परिणाम हमारे सामने आया है। पिछले चुनाव में आप हम सबने देखा, सिद्धांतहीनता और अवसरवादिता के आधार पर किस प्रकार के गठबन्धन हुए, संयुक्त विपक्ष के नाम पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के बाद किस प्रकार से स्थितियां सामने आई। उसके सारे के सारे परिणाम हमारे सामने आये है। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा के राजस्थान के चुनाव परिणाम से प्रतिपक्ष इतना भयभीत था कि कई नेताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा, एक नहीं दो दो स्थानों से चुनाव लड़ना पड़ा। इस सब के बावजूद राजस्थान की जनता के मतों की प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीते हैं उनके अन्तर के हिसाब से मैं समझता हूं जनता ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है इस आशा और आकांक्षा के साथ कि राजस्थान को केवल मात्र कांग्रेस ही निभा सकी है। मैं समझता हूं कि इसी परिप्रेक्ष में इस बजट अधिवेशन, जो बाद तक चलेगा, के पूर्व जो हमारे सामने आने वाला है लेखाअनुदान, उसके हिसाब से जो बजट में कुछ संकेत दिये गए है, मैं समझता हूं, वह काफी महत्वपूर्ण हैं।

इस अभिभाषण में जहां एक ओर सरकार की अपूर्व उपलब्धियां और आगे कुछ करने का इरादा है इसकी झलक भी इसमें मिलती है, राजस्थान की नवीन सरकार की संवेदनशीलता, परिपक्वता और उसके सशक्त नेतृत्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का भविष्य काफी उज्जवल नजर आता है। ....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री धनराज जी। यह आपके सामने रखा है इसको नीचे रखवा दीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राजनैतिक दृष्टि से कांग्रेस आई की सशक्तता सामने आई है और जनता का विश्वास

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जागृत हुआ है। उन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के आधार पर हम सब को मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाये रखा है हमारे पड़ोस की सीमाओं में कई प्रकार की गतिविधियां हुई हैं और प्रदेश की शक्तियों ने भी ऐसे मौके पर अन्य प्रकार की स्थितियां पैदा करने की कोशिश की है। उसके बावजूद हमारी सरकार ने बहुत प्रयत्न करके उन स्थितियों को सम्भाला है। आज उसी के परिणाम हमारे सामने आये हैं, यह उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने सारी स्थितियों के पैदा करने के बावजूद, कई तरह की राजनैतिक स्थितियां और कई प्रकार के अराजनैतिक कामों को राजनीति में हथियार बनाकर प्रयोग करने के बावजूद कांग्रेस आई में विश्वास व्यक्त किया है। यह बहुत साफ बात है। जो भी परिणाम सामने आये हैं उससे साफ है कि कांग्रेस की कई प्रकार की नीतियों, कार्यक्रम और उसके माध्यम से किये गये योजनाओं के कामों का ही परिणाम सामने आया है। मैं इस अवसर पर....

श्री अब्दुल अजीज : यह, अध्यक्ष महोदय, धीमी गति के समाचार तो एक साथ सुन लेते.........।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम रहा है। राजस्थान ने इस देश में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। एक से लगा करके बीस तक के जो सूत्र हैं उसमें समाज के हर वर्ग को लिया गया है। उनके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो अभूतपूर्व काम हुआ है, मैं समझता हूं, इसकी सराहना चारों ओर से हो रही है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से, मैं समझता हूं, हम प्रदेश को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

सौभाग्य से कुछ समय बाद एक अप्रेल सन् 1985 से सातवीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने आने वाली है वह योजना भी इस प्रदेश के भावी भविष्य के लिये बहुत ही वरदान सिद्ध होगी। जैसा कि इसका नक्शा सामने आने वाला है, प्रदेश में अब तक छठी योजना में जितना रुपया खर्च हुआ है उससे सातवीं योजना में सम्भवतः दुगुना खर्च होने वाला है। यह राजस्थान के लिये बहुत उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगी।

मैं इस अवसर पर खास तौर से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान दो तरह से विभाजित किया जा सकता है एक तो वह जो रेगिस्तानी भू-भाग है जहां पर पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। हमारी सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण करके राजस्थान की भूमि में सिंचाई के साधनों का जो विकास किया है, वह अभूतपूर्व है। दूसरी ओर पेयजल और लिफ्ट

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इरिगेशन की स्कीम भी इस नहर के माध्यम से बनने वाली है उससे भी राजस्थान का बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ दूसरे भाग, जिसको हम आदिवासी और पहाड़ी भाग कह सकते हैं, की गंभीर स्थिति है। उसमें गरीबी है। उस क्षेत्र की जो आर्थिक हालत है वह अत्यन्त दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मुझे इस बात का दुःख है कि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के समय भी सरकार के एक माननीय मन्त्री महोदय के अलावा कोई उपस्थित नहीं है। हम इस तरह के सुझाव देना चाहते हैं जिसके जरिये राजस्थान का विकास होने वाला है………।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक या दो का प्रश्न नहीं है। आपके सुझाव नोट होने चाहिये और वह हो रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान में आज भी काफी पानी बेकार जा रहा है। उसको काम में लेने का कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम हमारे सामने नहीं आ रहा है। मैं राज्य सरकार को बराबर सुझाव देता आया हूं पहले भी और आज भी देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान का सिंचाई का एक मास्टर प्लान इस समय बनना बहुत आवश्यक है जिसमें सारी योजनाओं के सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया जाय। आज कई जगह सर्वे के लिये दफ्तर खुले हुए हैं लेकिन उनके पास गाड़ी चलाने के लिये बजट नहीं है, गाड़ियां खराब पड़ी हुई हैं, ओवरसियर उसमें जाते नहीं हैं। इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। समय पर योजनायें तैयार नहीं होती हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आज बहुत प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राजस्थान में सिंचाई विकास निगम बनाना और उसके साथ में एक सर्वेक्षण का कार्यक्रम जोड़कर चलने की बहुत आवश्यकता है।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नल कूपों के माध्यम से हमारे भू-तल में जितना पानी है, वह किसानों की खेती के काम में आये, उसका भी एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, आज यदि राजस्थान ने इन सब बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार नहीं किया, गम्भीरता से नहीं सोचा तो आने वाला राजस्थान बहुत पिछड़ जायेगा। आज देश में जिस प्रकार की विकास की गति है उसमें इन कामों की बहुत ही महति आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर जो दूसरी समस्या प्रस्तुत करना चाहूंगा वह पेयजल समस्या है। पेयजल समस्या अभी से गम्भीर है। हमारे हैंड पम्प जितने हैं प्राय: वे सूख गये हैं और उनका पानी काफी नीचे पहुंच गया है। इस कारण आज पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर होती जा रही है। हैंडपम्प की आज जो योजनायें हैं, पता नहीं टेक्निकल विभाग इसका जन स्वास्थ्य विभाग

(18)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है, वह इनके संधारण की जिम्मेदारी लेता नहीं, पंचायत समितियों को आपने इनकी व्यवस्था दी है तो इनका भगवान ही मालिक है। मैं पिछले कई दिनों तक गांवों में घूमा हूं, मैंने देखा हैण्ड पम्प कई महीनों से खराब पड़े हैं। उनके संधारण की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अलग से इसकी कोई एजेन्सी नीचे के स्तर पर भी तकनीकी रूप से कायम करे। ताकि समय पर हैण्ड पम्प ठीक हो और इसकी उचित व्यवस्था की जा सके। कई हैण्ड पम्प ड़ेढ़-ड़ेढ़, दो-दो साल से खराब पड़े हुए हैं उनको आज देखने को और उनके बारे में सुनने को कोई तैयार नहीं है, इस कारण आज राजस्थान में पेयजल की गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। कई जगह नदियां पास में हैं वहां क्षेत्रीय योजनाएं बन सकती हैं। उनके द्वारा 10-10, 5-5 गांवों की पेयजल समस्या हल हो सकती है। इसका भी मास्टर प्लान अभी से बनाने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में यह समस्या और भी गम्भीर हो सकती है।

मैं इस अवसर पर राज्य सरकार को एक और भी सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान को प्राकृतिक देन है, वरदान प्राप्त है, इस देश में सर्वाधिक खनिज सम्पदा राजस्थान के भू-गर्भ में छिपी हुई है। इस खनिज बहुल सम्पदा से हमारे राजस्थान की गरीबी मिट सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है लेकिन इस ओर सरकार का पूरा ध्यान नहीं जा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप खनिज मन्त्री थे तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था, विधान सभा में भी कई बार निवेदन किया कि 1955 से उदयपुर डिवीजन, विशेष तौर से भीलवाड़ा जिले का बहुत बड़ा भू-भाग जी.एस.आई. के अन्तर्गत रिजर्व किया हुआ है। न जी.एस.आई. किसी काम को करता है और न दूसरों को करने को देता है इसलिए जिस परपज से आपने एरिया रिजर्व किया वह पूरा नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त खनिज बहुत मात्रा में है आज उसके दोहन की आवश्यकता है। इससे न केवल गरीबी मिटेगी बल्कि राजस्थान के खजाने में भी बहुत पैसा आने वाला है। इसलिए मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से इस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : पांच मिनिट और।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जिस तरह शहरी भूमि के रूपान्तरण का मामला है उससे नगर के लोगों को सुविधा मिलती है लेकिन नगरों और गांवों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है। गांवों में भी कई लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बना लिए हैं, वह भी एक बड़ी समस्या है इसलिए मैं चाहूंगा कि शहर और गांवों के लिए सम्मिलित रूप

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कानून बनाया जाय । भूमि रूपान्तरण की जहां कहीं भी आवश्यकता है इसमें एक बात खास तौर से देखने की है । मैं आपके मार्फत राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार एक फैसला हुआ राजस्व मण्डल से कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जो जमीन पिछले 12 वर्ष से किसी के कब्जे में हो वह दूसरे नाम पर परिवर्तन हो सकेगी । यह फैसला मैं समझता हूं पिछड़े वर्ग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है । इसमे कलंक और बड़े लोग बड़ा लाभ उठा रहे हैं । ये लोग पिछले वर्षों के स्टाम्पों पर उनसे लिखवा लेते हैं और कच्चे-पक्के कागजों पर अपना कब्जा बता करके इस तरह की जमीन उन गरीब लोगों से लेने की प्रक्रिया इस फैसले के बाद से चलने लगी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कानून में इस प्रकार अमेन्डमेंट करें जिससे गरीबों पर जो अन्याय हो रहा है, वह नहीं हो ।

पंचायत और सहकारिता पर भी दो मिनट और निवेदन करना चाहता हूं .... ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें । कई माननीय सदस्यों को बोलना है ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आज मेरी तैयारी बहुत थी । बहुत कम बोल रहा हूं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में बड़ी चर्चा है कि पंचायत राज काफी अच्छा है, इसको नया जीवन प्रदान हो गया और इसका स्वरूप ठीक बना है । अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज से मैं बहुत वर्षों से सीधा सम्बन्धित रहा हूं, जो 1959 में पंचायत राज था, जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता माननीय मोहन लाल जी सुखाड़िया ने पं. नेहरू के नेतृत्व में नागौर में स्थापित किया था वह पंचायत राज आज से ज्यादा सशक्त था, जनता का उसके प्रति बड़ा आकर्षण था । और जन सहयोग काफी न मिलता था । उस पंचायत राज के स्वरूप और आज के पंचायत राज के स्वरूप की समीक्षा की जाय तो मैं समझता हूं काफी निराशा सामने आने वाली है । इसलिए मैं चाहूंगा पंचायत राज के वर्तमान कानून को और ढाचे को थोड़ा ऐसा बनाया जाय जिसमें जनता की ज्यादा भागीदारी हो । उनके भी चुनाव समय पर हों इस पर आज के दिन ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आपने जिक्र किया सहकारी समितियों के चुनावों का, मैं समझता हूं अभिभाषण में सरकार ने कहीं यह घोषित नहीं किया कि नगरपालिकाओं के और पंचायत समितियों के चुनाव भी करवायेंगे । मैं समझता हूं इन संस्थाओं के यदि समय पर चुनाव हों तो वे ज्यादा सक्रिय और ज्यादा मजबूत होकर चलती हैं । इस पर भी आपका ध्यान जाय, यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बिरदमल जी ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण राज्यपाल

108

(श्री बिरदमल सिंघवी)

महोदय ने दिया है, ऐसा समझा जाता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पक्ष नहीं होगा। सफलता की बात तो उन्होंने कही मगर असफलता की बात इस भाषण में कहीं नहीं कही। प्रगति के उजालेपन की बात तो कही मगर जो धुंधलापन है उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं गया। जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं होते तब तक उसे एक पवित्र दस्तावेज कहना कठिन हो जाता है क्योंकि सच केवल सच नहीं होना चाहिए, it should be truth, the whole truth and the only truth, पूरा सम्पूर्ण सत्य होना चाहिए। यह बात सही है कि प्रगति की बात कही गयी है। वैसे प्रगति तो प्रत्येक राज्य में होती है। कोई यह कहे कि राज्य प्रगति कर रहा है तो प्रगति करेगा ही। कुछ वर्ष पूर्व किसी का लड़का है पांच साल का तो 10 साल का पांच साल बाद में कहेंगे। कितना बड़ा हो हो गया ? 10 साल का हो गया और 15 साल का हो गया। तो आगे तो देश बढ़ेगा ही। बिजली के जितने कनैक्शन्स थे उससे कनैक्शन ज्यादा होंगे। सिंचाई की जितनी नहरें थीं, सड़कें जितनी पहले थीं उससे ज्यादा होंगी। यह तो होगा ही मगर प्रगति का प्रमाण क्या है। किस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, यह देखने की आवश्यक बात है।

मैं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं जाऊंगा, मेरे पूर्व कई सदस्यों ने उस विषय में कह दिया है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में पहले से ज्यादा गड़बड़ हो रही है, थानों में लोग मर रहे हैं। पूनासर में एक महाजन, माहेश्वरी महाजन था उसकी दिन दहाड़े डाकूओं ने आकर हत्या कर दी। आज 2–3 माह हुए उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उसके भाई वगैरह सारे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उन्होंने कई प्रार्थनाएं कीं मगर आज तक एक भी मुलजिम उसमें से नहीं पकड़ा गया। जोधपुर में एक असलम काण्ड हुआ, जिसके कारण सारा जोधपुर नगर बन्द रहा। महिलाओं के साथ किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग होता है। यह उस काण्ड से पता चलता है। मगर, अध्यक्ष महोदय, उस असलम काण्ड में जो दोषी लोग थे, उस विषय में कोई पूरी कार्यवाही होकर उन्हें आज तक भी सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, महोदय मैं आपका ध्यान चुनाव की ओर भी दिलाना चाहूंगा। चुनावों के बाद में कोई जीतता है कोई हारता है परन्तु फलौदी क्षेत्र के लोहावट गांव में विपक्षी जीत गया तो वहां पर जिस प्रकार से महाजनों की दुकानों को लूटा गया, दिन दहाड़े लूटा गया, उनकी दुकानों की लाखों रुपये की सम्पत्ति छीन ली गयी। बाद में भी यदि हम कानून की अच्छी स्थिति मानें तो ठीक नहीं होगा। महोदय, मैं कानून की स्थिति पर ज्यादा नहीं जाकर केवल यह निवेदन करूंगा कि कानून का एक पक्ष यह भी है कि कानून में न्यायपालिका का एक स्थान होता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस सम्पूर्ण भाषण में न्यायपालिका के विषय में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा गया है कि न्यायपालिका किस प्रकार से ठीक की जायेगी। आज

(श्री विरदमल सिंघवी)

मुकदमे बड़े लम्बित हो रहे हैं, वर्षों तक मुकदमे चलते हैं। फलस्वरूप आज एक सज्जन पुरुष एक अच्छा आदमी न्यायालय में जाने के लिए भी इच्छुक नहीं होता। न्यायालय में जाना अपनी हेठी समझता है। इस प्रकार की हमने न्याय व्यवस्था कर दी है। न्याय के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए था, विश्वास होना चाहिए था किन्तु आज सब का विश्वास न्यायपालिका में डिग गया है। महोदय हम इस विषय में विचार करें कि यह सब क्यों हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका के विषय में भी हमारी सरकार कुछ विचार करती और राज्यपाल महोदय उसके विषय में कहते क्योंकि न्यायपालिका और कानून ये दो जुड़ी हुई व्यवस्थायें हैं। जब आदमी को मालूम होता है, जब अपराधी को मालूम होता है कि कानून के हाथ, कानून की नजर से मैं बच जाऊंगा तो फिर कानून की व्यवस्था बिगड़ती जाती है। आज ठीक यही स्थिति है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हू कि आज भी जजों के कई स्थान रिक्त हैं। हाईकोर्ट के रिक्त स्थान की बात तो मान लो समझ में आती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात है परन्तु हम यह प्रेशर डाल सकते हैं कि उन रिक्त स्थानों को भरा जाय। आज हाईकोर्ट में 5–5, 6-6 स्थान रिक्त पड़े हैं और मुकदमे बड़े लम्बे समय से चल रहे हैं। नीचे की अदालतों का मामला तो राज्य सरकार से सम्बन्धित है, कई स्थान रिक्त पड़े है-मुन्सिफ के, डिस्ट्रिक्ट जजेज के वे स्थान आज भी रिक्त पड़े हैं और उनको भरने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, श्रीमान मैं निवेदन करूंगा कि आज जब क्लाइन्ट्स जाते हैं, गवाह जाते है अदालतों में उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें धूप में बैठना पड़ता है। अदालत के बाहर कमरे में इस तरह से बैठना पड़ता है जैसे वे स्वयं मुलजिम है। और उन्हें सजा देनी हो। उनको इस प्रकार से पुकारा जाता है जैसे वे बड़े हेठ आदमी हों और उनकी कोई स्थिति नहीं हो। उनको इस प्रकार से आवाज दी जाती है जैसे उनका कोई सम्मान नहीं है। इसलिए अच्छा आदमी आज कोर्ट में गवाही देने के लिए भी नहीं आता उनके लिए सीट्स होनी चाहिए, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि अभिभाषकों के लिए वैलफेयर एक्ट बिहार में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आन्ध्र प्रदेश और केरल में है परन्तु आज तक राजस्थान वैलफेयर एक्ट नहीं है। अभिभाषकों ने, बार कोन्सिल ने मुझे पत्र लिखा है कि उन्होंने बिल बनाकर दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार को भेज दिया था। उस बिल पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से भी सहमति हो चुकी, एडवोकेट जनरल से हो चुकी विधि डिपार्टमेन्ट ने भी उनको स्वीकृति दे दी परन्तु आज भी अभिभाषक बिल केवल कैबिनेट में विचाराधीन रूप में पड़ा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभिभाषक बूढ़े हो जायं, अपाहिज हो जायं तो उनको प्रोविडेन्ट फण्ड के रूप में कुछ मिल सके, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है। वह भी उसमें सम्मिलित नहीं की गयी है।

(श्री विरदमल सिंघवी)

अदालतों के लिए न भवन है न स्टेशनरी है। आप देखेंगे स्टेशनरी का इस प्रकार से यूज होता है कि एक एक आदमी का बयान लिखता है जज वह ठीक प्रकार से पढ़ा भी नहीं जा सकता, उनकी कापीज ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। मैं निवेदन करूंगा कि न्यायपालिका के विषय में अवश्य विचार होना चाहिए था।

न्यायपालिका अच्छी चलेगी, न्याय अच्छा होगा तो अच्छा कार्य होगा। मुझे कहते हुए शर्म आती है यहां पर कि हाई कोर्ट जज जब दौरे पर जाना चाहते थे, काम पर जाना चाहते थे तो यहां के कलैक्टर, यहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनको कार देने से भी इन्कार कर दिया और कह दिया सरकारी कार तुमको नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में कोर्ट जज की क्या व्यवस्था होगी, किस प्रकार से वह सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा जब यहां का एक छोटा सा आफिसर, एक जिलाधीश हाईकोर्ट जज को एक कार देने से भी इन्कार कर दे जब कि वह सरकारी काम से जाने के लिए उस कार का उपयोग करना चाहते हैं तो, श्रीमन् ऐसी चीजों से लोगों की जो आस्था है न्याय के प्रति वह समाप्त होती है।

मैं, श्रीमन्, इस विषय में और ज्यादा नहीं कह कर मैं इतना ही निवेदन करूंगा। दूसरी बात जो इस भाषण में मिसिंग है, मैं उन्हीं चीजों के विषय में अधिक कहूंगा। प्रगति की जो बातें कही गयी हैं मैं उनको रिफ्यूट करने की बात नहीं कहूंगा, उसकी बात बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिका, जो बहुत महत्व पूर्ण है, के विषय में एक भी शब्द इस अभिभाषण में नहीं है। आखिर आदमी का ज्यादातर काम नगरपालिकाओं से और पंचायतों से पड़ता है। पंचायतों के क्या अधिकार हैं उसके विषय में भी बहुत थोड़ा सा कहा गया है। नगरपालिका के विषय में तो एक भी शब्द सारे अभिभाषण में नहीं कहा गया है। नगरपालिकाओं के चुनाव, नगरपरिषदों के चुनाव काफी समय से बकाया हैं आज तक भी वे चुनाव नहीं हो रहे। इतना ही नहीं नगरपरिषदें किस प्रकार से फंक्शन करती हैं राज्य सरकार उनको किस प्रकार से दबाती है इसका आप उदाहरण सुनेंगे तो वास्तव में हैरत में आ जायेंगे। श्रीमन्, जहां आपकी विपक्ष की नगरपालिका है, चाहे कुचामन हो, चाहे मेड़ता सिटी हो, चाहे परबतसर हो, चाहे पिपाड़ हो, जहां विपक्षी नगरपालिका है उन नगरपालिकाओं के लोगों को शो काज नोटिस देकर तंग किया जाता है, उनके चेयरमैनों की जांच चालू कर दी जाती है बिना किसी कारण के। जहां पर सत्तारूढ़ दल की नगरपालिका है एक ही क्षेत्र में बताऊंगा, मेरे क्षेत्र में बिलाड़ा और पिपाड की दो नगरपालिकाएं हैं, उनमें कोई भेद नहीं है एक सी नगरपापिकाएं हैं परन्तु क्योंकि बिलाडा में सत्तारूढ़ दल की नगरपालिका है वहां पर अनुदान दे दिया जाता है और पिपाड़ में क्योंकि विपक्ष की नगरपालिका है, भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका है उसको अनुदान नहीं दिया जाता है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि नगरपा-

(श्री बिरदमल सिंघवी)

लिकाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार समाप्त किया जाय।

जोधपुर नगरपरिषद का आप हाल सुनें, जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है परन्तु आज, आज किसी को पूछा जाय, कि जोधपुर नगरपरिषद का अध्यक्ष कौन है तो आज अध्यक्ष के विषय में बताने में बड़ी हैरानी होगी कि वास्तव में अध्यक्ष कौन है। जो अध्यक्ष पहले थे वह कहते हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। दशहरे के मेले पर इस प्रकार का झगड़ा हुआ जिस प्रकार का झगड़ा शायद कहीं नहीं हुआ होगा। एक अध्यक्ष कहता है कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं इसलिए रावण को मारने का काम मैं करूंगा। दूसरा अध्यक्ष कहता है कि तुमने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष का चार्ज मैंने ले लिया इसलिए रावण को मारने का काम मैं करूंगा। इसलिए तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय शिवचरण जी माथुर को दोनों अध्यक्षों को एक तरफ रख कर रावण मारने को स्वयं वहां पर आना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति है, श्रीमान्। पिछले तीन माह से जोधपुर में नगरपरिषद की एक भी बैठक नहीं हुई। नगर परिषद की एक माह में एक बैठक होना आवश्यक है। आपको आश्चर्य होगा, श्रीमान्, यह जान कर कि तीन चार महीने हो गए, नगर परिषद की एक बैठक नहीं हुई है। नगर परिषद का बजट पारित नहीं हुआ है और बिना बजट के नगर परिषद चल रही है। केवल प्रतिमाह सैंक्शन लेने के लिए आते हैं, हर माह माह की अलग से सैंक्शन ले जाते हैं और हर माह उस बजट के कुछ प्रतिशत को खर्च करने की खुली छूट होती है केवल वह व्यय कर पाते हैं। इस कारण आज सारी जनता त्रस्त है। केवल विपक्ष की बात नहीं, पक्ष की बात नहीं परन्तु सड़कें, रोड लाइटस और जो एमेनिटिज है वह सारी सफर कर रही हैं। आज गिरधारीलाल जी भार्गव कह रहे थे कि जयपुर नरक हो रहा है। मैं, श्रीमान्, निवेदन करूंगा कि जोधपुर के कई साथी मेरे यहां बैठे हैं, उनसे पूछा जावे आज कि जोधपुर किस प्रकार से नरक हो रहा है। किसी भी प्रकार की नगरपालिका हो, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं........

श्री शोपतसिंह : यह सारे देश को नरक की तरफ धकेला जा रहा है, आप जोधपुर और जयपुर की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं अपने स्थान को स्वर्ग बनाना चाहता हूं।

महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा था कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, यह किसी दल की बात नहीं, बस व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष कौन है, यह व्यवस्था होनी चाहिए। दल के झगड़े हैं, आपस में ये झगड़े निपटाये जावें। नगर परिषद को कौन चलाएगा यह तय होना चाहिए। इतने बड़े शहर की नगर परिषद की यह हालत है, आज आधी से अधिक रोड लाइट्स खराब पड़ी हैं उनको ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं। हाईकोर्ट में एक सज्जन

(श्री बिरदमल सिंघवी)

गए। उन्होंने रिट फाईल की कि जो गटरों के मैन होल खुले खड़े हैं उनको लगाया जावे। दो महीने का टाइम दिया हाई कोर्ट ने। बार बार समय दिया उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने मैंडेट दिया कि इतने समय के अन्दर अन्दर गटर्स पर मैन होल लग जाने चाहिए परन्तु आज तक भी गटर्स पर मैन होल लगाने की व्यवस्था बराबर नहीं हो रही है। इस प्रकार की हालत जिस शहर में हो रही हो, वहां किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, इस पर आप विचार कर सकते हैं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कुछ विद्युत संकट की तरफ भी ले जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री बिरदमल सिंघवी : जोधपुर में औद्योगिकरण हुआ उस औद्योगिकरण के कारण जोधपुर की प्रगति हो रही थी, आगे बढ़ रहा था और जो छः सौ उद्योग लगे हुए थे उसकी जगह 1800 उद्योग भी हो गए थे। कई इण्डस्ट्रियल सेंटर खुले, तीन फेजेज में इण्डस्ट्रियल एरिया 'वन' एण्ड 'टू' और बासनी में खुले। इस प्रकार से डवलपमेंट हुआ परन्तु आज विद्युत की हालत यह है, जो जोधपुर में रहते हैं उनको मालूम है कि जोधपुर में बिजली आना एक्सैप्शन है। आई और गई, आई और गई, इस प्रकार से बिजली की आंख मिचौनी वहां पर चलती रहती है। कोई जोधपुर में ठीक प्रकार से सोच नहीं सकता कारखाना लगाने के लिए। आधे से अधिक इण्डस्ट्रिज बन्द पड़ी हैं या आज नुकसान के कगार पर खड़ी है। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में 1806 दिनों में, मैं आपको निवेदन करूंगा, 1069 डेज बिजली का कट रहा। यह बिजली का कट रहा इसमें से पचास प्रतिशत से अधिक कट, पचास से सौ फीसदी तक कट 879 डेज तक रहा। इतना अधिक कट रहे तो आप विचार कर सकते हैं, श्रीमन्, किस प्रकार से इण्डस्ट्रीज चलेगी। पचास पर्सेंट से ज्यादा कट रहा है 879 डेज। इतना ही नहीं, पावर कट होने के कारण वहां पर खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहां कुए बड़े गहरे हैं। वहां पर पम्पिंग सैट बिजली के बिना चल नहीं सकते, परन्तु वहां पर रोज मोटरें खराब होती हैं। वोल्टेज में इतना फ्लेक्चुएशन है कि रोज मोटरें खराब होती हैं। इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि आज व्यक्ति विचार करता है, किस प्रकार से जोधपुर में और जोधपुर क्षेत्र में रहे।

शोर्टेज के विषय में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान भर की यह समस्या है, श्रीमन्। इस विद्युत संकट के सम्बन्ध में मेरा विशेष निवेदन यह है कि जो स्टडी टीम बनी थी, वह स्वयं मानती है कि इस समय 1625 मेगावाट की डिमाण्ड है राजस्थान की उसके अगेन्स्ट 1157.5 मेगावाट बिजली मिलती है अर्थात् 467.5 की शोर्टेज थी यह उन्होंने स्वयं माना है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में मेरे कुछ सजेशन्स भी हैं। पालना, चम्बल, सूरतगढ़, पूगल, जैसलमेर आदि से जो बिजली लेने की बात की रही है उसमे केवल हमें 135.15 मेगावाट बिजली मिलेगी और इसके लिए 316.19 करोड़ रुपये चाहिये। श्रीमन्, मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि इतना रुपया

(श्री विरदमल सिघवी)

कहां से लायेंगे, किस प्रकार से लायेंगे इसके विषय में हमें विचार करना चाहिए।

शोर्ट टर्म मैजर के विषय में, कुछ बिजली के विषय में मेरे कुछ सजेशन्स हैं, कुछ सुझाव हैं वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के विषय में मेरा सजेशन यह है कि 300 मेगावाट का गैस बेस्ड प्लाण्ट लगाया जावे जिससे काफी सहायता मिल सकती है। अभी बोम्बे में पांच सौ मेगावाट बिजली के लिए गैस पर आधारित बिजली का संयंत्र लगाने की बात कही है। यह बात सही है कि इसके लिए मशीनें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी परन्तु यदि हम सारा आर्थिक ढांचा तैयार करना चाहते हैं, बिजली लाना चाहते हैं तो हमारे प्रदेश में बिजली होती नहीं, दूसरे प्रदेश हमको देते नहीं, जो हमारे शोर्ट फाल्स हैं वह हमारे लोग पूरे करते नहीं। दूसरे हमारे प्रोविजन्स हैं, सिंगरोली आदि से हमें बिजली पूरी आती नहीं। इसका एक ही कारण है, इसका एक ही नतीजा है कि हम यहां प्राइवेट.........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा श्रीमन्।

इस प्रकार जो गैस पाइप लाइन हमारे यहां से निकलती है, हमारे राजस्थान में, किसी स्थान पर हम यदि तीन सौ मेगावाट का गैस पर आधारित संयंत्र लगायें तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा बीस से तीस मेगावाट के थरमल प्लाण्ट भी अगर हम सब इण्डस्ट्रियल सेंटर्स पर लगा दें तो इससे भी बिजली की राहत मिलेगी। यह जोइन्ट सेक्टर में लग सकते हैं, इण्डस्ट्रीज और बाकी आर. एस. ई. बी., सरकार, सब मिल कर जोइण्ट सेक्टर में इस प्रकार बिजली के प्लाण्ट लगा सकते हैं। फिर विद्युत कोटा जो हमको मिलता है उसको एश्योर करने के लिए संयुक्त रूप से पक्ष और विपक्ष सबको मिल कर प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो कोटा है वह हमको बराबर मिले।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि कोटा अणु संयंत्र लगभग पिछले तीन साल से बन्द पड़ा हुआ है। वरचुअली डेड है, और दूसरा भी यदाकदा खराब हो जाता है। तो क्यों नहीं हम केन्द्र सरकार से मांग करते कि यह जो दो अणु बिजली घर लगाए गए हैं इनका कम्पेन्सेशन हमको किसी प्रकार से दे? हमको एडीशनल बिजली देकर इसको पूरा करे। अन्य अणु बिजली घर हमारे यहां और लगाया जावे क्योंकि जो उन्होंने लगाये वह हमारे काम के नहीं। बराबर काम देते नहीं। दो लगातार उन्होंने हमारे नाम पर लिख दिया कि राजस्थान में हमने इतनी बिजली दे दी, इतने अणु बिजली घर दे दिए। वह फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वह हमारे उपयोग के नहीं हैं........

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : तो हमको चाहिए कि इसके एवज में हम दूसरा अणु

(श्री बिरदमल सिंघवी)

बिजली घर और मांगें उसके एवज में हम एडीशनल रूप में लें क्योंकि वह चीजें हमें मिली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : केवल दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्रीमन्, मैं बेरोजगारी के विषय में विशेष रूप से निवेदन करूंगा। आज रोज-गार में ग्रामीण रोजगार की बात जरूर कहीं गई है परन्तु शिक्षित बेरोजगारों की आज एक बड़ी समस्या बन रही है उसके विषय में कोई बात नहीं कही गई है। केवल पन्द्रह हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। श्रीमन्, पन्द्रह हजार लोगों को रोजगार मिलने से क्या होगा? जो लोगों को लोन दिया जाता है वह लोन भी बन्द कर दिया गया है। इसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट हो रही है। हमारा राजस्थान एग्रीकल्चर में आगे नहीं बढ़ सकता, केवल इण्डस्ट्रीज में आगे बढ़ सकता है, उद्योगों में आगे बढ़ सकता है। इसलिए उद्योगों की रोजगार क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी। उद्योगों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विद्युत की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा, श्रीमन्, हमें विद्युत के विषय में ध्यान देना चाहिए।

अन्त में केवल एक छोटी सी बात निवे-दन करूंगा, श्रीमन्, वह है अकाल के विषय में। हमारा क्षेत्र.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : केवल एक दो मिनट में।

अकाल के बारे में इतना कहना है कि इसमें कुछ फिगर्स दिए गए है, परन्तु शेरगढ़ की माननीय सदस्या मेरे पास बैठी थी, मैंने उनसे जानकारी भी ली है। अकाल राहत कार्य शुरू करने की बात जरूर यहां आई है परन्तु वास्तविक रूप में अकाल राहत कार्य कहीं भी नहीं खुले हैं और सारी की सारी बात केवल कागजों में है। पिछली बार जब अकाल राहत के कार्य खुले थे उस समय लोगों को मिनिमम वेजेज के अनुसार पैसा देना चाहिए था, यह हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट का फैसला था लेकिन हमको, बेचारे गरीबों को केस करना पड़ा, क्योंकि कानूनी सहायता की बात तो केवल कागजों में रह गई। कानूनी सहायता की बात तो कागजों में रह गई हमें केस लड़ कर हाई कोर्ट से आर्डर लेने पड़े। आर्डर होने के बाद भी दुःख का विषय है उनको मिनिमम वेज फैमिन वर्क्स पर नहीं मिली। इतना ही नहीं रथकुडिया के सात सौ मजदूरों को लेबर कोर्ट में जाना पड़ा केवल अपना भुगतान लेने के लिए। श्रीमन्, यह बड़ी दुखद स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि राहत कार्यों में इस प्रकार की बात नहीं हो। आज शेरगढ़ तहसील में, फलोदी तहसील में न तो चारा है, न पीने को पानी है। लोग पीने का पानी का इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं कि उनको आठ आठ मिल से, छः छः मिल से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इसलिए पेयजल की व्यवस्था की जावे, अकाल राहत कार्य तुरन्त खोले जावे। टेंकर्स जो बताए गए हैं यह बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

(श्री विरदमल सिंघवी)

इतना ही निवेदन करते हुए, श्रीमन्, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपालसिंह।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 20 मार्च को कृपापूर्वक यहां जो अभिभाषण दिया उस पर धन्यवाद हेतु नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, तिवाड़ी साहब ने जिसका समर्थन किया, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया, हमारी सरकार ने पिछले सालों में क्या क्या काम किये, उन सारी बातों का सूक्ष्म उल्लेख इस भाषण में है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस में विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाये कि कांग्रेस की सरकार के आने के पश्चात् इस प्रदेश की विकास की गति अवरूद्ध हुई है, इस प्रदेश की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हुई है, मैं इस बात से सहमत नही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग आज यह कह रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर लॉ एंड आर्डर की स्थिति अच्छी नहीं रही, जो 77 से 80 तक शासन में भी थे, जो राजा मानसिंह के मामले को लेकर इतने उछलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके 27 माह के शासनकाल में हत्याएं नहीं हुईं, इसी तरह की जघन्य हत्याए उनके शासनकाल में नहीं हुई? पांच साल के कांग्रेस के शासन काल को आप लीजिये, सामान्यतः ला एण्ड आर्डर की स्थिति संतोषजनक रही है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चाहे राजा मानसिंह के हत्याकाण्ड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, चाहे कोठपुतली की घटना हो, किसी भी शासनकाल में कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। इस प्रकार की कुछ घटनाएं हमारे शासनकाल में हुई हैं तो हमारे से भी ज्यादा घटनाएं इनके 27 माह के शासनकाल में हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

(व्यवधान)

27 महीने के। 27 महीने के शासन काल में हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि पिछले पांच सालों के अन्दर कांग्रेस शासन में विकास की गति किसी प्रकार धीमी रही है, सही नहीं है। आप सब जानते हैं, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य भी कुछ समय पूर्व शासन में रहे हैं। विपक्ष में बैठने वाले कई वयोवृद्ध माननीय सदस्य जो कांग्रेस शासनकाल में मंत्री पद पर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 20-20 25-25 वर्ष शासन काल में रहने के पश्चात् क्या आपका एक नैतिक दायित्व नहीं था कि इस राजस्थान की प्रगति के अन्दर आप भागीदार होते। तो यह जो बात कही जाती है, हर प्रदेश की उन्नति करता है, तरक्की करता है, स्टेट जो रिसोर्सेज होंगे, जो भी साधन उप-

श्री सूरजपाल सिंह

लब्ध होंगे, उन साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही हम प्रदेश की प्रगति कर सकते हैं। उन सीमित साधनों उस धन जो हमारे पास उपलब्ध था, देखते हुए हमने राजस्थान की प्रगति में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि जनादेश लेकर हम लोग पुनः सत्ता के अन्दर आये। 27 महीनों तक जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी, जिन्होंने केवल झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह करने की बात कही थी, जिन्होंने बाजारू भाषण इस विधान सभा के अन्दर दिये थे उनको जनता की अदालत में 27 महीने बाद मात खानी पड़ी। आज भी वह लालायित हैं सत्ता के लिए और सत्ता उन्हें पुनः नहीं मिलने वाली। झूठे आश्वासनों से, झूठी बातों से शासन आपको नहीं मिलने वाला है।

आपने जनता पार्टी के शासन काल में खूब विद्युतिकरण किया। आपने आते ही बिजली के कनेक्शन देने शुरू कर दिये। इतने अनाप-सनाप बिजली के कनेक्शन दिये कि लोगों की फसलें जलने लगीं। आपकी कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने 27 साल तक जो शासन किया था वह एक योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर अग्रसर था मगर आपने 27 महीने के अन्दर उस योजना को ताक में रख करके एक रोलिंग प्लान बना कर प्रदेश का विकास करने का जो तरीका अपनाया उससे इस प्रदेश की आगे बढ़ने की गति को अवरूद्ध किया। हमारी जो योजनाएं थीं जिनसे प्रदेश आगे बढ़ सकता था उनको लागू न करके आपने प्रदेशों को 25 साल पीछे धकेल दिया। यह दोष अगर किसी को जाता है तो 27 महीने की जनता पार्टी की सरकार को जाता है जिसने इस प्रदेश को पीछे। 20 साल पीछे....

(व्यवधान)

आप माननीय सदस्य, बात सुनिये, जवाब देना जब आपका मौका आए, बात कहने दीजिये। आप इस तरीके से बीच में हस्तक्षेप न करें।

तो मैं यह कहना चाह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार की नीतियां, हमारी सरकार के कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हैं। उसी योजनाबद्ध तरीके से हमने काम करने की चेष्टा की है। इस चेष्टा के अन्दर जो बीच में यह 27 महीने का शासन काल आया, अध्यक्ष महोदय, उसमें इन्होंने बिजली के खूब कनेक्शन दिये। उसका नतीजा यह हुआ कि जो वोल्टेज, जो रेगूलेशन्स सही मिलना चाहिए था, किसान को वह नहीं मिल पाया। मैं भी अध्यक्ष महोदय, जनादेश ले करके यहां 77 से 80 के बीच में आया मुझे भी सौभाग्य मिला है। इस विधान सभा का सदस्य रहने के नाते हम रोज इनके सामने समस्याएं लेकर के आते थे कि हमारे को बिजली पूरी नहीं मिलती, चाहे बिजली आप 7 घंटे दीजिए, चाहें 8 घंटे दीजिए मगर वह बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी ? कनेक्शंस ज्यादा थे, वोल्टेज सही नहीं था, रेगूलेशन्स सही नहीं था। हमारा शासन आते ही हमने निश्चित तौर पर कनेक्शंस

(श्री सूरजपाल सिंह)

कुछ कम दिये हों मगर उन लाइनों को, उस वोल्टेज को सुधारने की तुरन्त कोशिश की। आप आंकड़े उठा करके देखिये, हमारे इस पांच साल के शासन काल में हमने कितने 132 के. वी. स्टेशन बनाऐ, हमने कितने 33 के. वी. ग्रिड स्टेशनों का निर्माण किया। इन बातों को आप सत्यता में जा कर के देखिये तो आपको पता चलेगा की कांग्रेस की सरकार ने पिछले पांच सालों में क्या क्या काम किये है। उनको इस प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है, आप अगर यहां आ कर के जोशीले भाषण दे कर के उसको ठुकराना चाहते हैं तो उस बात से इस प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : हमने शामिल किए, हन्ड्रेड पर्सेंट उद्योगों में कटौती की....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री सूरजपाल सिंह : आपका समय आने पर कहिये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह : राजस्थान कैनाल के निर्माण का काम जो 25 साल से चल रहा था, 25 साल में गति कुछ धीमी थी उसको हमने तेज करने के प्रयास पिछले पांच सालों में किये। इस पांच साल में हमने प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद जनता पार्टी ने जो पांच लिफ्ट इरींगेशन की स्कीम ड्राप कर दी थीं उन्हें पुनः लागू किया। बाड़मेर जिले के गडरा रोड तक, जोधपुर तक, नागौर तक पानी पहुंचाने की योजनायें अगर किसी ने दी तो वह कांग्रेस की सरकार ने दी। जनता पार्टी की सरकार आते ही उन योजनाओं को ड्राप कर दिया था हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि योजनाएं इस प्रकार की बनें जो महत्वपूर्ण हों।

(व्यवधान)

करके नहीं दिखा दें, जिसकी सार्थकता हो, जिसका महत्व हो, जिसके पीछे कुछ उपयोगिता हो, इस प्रकार की योजना ले कर के हम आपके सामने आ रहे हैं, हम ढर्रा ले कर के नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की योजना जिस से आपको फल मिल सके, आपको घास मिल सके, आपको सब्जी मिल सके और इस प्रदेश के हजारों हजारों लोग....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री सूरजपाल सिंह : आप इसके योग्य नहीं हैं। जिन बातों को हम कहना चाह रहे थे, आपको जो ठेस लग रही है वह क्यों लग रही है हम जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री सूरजपाल सिंह : यहां हमारे तत्कालीन राजस्थान कैनाल मन्त्री ने जब राजस्थान कैनाल की बात कही थी तो विपक्ष के नेता भैरोसिंह जी शेखावत ने कहा था कि आपकी यह योजना पंजाब से चुरा करके लाई गई है। क्योंकि आपके पास दो-दो सौ मुरब्बे नहीं रह सकते, जिस आदमी ने यह योजना दी कि 15 बीघा जमीन मिले तो निश्चित तौर पर उन लोगों, जिनके पास ज्यादा जमीन है, का विरोध होगा। आप उन लोगों को फुसलाने के लिए, उन लोगों के दिमाग को खराब करने के लिए कई तरह की बातें करेंगे मगर हम एक ठोस कार्यक्रम लेकर आये हैं। हम उन कामों को करेंगे और आप देखेंगे कि उनसे राजस्थान का कितना भला होने वाला है। उसके ऊपर हम बिजली का भी उत्पादन करेंगे। लोगों के लिए खाद उत्पादन करने का, छोटे उद्योग लगाने की, यह सारी चीजें करने के लिए......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सदस्य, फिर वही योजना चला रहे हैं जिसके तहत माननीय भाटी साहब को निकालना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य :

श्री सूरजपाल सिंह : योजनायें तो बनती रहेंगी।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर वह योजना आ रही है क्या ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। प्रदेश में जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनमें से 17,330 गांवों की समस्याओं का समाधान चाहे वह टी एस एस के तहत हो, चाहे वह हैण्ड पम्प स्कीम के तहत हो, चाहे वह रीजनल स्कीम के तहत हो, किया गया। रीजनल स्कीम के अन्दर जहां पेयजल 17–17, 18–18 गांवों में सप्लाई होता है, हम इस चीज को महसूस करते हैं कि टेल एण्ड के गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। आज इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद बिजली कम उपलब्ध होने की वजह से उन टेल एण्ड के गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने उसके लिए भी योजना बनाई है। हम काम कर रहे हैं, केवल योजनाएं ही नहीं बना रहे हैं। अधिकांश स्कीम लागू कर दी गई हैं। कि डाइरेक्ट लाइन खींचने जो की हमने योजनायें बनाई है जिससे कि जिस ट्यूब वैल से 18 गांवों को पानी मिल रहा है उसको बिजली डाइरेक्ट सप्लाई हो ताकि टेल एण्ड के विलेजेज के जो लोग पानी से महरुम हो रहे हैं उनको सप्लाई नियमित मिले। यह समस्या सामने थी कि आखिर के गांव में योजना बने हुए दो-दो, तीन-तीन साल हो गये मगर उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है तो डाइरेक्ट विद्युतीकरण अधिकांश योजनाओं में दिया गया है, बाकी की योजनाओं पर कार्य चालू हैं। यह सारी चीजें हमने पिछले पांच सालों के अन्दर की हैं उसी की वजह से हम सत्ता के अन्दर आये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब कुछ ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले मे मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा यह सुझाव है कि उन कुओं, जो केवल एक खम्भे से विद्युतीकृत किये जा सकते है, के लिए राज्य सरकार यह निर्णय ले कि उनका विद्युतीकरण कर दिया जाय। हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है, बोर्ड के पास भी पैसा कम है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस सुझाव को मानने में, मैं समझता हूं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जो कुए केवल एक पोल से विद्युतीकृत किये जा सकते हैं उनको हम अविलम्ब कनेक्शन दें। हम एक काश्तकार को एक विद्युत कनेक्शन देते हैं तो उसको आर्थिक नुकसान 5 या 7 हजार प्रति वर्ष होता है। इस प्रकार के हजारों कुए होंगे जो केवल एक पोल से विद्युतीकृत किये जा सकते हैं।

इससे हम किसान को एक बहुत बड़ी सुविधा बहुत कम खर्चे के अन्दर दे सकते हैं। मेरे इस सुझाव पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : सरकार हमारी है, आपको क्यों वहम हो रहा है।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि आर. ई. स्कीम जो बनाई जाती है वह चार साल के लिए होती है, चार साल की समयावधि के लिए उस स्कीम पर पैसा मन्जूर होता है, भावों में निरन्तर वृद्धि से या अन्य किसी कारणों से उसकी कास्ट बढ़ जाने के कारण आर. ई. स्कीम के कुछ गांव बच जाते हैं, जो गांव बच जाते हैं, जिन गांवों की लाइनें नहीं खिच पाती हैं उन गांवों के लिए पुनः स्कीम नहीं बन पाती है इसलिए जो जो आर. ई. स्कीम अब तक स्वीकृत हुई हैं और जिन आर. ई स्कीम के कुछ गांव समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण विद्युतीकृत नहीं हो पाये हैं उन शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण अविलम्ब करवाने के प्रस्ताव बना कर आर. ई. सी. को भेजे जायें। विद्युतीकरण किऐ हुए कई गांवों के अन्दर हरिजन बस्तियों का इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसी शेष रही बस्तियों को इलैक्ट्रिफाइड किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम है कि इस वर्ष राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति है। अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये जो प्रस्ताव फेमिन के अन्दर कार्य शुरू करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये हैं, उनको अविलम्ब मन्जूर करके भिजवाया जाये ताकि उन लोगों को राहत के काम मिल सकें।

एजूकेशन की दृष्टि से आज मेरे क्षेत्र की, विशेष तौर से जालौर जिले की यह समस्या है कि हमारे यहां अध्यापकों की जो नियुक्ति होती है, वह बाहर के आते हैं, अलवर, भरतपुर इत्यादि के अध्यापक हमारे

(श्री सूरजपालसिंह)

यहां आते हैं। हमारे यहां कोई ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट नहीं है। जशनपुरा के अन्दर पूर्व में एक एस. टी. सी. स्कूल था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सिंचाई-मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या आवश्यकता है? माननीय सदस्य, काफी बोल चुके हैं। ठीक पांच बजे क्लोज कर दें तो क्या दिक्कत है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह अगर एक आध मिनट आगे बढ़ जाये तो समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जायें जब तक उनका भाषण समाप्त न हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का भाषण दिया हुआ समझा जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : मेरा एक अमेंडमेण्ट हैं इस समय बढ़ाने के मामले में कि सोमवार को दो घण्टे का समय बढ़ा दिया जाये ताकि माननीय सदस्य अभी से तैयार होकर आयें कि दो घण्टे का समय बढ़ा दिया है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य।

श्री सूरजपालसिंह : मेरा यह सुझाव था....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : समय भाषण के समाप्त होने तक तो बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, शायद समाप्त हो रहा है भाषण। भाषण समाप्त हो रहा है।

श्री सूरजपालसिंह : इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर श्री सी. पी. जोशी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 25-3-85 के प्रातःकाल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 4.59 बजे, सोमवार दिनांक 25 मार्च, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)